

# वार्षिक रिपोर्ट 2014-15



पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग  
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार





# वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग  
कृषि मंत्रालय,  
भारत सरकार  
नई दिल्ली



# विषय सूची

| क्र.सं. | विषय   | पृष्ठ |
|---------|--|-------|
| 1.      | <b>उपलब्धियों का सिंहावलोकन</b><br>पशुधन उत्पादन<br>मात्स्यिकी उत्पादन<br>सरकार की पहल और राज्यों की सहायता<br>बारहवीं पंचवर्षीय योजना<br>वार्षिक योजना 2013-14 और 2014-15   | 1-12  |
| 2.      | <b>संगठन</b><br>संरचना<br>कार्य<br>अधीनस्थ कार्यालय<br>राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड<br>राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड<br>तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण<br>भारतीय पशुचिकित्सा परिषद<br>शिकायत कक्ष<br>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सम्पर्क अधिकारी<br>सतर्कता एकक<br>हिन्दी का प्रगामी प्रयोग<br>पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य सूचना<br>सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन<br>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्यो के लिए आरक्षण<br>महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकना<br>न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन | 13-18 |
| 3.      | <b>पशुपालन</b>   | 19-40 |
| 4.      | <b>डेयरी विकास</b>   | 41-58 |
| 5.      | <b>भारतीय मात्स्यिकी का सिंहावलोकन</b>   | 59-76 |
| 6.      | <b>व्यापारिक मामले</b>   | 77-80 |
| 7.      | <b>अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी) और जनजातीय उप योजना (टी.एस.पी.)</b>  | 81    |
| 8.      | <b>महिलाओं का सशक्तिकरण</b>  | 82    |
| 9.      | <b>अंतर्राष्ट्रीय सहयोग</b>  | 83    |
| 10.     | <b>परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी)</b>  | 84    |

## अनुबंध

|       |  |         |
|-------|--|---------|
| I.    | पशुधन और कुक्कुट की कुल संख्या -19वीं पशुधन जनगणना 2012-राज्यवार   | 107     |
| II.   | प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन-संपूर्ण भारत  | 108     |
| III.  | 2006-07 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान राज्यवार मछली उत्पादन   | 109     |
| IV.   | भारतीय समुद्री मात्स्यिकी संसाधन   | 110     |
| V.    | भारतीय अंतर्देशीय जल संसाधन  | 111     |
| VI.   | मत्स्य बीज उत्पादन   | 112     |
| VII.  | वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान वित्तीय आवंटन और व्यय   | 113-115 |
| VIII. | संगठनात्मक चार्ट और कार्य आबन्टन   | 116     |
| IX.   | विभाग को आबंटित विषयों की सूची   | 117     |
| X.    | सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की सूची  | 118-119 |
| XI.   | भारत में पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा केन्द्रों का पशुधन उत्पादों और पशुधन स्टॉक की आयात-निर्यात रिपोर्ट वर्ष 2014-15 के दौरान अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक प्रभावी | 120-121 |
| XII.  | वर्ष 2014 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान भारत में हुए पशुरोगों का प्रजातिवार विवरण   | 122-124 |
| XIII. | पशुचिकित्सा संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा (01.04.2014 के अनुसार)  | 125     |
| XIV.  | लेखा परीक्षा पैरा  | 126     |



अध्याय 1

उपलब्धियों  
का  
सिंहावलोकन



# अध्याय 1

## उपलब्धियों का सिंहावलोकन

1.1 जब से सभ्यता प्रारम्भ हुई है, तब से कृषि सहित पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन से संबंधित कार्यकलाप मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बने रहे हैं। इन कार्यकलापों ने न केवल खाद्य और भारवाही पशु शक्ति में योगदान दिया है बल्कि इनसे पारिस्थितिकी सन्तुलन भी बनाए रखा गया है। सहायक जलवायु और स्थलाकृति के फलस्वरूप, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्रों की भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक भूमिका रही है। पारम्परिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों का भी इन कार्यकलापों को जारी रखने में योगदान रहा है। ये कार्यकलाप लाखों लोगों को सस्ता और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों तथा महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार का सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.2 पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह अधिकांश किसानों के लिए जीविका का एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप बन गया है, यह महत्वपूर्ण आदानों के रूप में खेती में सहायता कर रहा है, परिवार के स्वास्थ्य और पोषाहार में योगदान दे रहा है, आय को अनुपूरक कर रहा है, रोजगार के अवसरों की पेशकश कर

रहा है, और अन्ततः जरूरत के समय यह भरोसेमंद खेती के पशुओं का बैंक है। यह सम्पूरक और अनुपूरक उद्यम के रूप में कार्य करता है।

1.3 एनएसएसओ के 66वें दौर के सर्वेक्षण (जुलाई, 2009 जून, 2010) के अनुसार, सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति जमा सहायक स्थिति, उनकी प्रधान गतिविधि का खयाल किए बिना) के अनुसार पशुपालन में कार्यरत कामगारों की कुल संख्या 20.5 मिलियन है। सीमांत, छोटे और अर्द्धमजदूरी किसान की प्रचालनात्मक जोत (4 हैक्टेयर से कम क्षेत्र) का अपना लगभग 87.7 प्रतिशत पशुधन है। अतः पशुधन क्षेत्र का विकास अपेक्षाकृत अधिक इन्वेलुसिव है।

1.4 भारत में पशुधन और कुक्कुट के व्यापक संसाधन हैं जिनकी ग्रामीण लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। 19वीं पशुधन संगणना के अनुसार देश में लगभग 65.07 मिलियन भेड़ें, 135.2 मिलियन बकरियां और लगभग 10.3 मिलियन सूअर हैं। पिछली तीन संगणनाओं के दौरान पशुधन में पशुओं की संख्या और कुक्कुट की संख्या का प्रजाति-वार ब्यौरा तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1- पशुधन और कुक्कुट की संख्या

| क्र.सं. | प्रजातियां        | पशुधन संगणना 2003 (संख्या मिलियन में) | पशुधन संगणना 2007 (संख्या मिलियन में) | पशुधन संगणना 2012 (संख्या मिलियन में) | वृद्धि दर (%) |
|---------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1       | गोपशु             | 185.2                                 | 199.1                                 | 190.9                                 | -4.10         |
| 2       | भैंस              | 97.9                                  | 105.3                                 | 108.7                                 | 3.19          |
| 3       | याक               | 0.1                                   | 0.1                                   | 0.1                                   | -7.64         |
| 4       | मिथुन             | 0.3                                   | 0.3                                   | 0.3                                   | 12.88         |
|         | <b>कुल बोवाइन</b> | <b>283.4</b>                          | <b>304.8</b>                          | <b>300.0</b>                          | <b>-1.57</b>  |
| 5       | भेड़              | 61.5                                  | 71.6                                  | 65.07                                 | -9.07         |
| 6       | बकरी              | 124.4                                 | 140.5                                 | 135.2                                 | -3.82         |
| 7       | सूअर              | 13.5                                  | 11.1                                  | 10.3                                  | -7.54         |
| 8       | अन्य पशु          | 2.2                                   | 1.7                                   | 1.48                                  | -12.94        |
|         | <b>कुल पशुधन</b>  | <b>485</b>                            | <b>529.7</b>                          | <b>512.05</b>                         | <b>-3.33</b>  |
| 9       | <b>कुक्कुट</b>    | <b>489</b>                            | <b>648.8</b>                          | <b>729.2</b>                          | <b>12.39</b>  |

पशुधन की विभिन्न प्रजातियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

### 1.5 पशुधन उत्पादन

1.5.1 पशुधन उत्पादन और कृषि परस्पर सम्बद्ध हैं और ये एक-दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों ही समग्र रूप से खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमानों के अनुसार, 2013-14 के दौरान पशुधन क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य वर्तमान मूल्यों पर लगभग 4,06,035 करोड़ रुपए है। जो वर्तमान मूल्य पर कुल कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी क्षेत्र से सकल संवर्धित मूल्य का लगभग 21.58 प्रतिशत है और स्थिर मूल्य (2011-12) पर 22.75 प्रतिशत है। पशुधन क्षेत्र देश में कुल सकल संवर्धित मूल्य का लगभग 3.88 प्रतिशत वर्तमान मूल्य और लगभग 3.92 प्रतिशत स्थिर मूल्य (2011-12) का योगदान दे रहा है। 2013-14 के दौरान पशुधन क्षेत्र 2011-12 के मूल्यों के दौरान समान अवधि के मूल्यों पर कुल कृषि, वन और

मात्स्यिक क्षेत्र की 3.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 5.5 प्रतिशत विस्तारित हुआ।

1.5.2 दूध का उत्पादन: भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना रहा। पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन दसवीं योजना (2006-07) के अंत में 102.6 मिलियन टन से काफी अधिक बढ़कर ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अंत में 127.9 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया। 2012-13 और 2013-14 के दौरान दूध का उत्पादन 132.43 मिलियन टन और 137.7 मिलियन टन है और वार्षिक विकास दर क्रमशः 3.54% तथा 3.97% है। 2013-14 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 307 ग्राम प्रति दिन है। 1980-81 से 2013-14 तक दूध का उत्पादन तथा संगत विकास दर (%) प्रति वर्ष निम्नलिखित चार्ट 1.1 में दर्शायी गयी है:

चार्ट 1.1: 1980-81 से 2013-14 तक दुग्ध उत्पादन तथा संगत विकास दर (%)




**1.5.2.1 दूध की औसत उत्पादन दर:** 2013-14 के दौरान विभिन्न प्रजातियों से राष्ट्रीय स्तर पर प्रति पशु प्रति दिन दूध का औसत उत्पादन नीचे दिया जाता है:

**तालिका 1.2: दूध की औसत उत्पादन दर**

| विदेशी / संकर गाय (किलोग्राम / दिन) | देशी / नॉन-डिस्क्रिप्ट (किलोग्राम / दिन) | भैंस (किलोग्राम / दिन) | बकरी (किलोग्राम / दिन) |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 6.78                                | 2.50                                     | 4.91                   | 0.45                   |

**1.5.3 अंडा उत्पादन:** भारत में कुक्कुट उत्पादन में पिछले चार दशकों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह अवैज्ञानिक कृषि पद्धति के स्थान पर उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रणाली के रूप में परिवर्तित हो गया है। दसवीं योजना (2006-07) के अन्त में अंडों

का उत्पादन 50.66 बिलियन था जबकि ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अन्त में यह 66.45 बिलियन था। वर्तमान में, 2013-14 के दौरान हमारे देश में कुल कुक्कुटों की कुल संख्या 729.21 मिलियन (19वीं पशुधन संगणना के अनुसार) तथा अंडा उत्पादन लगभग 74.75 बिलियन है। वर्तमान प्रति व्यक्ति उपलब्धता (2013-14) लगभग 61 अंडे प्रति वर्ष है। कुक्कुट मांस उत्पादन 2.69 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के अनुसार 2013-14 में कुक्कुट उत्पादों का निर्यात लगभग 566 करोड़ रुपए है। 1980-81 से 2013-14 तक देश में अंडों का उत्पादन तथा संगत विकास दर (%) प्रतिवर्ष निम्नलिखित चार्ट 1.2 में दर्शायी गयी है:



**1.5.3.1 अंडों की औसत उत्पादन दर:** 2013-14 के दौरान विभिन्न प्रजातियों से राष्ट्रीय स्तर पर प्रति वर्ष अंडों

का औसत उत्पादन तालिका 1.3 में दिया गया है:

**तालिका 1.3: अंडों की औसत उत्पादन दर**

| फाउल (वर्ष/संख्या) |            | बत्तख (संख्या/वर्ष) |             |
|--------------------|------------|---------------------|-------------|
| देशी फाउल          | उन्नत फाउल | देशी बत्तख          | उन्नत बत्तख |
| 105.71             | 276.61     | 121.79              | 182.07      |

1.5.4 **ऊन का उत्पादन:** दसवीं पंचवर्षीय योजना (2006–07) के अंत में ऊन का उत्पादन 45.1 मिलियन

किलोग्राम था जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में (2011–12) यह मामूली गिरकर 44.7 मिलियन किलोग्राम रह गया। बारहवीं योजना (2012–13) के आरंभ में ऊन का उत्पादन 46.01 मिलियन किलोग्राम है, जो 2013–14 में और बढ़कर 47.9 मिलियन किलोग्राम हो गया है। 2013–14 में ऊन के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 4.03% है। 1980–81 से 2013–14 तक देश में ऊन का उत्पादन और संगत विकास दर (%) प्रतिवर्ष निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है:



1.5.4.1 **ऊन की औसत उत्पादन दर:** 2013–14 के दौरान विभिन्न श्रेणी की भेड़ों से राष्ट्रीय स्तर पर ऊन का औसत उत्पादन निम्नानुसार है:


**तालिका 1.4: ऊन की औसत उत्पादन दर**

| मेढ़ा/मौसम<br>(किलोग्राम/मौसम) | भेड़<br>(किलोग्राम/मौसम) | मेमना<br>(किलोग्राम/मौसम) |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.31                           | 0.78                     | 0.90                      |

के अंत में मीट उत्पादन 2.3 मिलियन टन था जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2011–12) के अंत में अत्यधिक बढ़कर 5.5 मिलियन टन हो गया। बारहवीं योजना (2012–13) के आरंभ में मीट का उत्पादन 5.9 मिलियन टन था जो 2013–14 में और अधिक बढ़कर 6.2 मिलियन टन हो गया। 2000–01 से 2013–14 तक मीट का उत्पादन और संगत विकास दर (%) प्रतिवर्ष चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है:

1.5.5 **मीट उत्पादन:** दसवीं पंचवर्षीय योजना (2006–07) है:

**चार्ट 1.4: 2000-01 से 2013-14 तक मांस उत्पादन और संगत विकास दर (%)**



**1.5.5.1 मीट की औसत उत्पादन दर:** 2013-14 के दौरान विभिन्न प्रजातियों और कुक्कुट से राष्ट्रीय स्तर पर प्रति पशु/पक्षी का औसत उत्पादन निम्नानुसार है:

**तालिका 1.5: मीट की औसत उत्पादन दर**

| गोपशु<br>(किलोग्राम<br>/पशु) | भैंस<br>(किलोग्राम<br>/पशु) | भेड़<br>(किलोग्राम<br>/पशु) | बकरी<br>(किलोग्राम<br>/पशु) | सूअर<br>(किलोग्राम<br>/पशु) | कुक्कुट<br>(किलोग्राम<br>/पक्षी) |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 104.27                       | 119.59                      | 13.36                       | 11.01                       | 40.26                       | 1.30                             |

1950-51 से 2013-14 तक प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन अनुबंध-II में दिया गया है।

## 1.6 मात्स्यिकी उत्पादन

1.6.1 अंतर्देशीय जल संसाधनों के अतिरिक्त, लगभग 8,118 किलोमीटर की हमारी तटीय रेखा को देखते हुए देश में मात्स्यिकी की व्यापक संभाव्यता है। सीएसओ के अनुमानों के अनुसार, 2013-14 के दौरान वर्तमान मूल्य

पर मात्स्यिकी क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य लगभग 96,824 करोड़ रुपए था जो वर्तमान मूल्य पर कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य का लगभग 5.15% है।

1.6.2 भारत विश्व में मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है और विश्व में ताजा जल मछली का भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मछली का उत्पादन 1991-92 में 41.57 लाख टन (समुद्री मात्स्यिकी के लिए 24.47 लाख टन तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी के लिए 17.10 लाख टन) से बढ़कर 2013-14 (अनंतिम) में 95.79 लाख टन (समुद्री मात्स्यिकी के लिए 34.43 लाख टन तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी के लिए 61.36 लाख टन) हो गया है। 2014-15 को पहली दो तिमाहियों के दौरान 4.37 मिलियन टन (अनंतिम) मछली उत्पादन होने का अनुमान है। मछली का उत्पादन, समुद्री मात्स्यिकी संसाधन और अंतर्देशीय जल संसाधन संबंधी राज्य वार ब्योरे अनुबंध-III, IV और V में दिए गए हैं और मछली

के बीज का वर्षवार उत्पादन अनुबंध—VI में दिया गया है।

## 1.7 सरकार की पहल और राज्यों को सहायता

1.7.1 चूंकि पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन सहित कृषि एक राज्य विषय है, इसलिए विभाग का जोर राज्य सरकारों का इन क्षेत्रों का विकास करने के प्रयासों को अनुपूरक करने पर रहा है। विभाग पशु रोगों, आनुवंशिक संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और उन्नयन, पौष्टिक चारा और आहार की उपलब्धता में वृद्धि, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं के सतत विकास तथा पशुधन और मात्स्यिकी उद्यमों के उत्पादन और लाभ प्रदता में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है।

## 1.8 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

1.8.1 पशुधन क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की संकल्पना का उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए समग्र रूप से 6 से 7 प्रतिशत के बीच वार्षिक वृद्धि करने का है जिसमें दूध समूह के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक और मांस तथा कुक्कुट के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त की जाएगी। ग्यारहवीं योजना के दौरान पशुधन क्षेत्र से उत्पादन के मूल्य में वृद्धि लगभग 4.8 प्रतिशत प्रति वर्ष और मात्स्यिकी क्षेत्र से लगभग 3.6 प्रतिशत प्रति वर्ष थी।

1.8.2 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस विभाग को 8,174 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। इसके प्रति, वर्षवार वित्तीय उपलब्धियां नीचे दी जाती हैं:

**तालिका 1.6: 11वीं योजना के दौरान वर्षवार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय**

(करोड़ रुपए में)

| वर्ष                  | अनुमोदित बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय  | संशोधित अनुमान के संदर्भ में उपयोग का प्रतिशत | बजट अनुमान के संदर्भ में उपयोग का प्रतिशत |
|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|---|---|
| 11वीं योजना (2007-12) | 8174.00             |                |                |   |   |
| 2007-08               | 910.00              | 810.00         | 784.09         | 96.80   | 86.16                                     |
| 2008-09               | 1000.00             | 940.00         | 865.27         | 92.05   | 86.53                                     |
| 2009-10               | 1100.00             | 930.00         | 873.38         | 93.91   | 79.40                                     |
| 2010-11               | 1300.00             | 1257.00        | 1104.68        | 87.88   | 84.98                                     |
| 2011-12               | 1600.00             | 1356.52        | 1243.11        | 91.64   | 77.70                                     |
| कुल                   | <b>5910.00</b>      | <b>5293.52</b> | <b>4870.53</b> | <b>92.01</b>                                  | <b>82.41</b>                              |

1.8.3 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के प्रस्तावित परिव्यय के अतिरिक्त, 11वीं योजना के दौरान आरकेवीवाई और एनएमपीएस के अधीन पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए लगभग 5,406.38 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी।

1.8.4 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विभाग ने पशु रोगों पर नियंत्रण करने के अपने प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए पशु अस्पतालों और दवाखानों की स्थापना, राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पेस्ट डेस पेटिट्स

रुमिनेंट्स (पीपीआर) नियंत्रण कार्यक्रम तथा खुरपका और मुखपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम का 54 जिलों से 221 जिलों तक विस्तार करने जैसे नए कार्यक्रम/योजनाएं आरंभ की हैं। चारे की कमी को पूरा करने के लिए, चारा और आहार योजना में कई नए घटक शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करते समय देश में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए डेयरी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 11वीं योजना में डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना आरंभ की गई थी।

## 1.9 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

1.9.1 विभाग को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग से सिद्धांत रूप में 14,179.00 करोड़ रुपए (जिसमें बाहरी सहायता के रूप में 1,584.00 करोड़ रुपए शामिल हैं) का आबंटन प्राप्त हुआ है। इसमें पशुपालन क्षेत्र के लिए 7,628 करोड़ रुपए, डेयरी क्षेत्र के लिए 4,976 करोड़ रुपए और मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए 2,483.00 करोड़ रुपए, सचिवालय और आर्थिक सेवाओं के लिए 35.00 करोड़ रुपए और केरल के कुट्टानाड पारिस्थितिकी प्रणाली का विकास और इडुक्की जिले में कृषि संबंधी दबाव को कम करने हेतु विशेष पैकेज के लिए 51.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।

1.9.2 पशुधन क्षेत्र, जिसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन के मूल्य में लगभग 4.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई थी, की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक वृद्धि करने की बहुत ही अच्छी संभावना है। यह वृद्धि मुख्य रूप से देश में प्रोटीन खाद्य की बढ़ी हुई मांग के कारण है जो अपेक्षाकृत अधिक इन्क्लूसिव भी है क्योंकि छोटी जोत के और भूमिहीन किसानों का पशुधन के स्वामित्व में प्रमुख हिस्सा है। इसी प्रकार, मात्स्यिकी उप-क्षेत्र, जिसमें पहले लगभग 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है, में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक वृद्धि हो सकती है।

1.9.3 पशुपालन क्षेत्रों में प्रमुख चुनौतियां पशु रोगों पर प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण, आहार और चारे की कमी, विविध आनुवंशिक संसाधनों का परिरक्षण करते समय नस्ल सुधार और प्रौद्योगिकी के सुधार, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किसानों की दक्षता और गुणसम्पन्न सेवाओं के संबंध में हैं, जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

1.9.4 विभाग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए अपने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की पुनर्संरचना की है और तदनुसार यह निम्नलिखित

तरीके से वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से धनराशि आवंटित करता है:

(क) पशुधन क्षेत्र में वृद्धि में तेजी लाने के उद्देश्य से, राज्यों को किसानों के लाभ के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार और क्रियान्वित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करके इस क्षेत्र का सतत विकास करने के मुख्य उद्देश्य से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) आरंभ किया गया था। आहार और चारे की उपलब्धता और मांग के बीच अन्तर को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए इनकी उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन में एक महत्वपूर्ण घटक शामिल होगा। यह मिशन विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों की कृषि-जलवायु स्थितियों के अनुसार कुक्कुट, सूअर, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और अन्य गौण पशुधन प्रजातियों के विकास से संबंधित पहलकमियों के लिए भी सहायता देगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अधीन उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए 2,800 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ख) पशु रोगों जिनसे, पशुधन की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पर प्रभावकारी नियंत्रण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने एफ एम डी, पीपीआर और ब्रूसेलोसिस जैसे प्रमुख पशुरोगों के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया है। एफ एम डी नियंत्रण कार्यक्रम का फरवरी, 2014 में विस्तार किया गया है और देश के 313 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान और बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश के सभी जिले शामिल हैं। 12वीं योजना के अवधि दौरान, टीकों और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए एफएमडी-सीपी के अधीन पूरे देश को चरणबद्ध रूप में शामिल किया जाएगा। एक नया घटक नामतः क्लासिकल स्वाइन ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम भी पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण की मौजूदा योजना में शामिल किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय

योजना के लिए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 3,114 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ग) आनुवंशिक सुधार करके दूध की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए 12वीं योजना के अंत तक लगभग 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक प्रजनन योग्य बोवाइन को कवर करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार करने की आवश्यकता है। गुणवत्ता स्वदेशी प्रजनन के परिरक्षण के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। सहकारी क्षेत्रों ने डेयरी उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए पर्याप्त योगदान दिया है। प्रजनन और आहार के उन्नत प्रबंधन के जरिये दुग्ध उत्पादकों/किसानों की आय में वृद्धि करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डेयरी सहकारिताओं के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 2011-12 से राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण- I) आरंभ की है जो 1,756 करोड़ रुपये के परिव्यय से बारहवीं योजना के दौरान क्रियान्वित की जाएगी।

(घ) कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं, आहार प्रबंधन और अच्छी गुणवत्ता के दूध के विपणन के विस्तार में प्रजनन और डेयरी से संबंधित सम्मिलित कार्यकलाप और अधिक प्रभावकारी होंगे जो उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए आवश्यक हैं। संसाधनों की सहक्रियाओं का सृजन करने के लिए बोवाइन प्रजनन योजना का डेयरी विकास योजनाओं में विलय किया गया है। राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीबीबी एंड डीडी) योजना के दो प्रमुख घटक हैं, नामतः राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम (एनपीबीबी) और डेयरी विकास। राज्यों ने महत्वपूर्ण देशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ बोवाइनों के लिए प्रजनन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए पशुधन विकास बोर्ड स्थापित किए हैं। डेयरी विकास घटक में मुख्य रूप से उन राज्यों/क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जो राष्ट्रीय डेयरी योजना के दायरे में नहीं आते हैं। डेयरी सहकारिताओं के माध्यम से

प्रजनन, डेयरी और विस्तार के लिए सेवा सुपुर्दगी में चरणबद्ध रूप से समन्वय किया जाएगा। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए 1,800 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ड.) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), जो मात्स्यिकी क्षेत्र के एकीकृत विकास में तेजी लाने के लिए 2006 में आरंभ किया गया था, को मत्स्य रोगों के प्रबंधन और संबंधित लगभग सभी योजनाएं इसके अधीन लाकर और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के लिए 1,880 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

1.9.5 माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2014-15 के बजट भाषण के दौरान 50.00 करोड़ रुपये के आबंटन से निम्नलिखित दो नई योजनाओं को प्रारंभ करने की घोषणा की है:

(क) **स्वदेशी नस्लें:** इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी बोवाइन नस्लों का संरक्षण और परिरक्षण करते हुए, स्वदेशी बोवाइन नस्लों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाते

दो नई योजनाओं स्वदेशी नस्लें और नीली क्रांति-अन्तर्देशीय मात्स्यिकी के लिए 2014-15 में 50 करोड़ रुपये के आबंटन से प्रारम्भ की गई है।

हुए, एक राष्ट्रीय नस्ल केंद्र में उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले स्टॉक का परिरक्षण करते हुए स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना तथा स्वदेशी बोवाइन नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणता वाले रोग मुक्त जर्मप्लाज़्म की आपूर्ति करना है।

(ख) **नीली क्रांति-अन्तर्देशीय मात्स्यिकी:** मात्स्यिकी विकास के लिए चुनिंदा संभाव्यता क्षेत्र का उपयोग करने के लिए योजना प्रारम्भ की गई है।

1.9.6 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस विभाग को प्रदान किए गए 14,179 करोड़ रुपये के प्रति वर्ष-वार वित्तीय उपलब्धियां तालिका 1.7 में दी गई हैं:

**तालिका 1.7: 12वीं योजना के दौरान वर्षवार बजट अनुमान, संशोधित तथा वास्तविक व्यय**

(करोड़ रुपए में)

| वर्ष                        | अनुमोदित बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय  | संशोधित अनुमान के संदर्भ में उपयोग का प्रतिशत | बजट अनुमान के संदर्भ में उपयोग का प्रतिशत |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|---|---|
| 12वीं योजना (2012-17)       | 14179.00            |                |                |   |   |
| 2012-13                     | 1910.00             | 1800.00        | 1736.37        | 96.47   | 90.91                                     |
| 2013-14                     | 2025.00             | 1800.00        | 1748.80        | 97.16   | 86.36                                     |
| 2014-15                     | 2174.00             | 1800.00        | 1332.37*       | 74.02   | 61.29                                     |
| कुल प्रथम तीन वर्षों के लिए | <b>6109.00</b>      | <b>5400.00</b> | <b>4817.19</b> |   |   |

31.12.2014 तक

### 1.10 वार्षिक योजना 2013-14 और 2014-15

1.10.1 विभाग को वार्षिक योजना 2013-14 के लिए 2,025 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर संशोधित करके 1,800 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वर्ष 2013-14 के लिए अंतिम व्यय 1748.80 करोड़ रुपए था। वर्ष 2014-15 के लिए विभाग को 2,174 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जो कम

करके संशोधित अनुमान में 1,800 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। दिसम्बर, 2014 के अंत तक, विभाग ने 1332.37 करोड़ रुपए का व्यय किया है।

1.10.2 2013-14 और 2014-15 के लिए योजनावार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय **अनुबंध-VII** में दिए गए हैं।





અધ્યાય 2

સંગઠન



## अध्याय 2

### संगठन

#### 2.1 संरचना

2.1.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग कृषि मंत्रालय का एक विभाग है। यह कृषि और सहकारिता विभाग के दो प्रभागों अर्थात् पशुपालन और डेयरी विकास को मिला करके 01 फरवरी, 1991 को अस्तित्व में आया था। कृषि और सहकारिता विभाग का मात्स्यिकी प्रभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा इस नए विभाग में 10 अक्टूबर, 1997 में अंतरित कर दिया गया था।

2.1.2 यह विभाग, श्री राधा मोहन सिंह, माननीय कृषि मंत्री जी के सम्पूर्ण प्रभार में है। उनकी सहायता डॉ. संजीव बालियान तथा श्री मोहन भाई कल्याणजी भाई कुंदारिया, कृषि राज्य मंत्री करते हैं। विभाग के प्रशासनिक प्रमुख सचिव (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन) हैं।

2.1.3 इस विभाग को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में एक पशुपालन आयुक्त, चार संयुक्त सचिव तथा एक सलाहकार (सांख्यिकी) विभाग के सचिव की सहायता करते हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट तथा विभिन्न प्रभागों के बीच कार्य आबंधन अनुबंध—VIII में दिया गया है।

#### 2.2 कार्य

2.2.1 यह विभाग पशुधन उत्पादन, इसके संरक्षण, परिरक्षण तथा स्टॉक में सुधार करने, डेयरी विकास से संबंधित कार्यों और दिल्ली दुग्ध योजना तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। यह विभाग मात्स्यिकी से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है, जिसमें अंतर्देशीय तथा समुद्री क्षेत्र की मात्स्यिकी और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

2.2.2 यह विभाग पशुपालन और डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देता है। गतिविधियों का मुख्य बल इस पर है (क) पशु

उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपेक्षित आधारभूत संरचना का विकास; (ख) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के रखरखाव, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना; (ग) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का परिरक्षण और संरक्षण; (घ) राज्यों को वितरित करने के लिए बेहतर जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केन्द्रीय पशुधन फार्मों (गोपशु, भेड़ और कुक्कुट) का सुदृढ़ीकरण; और (ङ.) ताजे, खारे पानी में जलकृषि का विस्तार, समुद्री मात्स्यिकी ढांचे एवं पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास तथा मछुआरों का कल्याण, आदि।

2.2.3 इस विभाग को आबंधित विषयों की सूची अनुबंध—IX में दी गई है।

#### 2.3 अधीनस्थ कार्यालय

2.3.1 यह विभाग पूरे देश में फैले निम्नलिखित फील्ड /अधीनस्थ कार्यालयों का प्रशासन भी देखता है (सारणी 2.1)।

##### सारणी 2.1 अधीनस्थ कार्यालय

| क्र.सं. | अधीनस्थ कार्यालय   | संख्या    |
|---------|--|-----------|
| (i)     | केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन  | 12        |
| (ii)    | केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन  | 5         |
| (iii)   | केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म  | 1         |
| (iv)    | केन्द्रीय चारा विकास संगठन   | 8         |
| (v)     | राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत   | 1         |
| (vi)    | पशु संगरोध प्रमाणीकरण केन्द्र  | 6         |
| (vii)   | दिल्ली दुग्ध योजना   | 1         |
| (viii)  | केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर                         | 1         |
| (ix)    | केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन            | 1         |
| (x)     | राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट, प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची | 1         |
| (xi)    | भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई  |           |
|         | <b>कुल</b>   | <b>38</b> |

2.3.2 इन अधीनस्थ कार्यालयों की सूची अनुबंध-X में दी गयी है।

## 2.4 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

2.4.1 आणंद, गुजरात में स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 में स्थापित किया गया था और इसे 1987 में एनडीडीबी अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय घोषित किया गया है। यह देश में सहकारिता की तर्ज पर डेयरी विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख संस्थान है।

## 2.5 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)

2.5.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को सितम्बर, 2006 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका उद्देश्य अन्तर्देशीय और समुद्र में मात्स्यिकी क्षेत्र, मत्स्य पालन, मछली के संवर्द्धन, प्रसंस्करण और विपणन की अप्रयुक्त संभाव्यताओं का उपयोग करना, और मात्स्यिकी के इष्टतम उत्पादन तथा उत्पादकता के लिए अनुसंधान तथा विकास के आधुनिक साधनों का प्रयोग करना है।

## 2.6 तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण

2.6.1 तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया था और इसे 22 दिसंबर, 2005 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। प्राधिकरण के ध्येय और उद्देश्य तटवर्ती क्षेत्रों के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में और उससे संबंधित मामलों तथा आनुषंगिक मामलों के लिए तटीय जलकृषि को विनियमित करना हैं। इस प्राधिकरण को तटीय क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और प्रचालन के लिए विनियम बनाने, कृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण करने, प्रदूषण करने वाली उनके पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाने के लिए उनका निरीक्षण करने, तटीय जलकृषि फार्मों को हटाने या समाप्त करने पर्यावरणीय उत्तरदायित्वपूर्ण और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तटीय जलकृषि को सुकर बनाने के लिए तटीय जलकृषि आदानों हेतु मानक निर्धारित करने की शक्तियां दी गई हैं।

## 2.7 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद

2.7.1 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के उपबंधों के तहत गठित किया गया है। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद देश भर में सभी पशुचिकित्सा संस्थानों में पशुचिकित्सा शिक्षा विनियम के न्यूनतम मानक के जरिये पशुचिकित्सा शिक्षा के एक-समान मानक बनाए रखने के लिए और पशुचिकित्सा प्रैक्टिस को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।

2.7.2 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में 27 सदस्य हैं जिनमें पांच सदस्य उन राज्यों के पशुपालन निदेशकों में से केंद्रीय सरकार द्वारा नामित हैं जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है, चार सदस्य उन राज्यों के पशुचिकित्सा संस्थानों के प्रधानों में से हैं जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है, एक सदस्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नामित है, एक सदस्य पशुपालन के संबंध में कार्यवाई करने वाला केंद्रीय सरकार के मंत्रालय का प्रतिनिधि है, एक सदस्य भारतीय पशुचिकित्सा एसोसिएशन द्वारा नामित है, एक सदस्य उन राज्यों के राज्य पशुचिकित्सा एसोसिएशनों के अध्यक्षों में से नामित है जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है, एक सदस्य उन राज्यों के राज्य पशुचिकित्सा परिषदों के अध्यक्षों में से नामित है जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है। एसोसिएशनों के ग्यारह सदस्य भारतीय पशुचिकित्सा व्यावसायियों के रजिस्टर में पंजीकृत व्यक्तियों में से चुने जाते हैं। पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार और सचिव, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद इस परिषद के पदेन सदस्य हैं।

## 2.8 शिकायत कक्ष

2.8.1 विभाग में शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है जो उप सचिव (जीसी) की देख-रेख में कार्य कर रहा है। दिसम्बर, 2014 में कुल 1,009 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें से अवधि के दौरान 909 का निपटान कर दिया गया है।

## 2.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सम्पर्क अधिकारी

2.9.1 इस विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के

लिए भी इस विभाग में उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

## 2.10 सतर्कता एकक

2.10.1 इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सतर्कता मामलों पर सतर्कता एकक कार्रवाई करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी नियमित आधार पर सतर्कता मामलों को मानीटर करता है। विभाग ने अपने क्षेत्रीय एककों के साथ 27 अक्टूबर 2014 से 1 नवम्बर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय “भ्रष्टाचार का मुकाबला—प्रौद्योगिकी एक संबल” था। सचिव (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन) ने 27.10.2014 को सभी अधिकारियों एवं स्टाफ को शपथ दिलाई।

## 2.11 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

2.11.1 वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग ने ठोस प्रयास किए। विभाग का हिन्दी अनुभाग वार्षिक रिपोर्ट, निष्पादन बजट, संसद प्रश्न, संसदीय स्थायी समिति तथा कैबिनेट नोट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद का काम करने तथा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के काम में सक्रिय रूप से लगा रहा।

2.11.2 इस विभाग में संयुक्त सचिव (प्रशा.) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। निर्धारित नियमों के अनुसार, वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं थें। इन बैठकों में विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गई थी। सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों के परिणामस्वरूप, हिंदी में पत्राचार के प्रतिशत में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

2.11.3 सभी अधिकारियों/अनुभागों को समय-समय पर सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग तथा संयुक्त सचिव की ओर से परिपत्र जारी किए गए जिसमें सरकार की राजभाषा नीति के उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

2.11.4 हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए। इसी प्रकार विभाग द्वारा क और ख क्षेत्रों में स्थित

राज्यों को हिन्दी में ही पत्र भेजे गए। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का पूरी तरह से अनुपालन किया गया।

2.11.5 विभाग में 1 से 15 सितम्बर, 2014 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण—आलेखन, राजभाषा ज्ञान और वाद—विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया तथा सचिव की अध्यक्षता में एक समारोह में सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार दिए गए।

## 2.12 पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य सूचना

2.12.1 विभाग की वेबसाइट (<http://dahd.nic.in>) का विशेष रूप से एवियन एंफ्लूएंजा की स्थिति के बारे में नियमित रूप से रख-रखाव किया गया था तथा स्थिति को अद्यतन किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रकाशित करके वेबसाइट को विस्तार दिया गया है। विभाग ने “पशुधन सांख्यिकी” के लिए वेब आधारित प्रणाली विकसित की है।

## 2.13 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

2.13.1 जनहित की सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने आरटीआई अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नियुक्त किए हैं। इसी प्रकार विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी संगठनों के लिए अलग से सीपीआईओ नियुक्त किए गए हैं।

## 2.14 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्यो के लिए आरक्षण:

2.14.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों को सख्ती से क्रियान्वित करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं।

## 2.15 महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकना

2.15.1 महिलाओं के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विभाग द्वारा एक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्ष इस विभाग की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी हैं। इस समिति में विभाग के 4 सदस्य हैं जिनमें से 3 महिला सदस्य हैं (इनमें से एक गैर-सरकारी संगठन से संबंधित हैं) और एक पुरुष सदस्य है। वर्ष के 2013-14 दौरान इस समिति की तीन बैठकें हुईं। इस अवधि के दौरान

विभाग में मुख्यालय में किसी भी महिला कर्मचारी से उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

## 2.16 न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन

2.16.1 पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग 25 दिसम्बर, 2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में 'सुशासन दिवस/अच्छे सुशासन दिवस' मनाया गया है जिसमें न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन की भावना में, मौजूदा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार करने के विचार और सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया।

## अध्याय 3



पशुपालन



## अध्याय 3

### पशुपालन

3.1 यह विभाग पशुधन के आनुवंशिक उन्नयन एवं वर्ण संकर के लिए प्रजनन हेतु राज्य सरकारों को उच्च स्तर के जर्मप्लाज्म के उत्पादन एवं वितरण के लिए 18 केन्द्रीय पशुधन संगठनों एवं सम्बद्ध संस्थानों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा, विभाग अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पशुपालन क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित करता है।

### 3.2 केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन

3.2.1 इन संगठनों में सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, एक केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा चार केन्द्रीय गोयूथ पंजीकरण इकाईयां सम्मिलित हैं जो आनुवंशिक रूप से उन्नत संकर सांड बछड़ों, अच्छे किस्म के हिमित वीर्य के उत्पादन तथा गोपशु एवं भैंसों के बेहतर जर्मप्लाज्म की पहचान हेतु देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई हैं ताकि देश में सांडों तथा हिमित वीर्य की आवश्यकता पूरी की जा सके।

#### 3.2.2 केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ)

3.2.2.1 अलमाधी (तमिलनाडु), अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश), चिपलीमा एवं सूनाबेड़ा (उड़ीसा), धामरोड (गुजरात), हैसरघट्टा (कर्नाटक) और सूरतगढ़ (राजस्थान) में स्थित सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म हैं। ये फार्म किसानों और प्रजनकों को जागरूकता प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त गोपशु और भैंसों की आनुवंशिक संभाव्यता का उन्नयन करने के लिए गोपशु और भैंस से संबंधित वैज्ञानिक कार्यक्रमों को कार्यान्वयन और गोपशु और भैंस के वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम और बेहतर किस्म के सांड उत्पादन के काम में लगे हुए हैं। वे राज्यों, प्रजनन एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, ग्राम पंचायतों, प्राइवेट फार्मों और अलग-अलग किसानों को वितरित करने के उद्देश्य से गोपशु की स्वदेशी और विदेशी नस्लों के उच्च उत्पादक सांड बछड़ों और भैंसों की महत्वपूर्ण नस्लों का उत्पादन कर रहे हैं। सांड बछड़े देशी नस्लों नामतः थारपरकर,

रेड सिन्धी, अन्य स्थानिक नस्लों नामतः जर्सी, होलस्टीन फ्रीजियन एवं भैंस की नस्लों नामतः मुराह और सूरती तथा जर्सी X रेड सिन्धी एवं एच एफ X थारपरकर उत्पादित किए जाते हैं।



3.2.2.2 वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान इन फार्मों ने 300 सांड बछड़ों का उत्पादन किया तथा 3141 किसानों को डेयरी फार्म प्रबंधन में प्रशिक्षित किया।

#### 3.2.3 केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, (सीएफएसपीटीआई)

3.2.3.1 केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, (सीएफएसपीटीआई) हैस्सरघट्टा, कर्नाटक में स्थित यह एक प्रमुख संस्थान है जो कृत्रिम गर्भाधान (एआई) में उपयोग के लिए स्वदेशी, अन्य-स्थानिक (एच एफ और जर्सी) वर्ण संकर नस्ल तथा मुराह भैंसों के हिमित वीर्य का उत्पादन कर रहा है। यह संस्थान राज्य सरकारों, विश्व विद्यालयों, दुग्ध परिसंघों और अन्य संस्थानों के तकनीकी अधिकारियों को हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण भी देता है यह संस्थान देश में निर्मित हिमित वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान उपकरणों के परीक्षण के लिए एक केन्द्र के रूप में भी काम करता है। संस्थान के पास आधुनिक हिमित वीर्य प्रयोगशाला है और यह न्यूनतम मानक नयाचार (एमएसपी) में निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण करता है। केन्द्रीय मानीटरिंग यूनिट (सीएमयू) ने इसे 'ए ग्रेड' दिया है। यह प्रयोगशाला आईएसओ

9000—2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से भी प्रमाणित है।

3.2.3.2 संस्थान ने वर्ष 2014—15 (31.12.2014 तक) के दौरान हिमिit वीर्य की 7.36 लाख खुराकें उत्पादित कइ और हिमिit वीर्य प्रौद्योगिकी एवं एंड्रोलोजी के क्षेत्र में 202 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

### 3.2.4 केन्द्रीय पशु यूथ पंजीकरण योजना (सीएचआरएस)

3.2.4.1 केन्द्रीय यूथ पंजीकरण योजना राष्ट्रीय महत्व की अच्छी नस्ल वाली गाय और भैंसों के पंजीकरण के लिए है तथा यह अच्छी नस्ल की गायों और नर बछड़ों के पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। मुख्य उद्देश्य बेहतर जर्म प्लाज्म और उसके स्थान का पता लगाना, बेहतर जर्म प्लाज्म उत्पादित करने में इस आंकड़े का इस्तेमाल करना, स्वदेशी जर्म प्लाज्म का संरक्षण, और डेयरी उद्योग में सुधार के लिए गोपशु और भैंसों की दुग्ध रिकार्डिंग करना हैं।

3.2.4.2 इस योजना के अंतर्गत रोहतक, अहमदाबाद, अजमेर और अंगोले में 4 केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण यूनिट हैं। गिर, कंकरेज, हरियाणा और अंगोले की स्वदेशी गोपशु नस्लों और भैंसों की मुरा, जाफराबादी, सुरती और मेहसाना नस्लों के दूध की रिकार्डिंग के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित दुग्ध रिकार्डिंग केंद्र कार्यरत हैं ताकि उनकी फिनोटाइपिक नस्ल विशेषताओं और दुग्ध उत्पादन स्तर की पुष्टि की जा सके। वर्ष 2014—15 (31.12.2014 तक) के दौरान 10756 गायों तथा भैंसों का प्राथमिक पंजीकरण किया गया।



### 3.3 राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीबीबी और डीडी) योजना का राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन कार्यक्रम घटक:

3.3.1 फरवरी, 2014 में पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की चार चल रही योजनाओं, नामतः राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी), सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी), गुणवत्तापूर्ण तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवसंरचना का सुदृढीकरण (एसआईक्यू और सीएमपी) तथा सहकारिताओं को सहायता को विलय करके राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीबीबी और डीडी) को प्रारंभ किया गया था। इसे वैज्ञानिक और समेकित तरीके से दुग्ध उत्पादन और डेयरी संबंधी गतिविधियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से किया गया है ताकि देश में दूध की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इस योजना के दो घटक हैं (क) राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन कार्यक्रम (एनपीबीबी) तथा (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)।

3.3.2 राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन कार्यक्रम घटक का फोकस मैत्री—ग्रामीण भारत में बहु-प्रयोजन कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के माध्यम से फील्ड कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क के विस्तार, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की मानीटरिंग, देसी नस्लों के विकास और संरक्षण, तरल नाइट्रोजन के भंडारण और आपूर्ति को सुप्रवाही बनाने, कृत्रिम गर्भाधान के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणतावाले सांडों की खरीद, प्राकृतिक सेवा के लिए उच्च आनुवंशिक गुणता वाले प्रजनक सांडों की आपूर्ति, सांड माता फार्मों का सुदृढीकरण तथा देश में मान्यताप्राप्त देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए प्रजनक एसोसिएशनों तथा सोसाइटियों की स्थापना पर है। 12वीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 1200.00 करोड़ रुपए का आबंटन उपलब्ध करवाया गया है।

#### 3.3.3 उद्देश्य:

3.3.3.1 राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम के राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन कार्यक्रम घटक के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- क) किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की व्यवस्था करना;
- ख) उच्च आनुवंशिक गुणता वाले जर्मप्लाज़्म का प्रयोग करते हुए कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक सेवा के माध्यम से सभी प्रजनन योग्य मादाओं को असंगठित प्रजनन के अंतर्गत लाना;
- ग) उच्च सामाजिक-आर्थिक महत्व की चयनित देसी बोवाईन नस्लों का संरक्षण, विकास और फैलाव करना;
- घ) नस्लों के ह्रास और लोप से बचने के लिए महत्वपूर्ण देसी नस्लों के प्रजनन ट्रेक्ट्स में गुणवत्तापूर्ण प्रजनन आदान प्रदान करना;

### 3.3.4 घटक:

- क) मैत्री की स्थापना तथा विद्यमान कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार।
- ख) देसी बोवाईन नस्लों का विकास और संरक्षण।
- ग) कृत्रिम गर्भाधान तथा प्राकृतिक सेवा के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों को शामिल करना।
- घ) प्रजनन कार्यक्रमों में लगी जनशक्ति का कौशल विकास।
- ड.) तरल नाइट्रोजन की दुलाई तथा वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना।

### 3.3.5 कार्यान्वयन की स्थिति

3.3.5.1 राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम का वास्तविक कार्यान्वयन 2014-15 से प्रारंभ हुआ है। दिसम्बर, 2014 तक 17 राज्यों से 659.25 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से 19 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और इसमें से 130.61 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

देश में वीर्य उत्पादन 22 मिलियन स्ट्रा (1999-2000) से बढ़कर 83 मिलियन स्ट्रा (2013-14) हो गया और गर्भाधानों की संख्या 20 मिलियन से बढ़कर 65 मिलियन हो गयी। कुल उपयोग दर 20 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गयी है।

### 3.3.6 वीर्य स्टेशनों का मूल्यांकन

3.3.6.1 वीर्य उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए दो वर्षों में एक बार वीर्य स्टेशनों का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करने के लिए विभाग द्वारा 20.5.2004 को केन्द्रीय मानिट्रिंग यूनिट (सीएमयू) स्थापित की गई थी। सीएमयू ने अब तक चार बार मूल्यांकन किया है। सीएमयू के गठन के बाद वीर्य केन्द्रों की ग्रेडिंग में सुधार तालिका 3.1 में दिया गया और वीर्य स्टेशन की राज्यवार ग्रेडिंग तालिका 3.2 में दी गई है।

तालिका 3.1: वीर्य केन्द्रों के ग्रेड में सुधार

| ग्रेड          | 2004-05 | 2008-09 | 2010-11 | 2012-13 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| क              | 2       | 12      | 20      | 30      |
| ख              | 12      | 15      | 17      | 15      |
| ग              | 12      | 7       | 3       | -       |
| ग्रेडेड नहीं   | 33      | 13      | 7       | 5       |
| गैर मूल्यांकित | -       | 2       | 2       | 2       |
| कुल            | 59      | 49      | 49      | 52      |

### तालिका 3.2 दिए गए ग्रेडों के साथ वीर्य स्टेशनों का राज्य वार संवितरण

(वीर्य मूल्यांकन रिपोर्ट 2012-2013 के अनुसार)

| क्र.सं. | राज्य           | ग्रेड क   | ग्रेड ख   | ग्रेडिंग नहीं | मूल्यांकित नहीं | कुल स्टेशन |
|---------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|------------|
| 1       | आंध्र प्रदेश    | 2         | 1         | ---           | ---             | 3          |
| 2       | असम             | -         | -         | -             | 1               | 1          |
| 3       | छत्तीसगढ़       | 1         | -         | ---           | ---             | 1          |
| 5       | गुजरात          | 5         | ---       | -             | ---             | 5          |
| 6       | हरियाणा         | 4         | 1         | ---           | ---             | 5          |
| 7       | हिमाचल प्रदेश   | 1         | -         | ---           | ---             | 1          |
| 8       | जम्मू और कश्मीर | ---       | 1         | --            | 1               | 2          |
| 9       | कर्नाटक         | 3         | 2         | -             | ---             | 5          |
| 10      | केरल            | 3         | -         | ---           | ---             | 3          |
| 11      | मध्य प्रदेश     | ---       | 1         | ---           | ---             | 1          |
| 12      | महाराष्ट्र      | 2         | 2         | 1             | -               | 5          |
| 13      | मेघालय          | -         | -         | 1             | -               | 1          |
| 14      | ओडिशा           | 1         | -         | ---           | ---             | 1          |
| 15      | पंजाब           | 2         | 1         | ---           | ---             | 3          |
| 16      | राजस्थान        | ---       | 1         | 1             | ---             | 2          |
| 17      | तामिलनाडु       | 2         | 2         | -             | ---             | 4          |
| 18      | तेलंगाना        | 1         | -         | -             | -               | 1          |
| 18      | उत्तराखंड       | ---       | 1         | ---           | ---             | 1          |
| 19      | उत्तर प्रदेश    | 1         | 1         | 2             | ---             | 4          |
| 20      | पश्चिम बंगाल    | 2         | 1         | ---           | ---             | 3          |
|         | <b>कुल</b>      | <b>30</b> | <b>15</b> | <b>5</b>      | <b>2</b>        | <b>52</b>  |

#### 3.3.7 वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक नयाचार (एमएसपी) का विकास

3.3.7.1 एक समान गुणवत्ता के हिमिंत वीर्य का उत्पादन करने के लिए, बीएआईएफ, एनडीडीबी, एनडीआरआई(करनाल) और सीएफएसपीटीआई के विशेषज्ञों की सलाह से वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक नयाचार विकसित किया



गया था और इसे 20 मई, 2004 से प्रभावी किया गया था। वीर्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति को देखते हुए 2013-14 में वीर्य उत्पादन संबंधी एमएसपी को अद्यतन किया गया है और देश भर के सभी वीर्य केंद्रों को उपलब्ध कराया गया है।

#### 3.3.8 वीर्य केंद्रों का आईएसओ प्रमाणीकरण

3.3.8.1 वर्तमान में 44 वीर्य केंद्र आईएसओ प्रमाणित हैं। कुलाथुपुजा, (केरल), हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल), सलबोनी, बेलडंगा (पश्चिम बंगाल) तथा भडबादा (मध्य प्रदेश) में स्थित 7 वीर्य केंद्र भी एचएसीसीपी प्रमाणित हैं।

#### 3.3.9 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

3.3.9.1 राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना शुरू होने से पहले धीमी गर्भाधान दर का मुख्य कारण यह था कि अच्छी प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव था और सरकारी कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों को ठीक से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था।

2014-15 के दौरान 2,327 एमआईटीआईआरआई तथा 3,794 कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों तथा 361 व्यावसायिकों को देश के विख्यात प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण दिया गया है।

### 3.3.10 कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थानों का प्रत्यायन

3.3.10.1 कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान (एआईटीआई) देश भर में राज्य सरकारों, सहकारिताओं, एनडीडीबी, गैर सरकारी संगठनों तथा निजी एजेंसियों के एकछत्र के नीचे चलाए जाते हैं। चूंकि देशभर के डेयरी किसानों को द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है अतः कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को सफलतापूर्वक करने के लिए अपेक्षित कौशल तथा कार्य क्षमता वाले तकनीशियन तैयार करने के लिए एआईटीआई द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणता बहुत महत्वपूर्ण है।

3.3.10.2 एक समान प्रशिक्षण मॉड्युलों, मानक प्रोटोकॉल तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाले तंत्र के न होने के कारण कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण की गुणवत्ता विभिन्न संगठनों में अलग-अलग है।

3.3.10.3 एआईटीआई के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल विकसित कर लिया गया है और 2014 से प्रभावी है। एआईटीआई के एमएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कृत्रिम गर्भाधान संस्थानों के प्रत्यायन तथा मूल्यांकन के लिए एक केंद्रीय मानीटरिंग यूनिट गठित की गई है। दिसम्बर, 2014 तक 37 कृत्रिम गर्भाधान संस्थानों का मूल्यांकन किया जा चुका है।

### 3.3.11 देसी नस्लों का विकास और संरक्षण:

3.3.11.1 भारत की देसी नस्लें हष्ट-पुष्ट हैं और उनमें आनुवंशिक क्षमता है। वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देसी नस्लों के विकास और संरक्षण संबंधी किसी विशिष्ट कार्यक्रम के न होने के कारण उनकी संख्या कम होती जा रही है और वर्तमान में उनका निष्पादन उनकी क्षमता से काफी कम है। अतः उनके विकास और संरक्षण के लिए एक वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। देसी गोपशुओं और भैंसों की नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

#### 3.3.11.2 राष्ट्रीय गौकुल मिशन:

3.3.11.2.1 देसी नस्लों के संकेंद्रित तथा वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और विकास के लिए सरकार ने राष्ट्रीय गौकुल मिशन प्रारंभ किया है। इस मिशन में 40 प्रतिशत



तक नॉनडिस्क्रिप्ट नस्लों सहित देसी नस्लों के विकास के लिए एकीकृत गोपशु विकास केंद्रों गौकुल ग्रामों की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है।

3.3.11.2.2 राष्ट्रीय गौकुल मिशन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान 500 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक संकेंद्रित परियोजना है।

#### 3.3.11.3 उद्देश्य:

3.3.11.2.3.1 राष्ट्रीय गौकुल मिशन इन उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है: (क) देसी नस्लों का विकास और संरक्षण; (ख) देसी गोपशु नस्लों के आनुवंशिक संघटक में सुधार करने तथा स्टॉक को बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम; (ग) दुग्ध उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि; (घ) उत्कृष्ट देसी नस्लों, जैसे गिर, साहीवाल, राठी, देओनी, थारपरकर, रेड सिंधी का प्रयोग करके नॉन डिस्क्रिप्ट गोपशुओं का उन्नयन तथा (ड.) प्राकृतिक सेवाओं के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का वितरण।

#### 3.3.11.2.4 घटक:

3.3.11.2.4.1 इस योजना के अंतर्गत निधियां निम्नलिखित के लिए आबंटित की जाती हैं: (क) उच्च आनुवंशिक गुणता वाली स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के लिए सांड माता फार्मों का सुदृढ़ीकरण; (ख) प्रजनन ट्रेक्ट में फील्ड निष्पादन रिकार्डिंग (एफपीआर) की स्थापना; (ग) सर्वोत्तम जर्मप्लाज़्म के भंडार वाली संस्थाओं/संस्थानों को सहायता; (घ) बहुत बड़ी आबादी वाली देसी नस्लों के लिए नस्ल चयन कार्यक्रम का कार्यान्वयन; (ड.) प्रजनक

सोसाइटियों: गोपालन संघ की स्थापना; (च) प्राकृतिक सेवा के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का वितरण; (छ) देसी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं का पालन करने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन; (ज) एकीकृत देसी गोपशु केंद्रों अर्थात् गौकुल ग्राम की स्थापना; (झ) हीफर पालन कार्यक्रम, किसानों (गोपाल रत्न) तथा प्रजनक सोसाइटियों को ईनाम ("कामधेनु"); (त्र) देसी नस्लों के लिए दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिताएं आयोजित करना; तथा (ट) देसी गोपशुओं के विकास में लगे संस्थानों/संस्थाओं में कार्य कर रहे तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।



### 3.3.11.2.5 वर्तमान स्थिति:

3.3.11.2.5.1 17 राज्यों से प्राप्त 19 परियोजनाओं को 377.83 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ अनुमोदित किया जा चुका है। इसमें से, 123.22 करोड़ रुपए 2014-15 के दौरान जारी किए जाने के लिए अनुमोदित किए जा चुके हैं।

### 3.3.11.3 राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र:

3.3.11.3.1 देसी नस्लों के विकास, संरक्षण और परिरक्षण के लिए समग्र और वैज्ञानिक आधार पर देसी नस्लों के विकास और संरक्षण के एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उत्तरी और दक्षिणी भारत में एक-एक राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उत्पादकता तथा

आनुवंशिक गुणता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी देसी बोवाईन नस्लों (37 गोपशु तथा 13 भैंसे), मिथुन और याक के एक न्यूक्लियस पशु यूथ को संरक्षित और विकसित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 50.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

3.3.11.3.2 राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र, देसी जर्मप्लाज़्म का भण्डार होने के साथ-साथ देश में प्रमाणित जर्मप्लाज़्म का स्रोत भी होगा। सांडों के रूप में उत्कृष्ट प्रमाणित जर्मप्लाज़्म कृत्रिम गर्भाधान तथा प्राकृतिक सेवाओं, हीफर, नर तथा मादा बछड़ों, वीर्य खुराकों तथा भ्रूणों को किसानों, प्रजनकों तथा देसी नस्लों को पालने वाले प्रजनक संगठनों को उपलब्ध करवाया जाएगा।

## 3.4 राष्ट्रीय पशुधन मिशन

3.4.1 डेयरी और कुक्कुट सेक्टरों में प्राप्त सफलता को दोहराते हुए सभी प्रजातियों और क्षेत्रों में पशुधन सेक्टर के धारणीय और सतत विकास के लिए बारहवीं योजना के दौरान 2800 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ किया गया था। यह मिशन पशुधन सेक्टर के धारणीय विकास, गुणवत्तापूर्ण आहार तथा चारे की उपलब्धता में सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, क्रेडिट के उन्नत प्रवाह तथा पशुधन किसानों/पालकों के संगठन के उद्देश्य से निम्नलिखित 4 उप-मिशनों के साथ तैयार किया गया:

- I. पशुधन विकास संबंधी उप-मिशन
- II. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सूअर विकास संबंधी उप-मिशन
- III. आहार तथा चारा विकास संबंधी उप-मिशन
- IV. कौशल विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण और विस्तार संबंधी उप-मिशन।

3.4.2 इसमें मोटे तौर पर पशुधन उत्पादन प्रणालियों में परिणात्मक तथा गुणात्मक सुधार करने तथा सभी पणधारियों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां कवर की गई हैं। इस मिशन के प्रमुख परिणामों में पशुधन पालन को एक व्यापार मॉडल के रूप में मुख्य धारा में लाने तथा 5-6 प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त करने के लिए सफल व्यापार उद्यमों के साथ संपर्क स्थापित करने, दुर्लभ पौषणिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग-चारे की मांग तथा उपलब्धता के

अंतर को कम करना, देसी नस्लों का संरक्षण और सुधार, धारणीय तथा पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से उच्चतर उत्पादकता और उत्पादन, आजीविका के बढ़े हुए अवसर, विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में तथा भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों के लिए, अधिक जागरूकता, उन्नत जोखिम कवरेज तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण पशु-उत्पादों की बेहतर उपलब्धता तथा पशुधन पालकों के समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान की परिकल्पना की गई है।

### 3.4.3 पशुधन विकास संबंधी उप-मिशन

#### 3.4.3.1 जोखिम प्रबंधन और बीमा

3.4.3.1.1 एनएलएम के पशुधन विकास संबंधी उप-मिशन के रूप में जोखिम प्रबंधन तथा बीमा का उद्देश्य किसानों को उनके पशुओं की आकस्मिक मृत्यु के कारण होने वाली हानि से बचने के लिए सुरक्षा तंत्र प्रदान करके जोखिमों और अनिश्चितताओं का प्रबंधन करना और लोगों को पशुधन के बीमा के लाभ के बारे में बताना है।

3.4.3.1.2 एनएलएम के पशुधन विकास संबंधी उप-घटक के रूप में जोखिम प्रबंधन और बीमा 21.5.2014 से देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जाना है और यदि विद्यमान जिलों में से कोई नए जिले बनाए जाते हैं तो नए जिलों को भी कवर किया जाएगा। देसी/वर्णसंकरित दुधारू पशु, झुंड में रहने वाले पशु (घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, पोनी, तथा गोपशु/भैंस नर) तथा अन्य पशुधन (बकरी, भेड़, सूअर, खरगोश, याक तथा मिथुन) जोखिम प्रबंधन तथा बीमा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होंगे। सब्सिडी के लाभ को सभी पशुओं के लिए 5 पशु प्रति लाभार्थी प्रति घर तक सीमित किया जाएगा। भेड़, बकरी, सूअर तथा खरगोश के मामले में सब्सिडी के लाभ को गोपशु यूनिट के आधार पर सीमित किया जाएगा तथा 1 गोपशु यूनिट 10 पशुओं, अर्थात् भेड़, बकरी, सूअर तथा खरगोश के बराबर है। अतः भेड़ बकरी, सूअर तथा खरगोश के हेतु सब्सिडी के लाभ को 5 गोपशु यूनिट प्रति लाभार्थी प्रति घर तक सीमित किया जाएगा। यदि किसी लाभार्थी के पास 5 पशुओं/1 गोपशु यूनिट से कम पशु है, तो वह भी सब्सिडी का लाभ उठा सकता है।

3.4.3.1.3 इस योजना के अंतर्गत निधियां प्रीमियम सब्सिडी, पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनरों तथा प्रचार-प्रसार आदि के

भुगतान हेतु उपयोग की जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 20.74 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है तथा 2014-15 के दौरान दिसम्बर, 2014 तक 10 लाख पशुओं का बीमा कर दिया गया है।



#### 3.4.3.2 कुक्कुट

##### 3.4.3.2.1 कुक्कुट विकास

3.4.3.2.1.1 भारत में कुक्कुट सेक्टर सरकार की नीतिगत पहलों तथा निजी सेक्टर की दृढ़ता के कारण दीर्घावधि में प्रगति करता जा रहा है लोगों की बढ़ती क्रय शक्ति तथा खाद्य संबंधी बदलती आदतों जैसी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण इस सेक्टर में घरेलू खपत बढ़ी है और 10वीं तथा 11वीं योजना दोनों में अंडों की वार्षिक विकास दर लगभग 6 प्रतिशत रही है।

3.4.3.2.1.2 सरकार द्वारा घरेलू कुक्कुट सेक्टर में समयोचित हस्तक्षेप के कारण देश के किसान देसी पक्षियों के पालन से कम आदान वाले प्रौद्योगिकी पक्षियों के पालन तक पहुंच गए हैं जिससे चूजों के विकास में तेजी आई है, प्रति पक्षी और अधिक अंडे, प्रजनन क्षमता में वृद्धि, कम मृत्युदर, उत्कृष्ट आहार रूपांतरण सुनिश्चित हुआ है तथा इसके परिणामस्वरूप

ग्रामीण गरीब व्यक्तियों को धारणीय लाभ तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

3.4.3.2.1.3 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 10 अक्टूबर, 2014 को विश्व अंडा दिवस मनाने में सहायता की। निजी व्यावसायियों और राज्य सरकारों के बीच राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति भारतीय कुक्कुट परिसंघ आदि को शामिल करते हुए और हितधारकों के साथ समन्वय करते हुए अंडों के पौषणिक मूल्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि करने और इसके महत्व पर विशेष बल देने के लिए विभाग द्वारा लगातार दूसरी बार इसे आयोजित किया गया है। यह समारोह चंडीगढ़, पुणे और हैदराबाद में अत्यधिक सफलता के साथ मनाया गया।

3.4.3.2.1.4 विभाग ने चण्डीगढ़ में स्थित अपने केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन के ज़रिए अच्छी प्रणालियां और चिकेन का कल्याण के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिनमें पूरे देश से कुक्कुट विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

3.4.3.2.3.1.5 कुक्कुट से संबंधित निम्नलिखित घटक राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अधीन क्रियान्वित की जाती है:

### 3.4.3.2.2 प्रजनन अवसंरचना का आधुनिकीकरण और विकास:

#### 3.4.3.2.2.1 केंद्रीय फार्म: केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन

3.4.3.2.2.1.1 चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई और हैस्सरघट्टा क्षेत्रों में स्थित चार केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन कुक्कुट के संबंध में सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संगठनों के दायित्व का विशेष



पंजाब ब्राऊन

रूप से पुनर्निर्मुखीकरण किया गया है ताकि बेहतर देसी पक्षियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जो औसतन प्रति वर्ष 180–200 अंडे देते हैं और आहार उपभोग तथा भार लाभ के संदर्भ में इन्होंने तेजी से आहार परिवर्तन अनुपात में सुधार किया है।

3.4.3.2.2.1.2 इन केंद्रीय विकास संगठनों में किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि उनकी तकनीकी क्षमता का उन्नयन किया जा सके। विभिन्न कुक्कुट प्रबंधन पद्धतियों को बेहतर ढंग से और गहराई से समझने के लिए एक सप्ताह का एक नया प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है और इसमें घरेलू कुक्कुट पालकों के अतिरिक्त छोटी जोत के उद्यमियों और किसानों की आवश्यकताएं भी कवर होंगी। केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, एवं प्रशिक्षण संस्थान हैस्सरघट्टा देश और विदेश के सेवारत कार्मिकों को प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहा है।



कड़कनाथ



कावेरी



चान

3.4.3.2.2.1.3 केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, कुक्कुट से इतर प्रजातियों जैसे बत्तखों, जापानी क्वेल आदि के साथ विविधीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

3.4.3.2.2.1.4 सीपीडीओ (एनआर), चण्डीगढ़ द्वारा हाल ही में ग्रामीण कुक्कुट पालन के लिए उपयुक्त मांस और अण्डा उत्पादन के लिए चान (चण्डीगढ़ नेकड नेक) एक नई द्वि-उद्देश्य निम्न आदान प्रौद्योगिकी पक्षी है।

3.4.3.2.2.1.5 सरकारी फार्मों में स्वयं खाना और

पीने को अपनाने का अध्ययन करने के लिए सीपीडीओएण्डटीआई, बंगलूरु में पायलट परियोजना के रूप में पक्षियों को खिलाने और पिलाने के लिए एक विस्तृत स्वचालित तंत्र स्थापित किया गया है। बेल्जियम से एक सिस्टम आयात किया गया था और वितरण के लिए स्वचालित अनाज खाली करने की पूर्व सूचना देने वाले प्रत्येक 1500 की क्षमता के दो शेड्स शामिल हैं। इस सिस्टम के खिलाने, आहार मात्रा में बचत, गुणवत्तापूर्ण पीने का पानी स्वयं दवा का प्रयोग आदि में बहुत लाभदायक है, जोकि पक्षियों के सम्पूर्ण स्वास्थ्य स्थिति के लिए उत्पादकता, स्वास्थ्य स्तर में सुधार और अच्छे गुणवत्तापूर्ण कूड़ा करकट में वृद्धि करेगा।

3.4.3.2.2.1.6 2 अक्टूबर, 2014 को इन सभी संगठनों में स्वच्छ भारत अभियान संबंधी आयोजन किया गया।



विश्व अण्डा दिवस

स्वचालित सिस्टम

3.4.3.2.2.1.7 गुड़गांव में स्थित केंद्रीय कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र को लेअर तथा ब्रायलर किस्मों के परीक्षण का उत्तरदायित्व दिया गया है। यह केंद्र देश भर में उपलब्ध विभिन्न आनुवंशिक स्टॉक संबंधी मूल्यवान सूचना देता है। अभी तक इस संगठन में 42 ब्रायलर तथा 24 लेअर परीक्षण किए गए हैं।

3.4.3.2.3.1.8 वर्ष 2014-15 के दौरान, अभी तक लगभग क्रमशः 0.64 लाख और 9.09 लाख मूल स्टॉक वाले चूजे तथा वाणिज्यिक चूजे सीपीडीओ द्वारा आपूर्ति किए गए हैं। लगभग 1,778 किसान और प्रशिक्षक प्रशिक्षित किए गए हैं तथा लगभग 3,688 आहार नमूनों की जांच की गई है।

### 3.4.3.2.2.2 राज्य/विश्वविद्यालय फार्मों की प्रजनन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

3.4.3.2.2.2.1 इसका उद्देश्य विद्यमान राज्य कुक्कुट फार्मों का सुदृढ़ीकरण करना है ताकि अनुसंधान

संस्थाओं/प्रयोगशालाओं से उपयुक्त जर्मप्लाज़्म बुनियादी स्तर पर उपलब्ध करवाया जा सके और साथ ही राज्य कुक्कुट फार्मों की क्षमता निर्माण के माध्यम से अन्य तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा सकें; तथा अनुपूरक आय सृजन तथा परिवार पोषण के लिए परिवार कुक्कुट प्रणाली सहित विभिन्न प्रकार की कुक्कुट प्रणाली के लिए ज़मीनी स्तर पर पद्धतियों के पैकेज विकसित व कार्यान्वित किए जा सकें।

3.4.3.2.2.2.2 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ही जा रही सहायता में से 75 प्रतिशत केंद्र का हिस्सा है। दीर्घावधिक धारणीयता सुनिश्चित करने के लिए सुकर संचालन रखरखाव हेतु इन फार्मों को एक बारगी संचालन/परिक्रामी निधि दी गई है।

3.4.3.2.2.2.3 इस वर्ष के दौरान अभी तक इस घटक के अंतर्गत 7 राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता दी जा चुकी है (05-01-2015 तक)।

### 3.4.3.2.2.3 उत्पादकता सर्वोर्धन हेतु हस्तक्षेप

3.4.3.2.2.3.1 ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास: इस घटक में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अनुपूरक आय तथा पौषणिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए लाभार्थियों को कवर करने की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अभी तक लगभग 0.92 लाख गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को कवर करने के लिए वित्त पोषण किया गया है (05-01-2015 की स्थिति के अनुसार)।

### 3.4.3.3 जुगाली करने वाले छोटे पशु, मीट तथा सूअर

3.4.3.3.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत 2014-15 के दौरान सरकारी भेड़/बकरी प्रजनन फार्मों के सुदृढ़ीकरण के लिए हरियाणा (115.5 लाख रुपए), पश्चिम बंगाल (35.40 लाख रुपए), नागालैण्ड (40 लाख रुपए) तथा ओडिशा (24.75 लाख रुपए) राज्यों को कुल 215.65 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

3.4.3.3.2 एनएलएम के अंतर्गत, 2014-15 के दौरान 2 सरकारी सूअर प्रजनन फार्मों को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा (57.38 लाख रुपए) तथा तमिलनाडु (48.75 लाख रुपए) राज्यों को कुल 106.13 लाख रुपए जारी किए गए।

3.4.3.3.3 एनएलएम के उद्यमिता विकास तथा रोजगार

सृजन घटक के अंतर्गत उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में कुक्कुट, सूअर तथा भेड़/बकरी पालन और प्रजनन यूनिटें स्थापित करने हेतु निधियों की चैनलीकृत करने के लिए नाबार्ड को 9,265.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

3.4.3.3.4 दिसम्बर, 2014 तक महिलाओं, गरीब और सीमांत किसानों में उद्यमता विकास तथा रोजगार सृजन हेतु कुक्कुट (1593), सूअर (3005) तथा भेड़/बकरी (9084) यूनिटों की स्थापना हेतु कुल 13,682 लाभार्थियों को सहायता दी गई है।

### 3.3.3.3.5 केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)

3.4.3.3.5.1 चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान फार्म की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य मैकेनिकल भेड़ पालन में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए और विभिन्न राज्य भेड़ पालन फार्मों को वितरित करने के लिए अनुकूल विदेशी भेड़ों का उत्पादन करना है। समय के साथ-साथ और विशेषज्ञों की सिफारिशों से, वर्ण संकरित भेड़ों (नली X रामब्यूलेट और सोनाडी X कोरिडेल) के साथ-साथ बीतल बकरी का उत्पादन करने के लिए फार्म के प्रजनन कार्यक्रम को संशोधित किया गया।

3.4.3.3.5.2 2014-15 के दौरान, 31 दिसम्बर, 2014 तक, फार्म ने 783 मेढ़ों तथा 130 मृगों की आपूर्ति की। कुल 144 किसानों को भेड़ के बालों को मशीन से बाल कतरने और 377 किसानों को भेड़ प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया गया।

### 3.4.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूअर विकास संबंधी उप-मिशन

3.4.4.1 इस उप-मिशन के अंतर्गत मेघालय (108.00 लाख रुपए) तथा नागालैण्ड (60 लाख रुपए) में 5 सरकारी सूअर प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए कुल 168 लाख रुपए जारी किए गए। इसके अलावा, सूअर की महत्वपूर्ण बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नागालैण्ड सरकार को 30.00 लाख रुपए की राशि भी जारी की गई है।

### 3.4.5 आहार और चारा विकास उप-मिशन

3.4.5.1 विश्व के केवल 2.29% भूमि क्षेत्र के साथ भारत लगभग 10.71% पशुधन हैं। मौजूदा पशुधन को आहार देने के लिए देश आहार और चारे की कमी का सामना कर रहा है। नेबकांस द्वारा 2007 में लगाए गए अनुमान के अनुसार, आहार और चारे की उपलब्धता, आवश्यकता और कमी निम्नानुसार है:

(सूखी वस्तुएं मिलियन टन में)

| क्र.सं. | चारा के प्रकार | मांग | उपलब्धता | अंतर      |
|---------|----------------|------|----------|-----------|
| 1.      | सूखा चारा      | 416  | 253      | 163 (40%) |
| 2.      | हरा चारा       | 222  | 143      | 79 (36%)  |
| 3.      | सादरण          | 53   | 23       | 30 (57%)  |

स्रोत: नेबकांस-2007

3.4.5.2 आहार और चारे का पौषकीय मान पशुधन की उत्पादकता में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आहार और चारे की कमी के प्रमुख कारण हैं, खाद्यानों, तिलहनों और दालों को उगाने के लिए भूमि पर बढ़ता दबाव, चारे के उत्पादन के लिए फसलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही, कृषि अपशिष्टों का विविधीकृत उपयोग के द्वारा चारागाह भूमि क्रमशः सीमित होती गई है। चारे की खेती के अधीन क्षेत्र भी सीमित है। अधिकांश चराई भूमि का या तो निम्नीकरण कर दिया गया है या अधिग्रहण कर लिया गया है जिससे पशुधन

को चरने के लिए भूमि की उपलब्धता सीमित हो गई है। चारे की खेती के अधीन क्षेत्र फसली क्षेत्र का केवल लगभग 4 प्रतिशत है और पिछले चार दशकों से यह स्थिर बना हुआ है। खाद्य फसलों और अन्य नकदी फसलों को दिए जाने वाले महत्व के परिणामस्वरूप इस बात की बहुत कम संभावना है कि चारे की खेती के अधीन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि होगी।

3.4.5.3 यद्यपि पिछले दशक में आहार और चारे की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, तथापि, विशेष रूप से कमी वाली अवधि के दौरान और संकट की स्थिति में देश में

चारे की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को पाटने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

3.4.5.4 आहार और चारे की कमी पर काबू पाने और पशुधन आहार के पौष्टिक मान में वृद्धि करने के लिए इस विभाग में 2014-15 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन में आहार और चारा विकास उप-मिशन शामिल किया है।

3.4.5.5 इसके अलावा, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत आठ क्षेत्रीय चारा केन्द्र देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। उनके उद्देश्य हैं:-

- (क) वर्तमान फसल चक्र में चारा फसलों को शामिल करना।
- (ख) उगाई गई चारा फसलों के उत्पादन में उर्वरकों, जल तथा भूमि प्रबंधन के प्रयोग हेतु उत्कृष्ट पद्धतियों का प्रदर्शन तथा चारा फसलों और घास की नई और उदीयमान प्रजातियों के संबद्ध में इन पद्धतियों का अध्ययन किया।
- (ग) क्षेत्र के अनुकूल चारा कैलेण्डर तैयार करना।
- (घ) ग्राम चराई भूमि तथा प्राकृतिक चारागाहों के सुधार तथा प्रबंधन का प्रदर्शन तथा चारा फसलों के संबंध में उनका अध्ययन तथा उनका उपयुक्त उपयोग।

(ड.) चारा संरक्षण तथा उपयोग के विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन।

(च) आगे और अधिक गुणन तथा वितरण के लिए चारा फसलों के उच्च गुणवत्तापूर्ण मूल बीजों का उत्पादन।

(छ) राज्य सरकार के पदधारियों तथा डेयरी किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक कार्यक्रम आयोजित करना।

(ज) किसान मेले/क्षेत्र दिवस आयोजित करना।

3.4.5.6 आठ क्षेत्रीय चारा केन्द्र हैसरघट्टा (बंगलौर), मम्मीदापल्ली, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), गांधी नगर (गुजरात), हिसार (हरियाणा), सूरतगढ़ (राजस्थान), सुहामा (जम्मू और कश्मीर), अलमाधी (तमिलनाडु) तथा कल्याणी (पश्चिम बंगाल)।

3.4.5.7 इस वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2014 तक इन केन्द्रों ने 315.28 टन चारा बीज उत्पादित किए हैं, 9,660 प्रदर्शन आयोजित किए हैं तथा 149 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 139 किसान मेले/फील्ड दिवस आयोजित किए हैं।

3.4.5.8 वर्ष 2014-15 के दौरान (31 दिसम्बर, 2014 तक) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत वास्तविक घटकवार उपलब्धि तालिका 3.3 में दी गई है:

**तालिका 3.3 राष्ट्रीय पशुधन मिशन - आहार तथा चारा विकास संबंधी उप-मिशन के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान वास्तविक घटकवार उपलब्धि।**

| क्र.सं. | घटक का नाम  | लाभार्थी  | सहायता का पैटर्न | 31.12.2014 तक वास्तविक उपलब्धि |
|---------|---|---|------------------|--------------------------------|
| 1       | गैर-वनीय आर्द्रभूमि/रेंजभूमि/घासभूमि/ गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन (हे.) | पशुपालन राज्य विभाग/ कृषि/ वन, दुग्ध सहकारिताएं/ परिसंघ, गौशालायें। तथापि निधियां राज्य सरकार के जरिए जारी की जायेंगी।  | 75:25            | ---                            |
| 2       | वन भूमि से चारा उत्पादन (हे)  | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का वन विभाग   | 75:25            | ---                            |
| 3       | चारा बीज उत्पादन/खरीद और वितरण (मि टन)  | राज्यों के पशुपालन विभाग/ कृषि विभाग। राज्य गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, निगमों, दुग्ध सहकारितायें/ परिसंघों/ केन्द्रीय और राज्य कृषि अथवा पशुचिकित्सा कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों को बीजों की आपूर्ति के लिए शामिल कर सकते हैं। | 75:25            | 33221 किंवटल                   |

| क्र.सं. | घटक का नाम   | लाभार्थी   | सहायता का पैटर्न                             | 31.12.2014 तक वास्तविक उपलब्धि |
|---------|--|--|--|--------------------------------|
| 4 (i)   | हस्तचालित चॉफ कटर का वितरण (संख्या में)  | किसान तथा दुग्ध सहकारिताओं के सदस्य  | 75:25 अथवा अधिकतम 3,750 रूपए (केंद्रीय भाग)  | 24049 सं.                      |
| (ii)    | विद्युतचालित चॉफ कटर का वितरण (संख्या)   | किसान तथा दुग्ध सहकारिताओं के सदस्य  | 50:50 अथवा अधिकतम 10,000 रूपए (केंद्रीय भाग) | 8161 सं.                       |
| (iii)   | उच्च क्षमता वाले चारा ब्लॉक बनाने वाली यूनितों की स्थापना (सं.)  | पशुपालन विभाग, दुग्ध परिसंघ, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, निजी उद्यमी तथा गैर-सरकारी संगठन।   | 75:25 (लोक)<br>50:50 (निजी)                  | 2                              |
| (iv)    | न्यूनतम क्षमता वाले, ट्रैक्टर पर चढ़ाए जाने वाले चारा ब्लॉक बनाने वाली यूनितों/हेबेलिंग मशीन/रीपर/चारा हार्वेस्टर (संख्या) | संबंधित राज्य विभाग के जरिये ग्राम पंचायतें/ प्राथमिक दुग्ध सहकारितायें/ संयुक्त वन प्रबंधन समितियां। निधियों को संबंधित राज्य सरकारों के जरिये जारी किया जाएगा। | 75:25 (लोक)<br>50:50 (निजी)                  | —                              |
| (v)     | साइलेज बनाने वाली यूनितों की स्थापना (सं.)   | किसान (दुग्ध परिसंघों के सदस्यों सहित)   | 75:25  | 2072 सं.                       |
| (vi)    | बाईपास प्रोटीन/वसा निर्माण यूनितों की स्थापना (संख्या)   | पशुपालन विभाग, दुग्ध परिसंघ, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, निजी उद्यमी तथा गैर-सरकारी संगठन।   | 75:25 (लोक)<br>25:75 (निजी)                  | 3                              |
| (vii)   | क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण/आहार प्रसंस्करण यूनितों की स्थापना (संख्या)  | दुग्ध परिसंघों सहित सरकारी निकाय/ विश्वविद्यालय/ निगम/ बोर्ड   | 75:25 (लोक)<br>25:75                         | —                              |
| (viii)  | आहार परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/आधुनिकीकरण (संख्या)   | पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, दुग्ध परिसंघ, पशुपालन विभाग। तथापि, निधियां संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाएंगी।                            | 75:25  | 5                              |

### 3.4.6 कौशल विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण तथा विस्तार संबंधी उप-मिशन:

3.4.6.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत पणधारियों को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों तथा पद्धतियों को अपनाने के उद्देश्य से कौशल विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण तथा विस्तार संबंधी उप-मिशन प्रारम्भ किया गया है। यह उप-मिशन किसानों, शोधकर्ताओं तथा विस्तार कामगारों इत्यादि के सहयोग से फ्रंटलाइन फील्ड प्रदर्शनों सहित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने, अपनाने अथवा

अनुकूल बनाने के लिए उन सभी स्थितियों में एक मंच प्रदान करेगा जहां विद्यमान व्यवस्थाओं द्वारा ऐसा करना संभव नहीं है।

3.4.6.2 इस उप-मिशन के घटक हैं पशुधन विस्तार के लिए आईईसी सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पशुधन किसान समूह/प्रजनक एसोसिएशन, पशुधन मेला/प्रदर्शन का आयोजन, क्षेत्रीय पशुधन मेला, किसान फील्ड विद्यालयों का संचालन, पशुधन विस्तार समन्वयकों के लिए प्रदर्शन दौरे, पशुधन विस्तार के किसान और स्टाफ घटक के लिए प्रदर्शन दौरे।

3.4.6.3 उपर्युक्त घटकों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रारम्भ करने के लिए 13.28 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

### 3.5 पशुधन स्वास्थ्य

3.5.1 वर्ण-संकरण संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से पशुधन की गुणवत्ता में सुधार से इन पशुओं की विदेशी बीमारियों सहित विभिन्न बीमारियों के प्रति अति संवेदनशीलता बढ़ी है। रुग्णता दर तथा मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा संचल पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों सहित पॉलीटेक्निक/पशु चिकित्सा अस्पतालों, डिस्पेंसरियों तथा प्राथमिक सहायता केन्द्रों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रेफरल सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में विद्यमान रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के अलावा एक केन्द्रीय तथा पांच क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं जो अब पूरी तरह से कार्य कर रही हैं। इसके अलावा, प्रमुख पशुधन और कुक्कुट रोगों के प्रोफाईलैक्टिक टीकाकरण द्वारा नियंत्रण हेतु टीकों की अपेक्षित मात्रा देश के 27 पशु चिकित्सा टीका उत्पादन यूनिटों में तैयार की जा रही है, जिसमें 20 निजी सेक्टर की यूनिटें भी शामिल हैं।

3.5.2 यद्यपि देश में पशुधन का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए, बीमारियों के एक देश से दूसरे देश में फैलने से रोकने के लिए और पशु चिकित्सा संबंधी औषधियों और संरूपणों के मानक बनाए रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वर्तमान में, भारतीय औषध नियंत्रण महानिदेशक इस विभाग के साथ परामर्श करके पशु चिकित्सा औषधियों और जैविकियों की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। पशुधन स्वास्थ्य और पशु रोग नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

### 3.6 पशु स्वास्थ्य निदेशालय

#### 3.6.1 पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा

3.6.1.1 इस सेवा का उद्देश्य पशुधन तथा पशुधन से संबंधित उत्पादों के आयात को विनियमित करके तथा पशुधन एवं पशुधन से सम्बद्ध उत्पादों, जिसका निर्यात भारत से किया जाता है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्यात प्रमाणीकरण प्रदान करके भारत में पशु रोगों के

प्रवेश को रोकना है। देश में छः पशु संगरोध केन्द्र हैं जिनमें से नई दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई तथा कोलकाता स्थित चार मौजूदा संगरोध केन्द्र अपने परिसरों में सुचारु रूप से कार्यरत हैं जिसमें एक छोटी प्रयोगशाला शामिल है। हैदराबाद और बंगलौर स्थित अन्य नये दो पशुसंगरोध केन्द्र इस समय एयरपोर्ट कार्यालयों से कार्य कर रहे हैं जहां से कुक्कुट, पालतू पशुओं, प्रयोगशाला पशुओं के आयातित मूल स्टॉक (जीपी) और पशुधन उत्पादों का वास्तविक सत्यापन करने के बाद क्लीयर किया जाता है। हैदराबाद में संगरोध केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है बंगलौर स्थित संगरोध केंद्र पूरा होने के निकट है। इस योजना से मैड-काऊ रोग (बीएसई), अफ्रीकन स्वाइन फीवर, संक्रामक इक्वीन मेट्रीटिस जैसे कई विदेशी रोगों के प्रवेश को रोकने में सहयोग मिला है। 2014-15 के दौरान (दिसम्बर, 2014 तक) पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा स्टेशनों के क्रियाकलापों का विवरण अनुबंध-XI में दिया गया है।

#### 3.6.2 राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र, बागपत

3.6.2.1 बागपत, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (सीसीएसएनआईएच) स्थापित किया गया है ताकि टीकों और जैविकों की गुणवत्ता की जांच की जा सके। संस्थान ने काम करना शुरू कर दिया है और वह निम्नलिखित गतिविधिया चला रहा है:

- क) एलपीबी-ईएलआईएसए और टीकों की स्टरीलिटी द्वारा सीरम नमूनों का परीक्षण करके एफएमडी टीकों का गुणवत्ता आश्वासन का परीक्षण करने की सुविधाओं के साथ वायरोलोजी प्रयोगशाला को कार्यात्मक बना दिया गया है।
- ख) बी क्यू एच एस तथा एंटरो-टॉक्सिमिया टीकों का परीक्षण करने के लिए बैक्टीरियोलोजी प्रयोगशाला को कार्यात्मक बना दिया गया है।
- ग) न्यूकैसल रोग टीका (जीवंत), संक्रामक बुरसल रोग (आईबीडी) टीके के लिए परीक्षणों के मानकीकरण के साथ कुक्कुट टीका-परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।
- घ) क्लीनिकल पैथोलॉजी सहित पैथोलॉजी प्रयोगशाला कार्य कर रही है।

### 3.6.3 केन्द्रीय/क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं

3.6.3.1 राज्यों में मौजूदा 250 रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के अलावा रैफरल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक केन्द्रीय तथा पाँच क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर का पशुरोग अनुसंधान और निदान केन्द्र (सीएडीआरएडी) केन्द्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला (सीडीडीएल) के रूप में कार्य कर रहा है। रोग विश्लेषण प्रयोगशाला, पुणे, पशु स्वास्थ्य और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान, कोलकाता, पशु स्वास्थ्य और जैविक संस्थान, बंगलौर तथा पशु स्वास्थ्य संस्थान, जालंधर और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान, खानपाड़ा, गुवाहाटी क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए रेफरल प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। जालंधर, बंगलौर, कोलकाता और इज्जतनगर, बरेली स्थित प्रयोगशालाओं को पूर्व-निर्मित बीएसएल-3 प्रयोगशालाओं से सुदृढ़ किया गया है जबकि मोबाइल बीएसएल-3 प्रयोगशाला एनईआरडीडीएल, गुवाहाटी को दी गई है। ये क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं (आरडीडीएल) देश में एवियन इन्फ्लूएंजा सहित विभिन्न पशुधन और कुक्कुट रोगों की निगरानी और निदान में बहुत सहायक रही हैं।



### 3.7 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण

3.7.1 पशुधन स्वास्थ्य के मुद्दे का कारगर ढंग से समाधान करने के लिए विभाग केन्द्रीय प्रायोजित योजना “पशुधन

स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण” के माध्यम से सहायता प्रदान करने के जरिए राज्य सरकारों के क्रियाकलापों को संपूर्ण कर रहा है। इस योजना के से निम्नलिखित मुख्य घटक हैं:

- (क) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी)
- (ख) व्यावसायिक दक्षता विकास (पीईडी)
- (ग) पशु प्लेग निगरानी और मानीटरिंग परियोजना (एनपीआरएसएम)
- (घ) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी)
- (ङ) राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली (एनएडीआरएस)
- (च) पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंटस नियंत्रण कार्यक्रम (पीपीआरसीपी)
- (छ) पशु चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी)
- (ज) ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (ब्रूसेलोसिस-सीपी)
- (झ) क्लासिकल स्वाइन ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम (सीएसएफ-सीपी)

इन घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

### 3.7.2 पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

3.7.2.1 इस घटक के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन एवं कुक्कुट रोगों को प्रतिरक्षण के जरिए नियंत्रित करने, मौजूदा राज्य पशुचिकित्सा जैवकीय उत्पादन एककों के सुदृढ़ीकरण, मौजूदा रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा पशुचिकित्सकों एवं पैरा-पशुचिकित्सकों को सेवाधीन प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2013-14 के दौरान, 250 मिलियन टीकों के लक्ष्य की तुलना में करीब 360.55 मिलियन टीके लगाए गए हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान 250 मिलियन टीकों के लक्ष्य की तुलना में (दिसम्बर, 2014 तक) लगभग 227.65 मिलियन टीके लगाए गए हैं। इसके अलावा, कार्यक्रम में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से विभिन्न पशुधन और कुक्कुट रोगों के प्रकोप पर सूचना एकत्र करने और इसे पूरे देश के संबंध में संकलित करने की व्यवस्था है। मुख्यालयों में संकलित सूचना प्रत्येक छमाही के आधार पर विश्व पशु स्वास्थ्य

संगठन (ओआईई) को अधिसूचित की जाती है। अंततः इस गतिविधि को एनएडीआरएस के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा, जो अभी स्थिरीकरण प्रक्रिया के अधीन है। भारत में वर्ष 2014 के दौरान पशुधन और कुक्कुट रोगों के प्रकोप का विवरण **अनुबंध—XII** में दिया गया है।

### 3.7.3 व्यावसायिक दक्षता विकास (पीईडी)

3.7.3.1 व्यावसायिक दक्षता विकास में केंद्र में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय पशुचिकित्सा परिषद की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है जिन्होंने भारतीय पशुचिकित्सक अधिनियम, 1984 अपना लिया है। इस योजना का उद्देश्य पशुचिकित्सा प्रणालियों को विनियमित करना और पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनरों के रजिस्टर का रखरखाव करना है। इस प्रयोजन के लिए, केंद्र में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद और उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य पशुचिकित्सा परिषदों की स्थापना करने का प्रावधान है जहां भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम, 1984 का विस्तार किया गया है। वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय पशुचिकित्सक अधिनियम, 1984 अपना लिया है।

3.7.3.2 इस अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम, 1984 की धारा 4 के साथ पठित उसकी धारा 3 के उपबंधों के और दिनांक 23 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना के अनुसार भारतीय पशुचिकित्सा परिषद नियमावली, 1985 के नियम 23 के उपबंधों के अनुसार सदस्यों को नामित करके केंद्रीय सरकार (कृषि मंत्रालय) ने सदस्यों को नामित करके दिनांक 2 अगस्त, 1989 की गजट अधिसूचना सं. का.आ. 2051 द्वारा पहली बार भारतीय पशुचिकित्सा परिषद का गठन किया।

### 3.7.4 राष्ट्रीय पशुप्लेग निगरानी और मॉनिटरिंग परियोजना (एनपीआरएसएम)

3.7.4.1 इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश को क्रमशः मई, 2006 और मई, 2007 में पशुप्लेग और सीबीपीपी संक्रमण से हासिल मुक्ति को कायम रखने के लिए अपेक्षित निगरानी बनाए रखने हेतु पशुचिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करना है।

3.7.4.2 पशुप्लेग और संक्रामक फ्लूरो न्यूमोनिया जैसे रोगों

से मुक्ति की भारत की स्थिति को कायम रखने के लिए संक्रामक बोवाईन फ्लूटो निमोनिया (सीबीपीपी) तथा बोवाईन स्पांजीफार्म एनसी फैलोपेथि (बीएसई) पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिंड्रोमिक रोग सहित विभिन्न पशु रोगों की निगरानी की जा रही है। रोग मुक्ति की स्थिति को बरकरार रखने के लिए वास्तविक निगरानी राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों प्रदेशों के पशुपालन विभागों के स्टाफ की सहायता से रखी जा रही है।

3.7.4.3 दिनांक 27.2.2014 के प्रशासनिक अनुमोदन द्वारा इस घटक का नाम बदल कर राष्ट्रीय पशुप्लेग निगरानी और मानीटरिंग परियोजना (एनपीआरएसएम) कर दिया गया है।

### 3.7.5 खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी)

3.7.5.1 खुरपका और मुंहपका रोग के कारण हुई आर्थिक हानियों को रोकने तथा फटे हुए खुरों वाले पशुओं में प्रतिरक्षण विकसित करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषण से जिसमें टीके की लागत, कोल्ड चेन का रखरखाव और टीकाकरण के लिए अन्य लाजिस्टिक सहायता संबंधी खर्चे शामिल हैं, 313 चुने हुए जिलों में खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम नामक एक अवस्थिति विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारें अन्य अवस्थापना सुविधाएं तथा जनशक्ति मुहैया करा रही है। अतः आज की स्थिति के अनुसार एफएमडी आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, पुडुचेरी, दिल्ली, अण्डमान और निकोबार, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयनाधीन है। 2014-15 के दौरान बिहार को भी एफएमडी-सीपी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

3.7.5.2 वर्ष 2014-15 के दौरान, 162 मिलियन टीकों के लक्ष्य की तुलना में लगभग 166 मिलियन टीके लगाए गए हैं। 2014-15 के दौरान, 280 करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 237.25 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 31 दिसम्बर, 2014 तक इस कार्यक्रम के अधीन 197.015 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

### 3.7.6 राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली (एनएडीआरएस)

3.7.6.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पशु रोग सूचना प्रणाली को कारगर और सरल बनाने के उद्देश्य से, फील्ड स्तर से रोगों की सूचना के लिए वेब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली क्रियान्वित की गई है जिसे राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली कहा जाता है। यह केंद्रीय प्रायोजित योजना पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रणाली है और यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से क्रियान्वित की गई है। एनएडीआरएस का मुख्य उद्देश्य समय पर और तेजी से निवारक और उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ करने की दृष्टि से देश में पशुधन रोगों की स्थिति को रिकार्ड करना और मानीटर करना है। एनएडीआरएस में एक कंप्यूटरीकृत नेटवर्क है जो देश में प्रत्येक ब्लॉक, जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालयों को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय परियोजना मॉनिटरिंग यूनिट (सीपीएमयू) के साथ सम्बद्ध करता है। एनएडीआरएस एक वेब आधारित प्रणाली है जो ब्लॉक स्तर पर पशुचिकित्सा यूनिटों से पशु रोगों की उत्पत्ति के आंकड़ों की सूचना देगी।

3.7.6.2 एनएडीआरएस के माध्यम से प्राप्त पशु रोग आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय परियोजना मॉनिटरिंग यूनिट (सीपीएमयू) स्थापित किया गया है। इस योजना का फरवरी, 2013 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। विभाग ने पणधारियों से प्राप्त इन्पुट के आधार पर इसमें सुधार किया है। वीपीएनओबीबी कनेक्शन को ब्राडबैंड इंटरनेट (बीबी इंटरनेट) में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है ताकि रोग संबंधी डाटा का सुकर ट्रांसमिशन हो सके। उपभोक्ताओं को आशोधित संस्करण से परिचित करवाने के लिए एनआईसी मुख्यालय द्वारा आशोधित सॉफ्टवेयर संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया।

3.7.6.3 एनएडीआरएस के अधीन सूचित आंकड़े स्थिरीकरण चरण में है। वर्ष 2014-15 में एनएडीआरएस के लिए अनुमोदित परिव्यय 10.00 करोड़ रुपये तथा संशोधित अनुमान 10.87 करोड़ रुपये था जिसमें से 9.07 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

### 3.7.7 पेस्ट-ड्रेस पेटिट्स रूमिनेंट्स नियंत्रण कार्यक्रम (पीपीआर-सीपी)

3.7.7.1 पेस्ट-ड्रेस-पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) एक वायरल रोग है जिसमें तेज बुखार, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल मार्ग में जलन जिसकी वजह से श्लेष्मल झिल्ली को नुकसान पहुंचता है और उसमें अल्सर हो जाता है, तथा अतिसार के लक्षण दिखाई देते हैं। पीपीआर संक्रमण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भेड़ और बकरियों में रूग्णता और मृत्यु दोनों रूपों में भारी नुकसान पहुंचाता है। वर्ष 2010 में 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के आधार पर पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रम जिसमें संवेदी पशुओं का गहन टीकाकरण शामिल है, शुरू किया गया है। कार्यक्रम में सभी संवेदी बकरियों और भेड़ों और उनकी तीन आने वाली पीढ़ियों का टीकाकरण शामिल है। पहले चरण में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा राज्यों और लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। दूसरे चरण में सारे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फरवरी, 2014 में शामिल किया गया।



3.7.7.2 वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग 260 लाख टीके लगाए गए। इस घटक के अधीन वर्ष 2014-15 के लिए 20.00 करोड़ रुपए का बजट अनुमान और 10.00 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान मुहैया किया गया है जिसमें से 31 दिसम्बर, 2014 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 9.20 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 2014-15 के दौरान (दिसम्बर, 2014 तक) इस कार्यक्रम के अधीन लगभग 124.42 लाख टीके लगाए गए।

### 3.7.8 ब्रूसेल्लोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (ब्रूसेल्लोसिस-सीपी)

3.7.8.1 ब्रूसेल्लोसिस जो कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जेनेटिक रोग है, देश के अधिकांश भागों में महामारी का रूप ले चुका है। यह पशुओं में गर्भपात और बांझपन का कारण बनता है। गर्भपात को रोकने से नई बछड़िया पैदा होंगी जिससे पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी और इस तरह दुग्ध उत्पादन में इजाफा होगा। यह नया घटक वर्ष 2010 में शुरू किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन इलाकों में जहां इस रोग का प्रकोप अधिक है। 6 से 8 मास की सभी मादा बछड़ियों के व्यापक टीकाकरण के लिए 100% केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

3.7.8.2 वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के रूप में 8.00 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान के रूप में 7.00 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई है जिसमें से 31 दिसम्बर, 2014 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.05 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखण्ड, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, आदि जैसे राज्यों में पात्र मादाओं को लगभग 15.41 लाख टीके लगाए गए हैं।

### 3.7.9 मौजूदा पशु चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढीकरण

3.7.9.1 नए पशु चिकित्सालयों और औषधालयों के लिए अवस्थापना सुविधाएं स्थापित करने तथा मौजूदा अस्पतालों और औषधालयों को सुदृढ/सुसज्जित करने में राज्यों की मदद करने के लिए विभाग 75:25 (केन्द्र: राज्य) की हिस्सेदारी के आधार पर धनराशि मुहैया करा रहा है। इसमें पूर्वोत्तर राज्य शामिल नहीं हैं जहां 90:10 के आधार पर अनुदान मुहैया कराया जाता है।

3.7.9.2 वर्ष 2014-15 के लिए क्रमशः बजट अनुमान 50.00 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान 20.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2014 तक 132 पशुचिकित्सालयों और 163 डिस्पेंसिरियों के निर्माण/नवीनीकरण के लिए 15.597 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। पशुचिकित्सा संस्थानों की राज्य वार सूची अनुबंध-XIII में दी गई है।

### 3.7.10 क्लासिकल स्वाइन ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम (सीएसएफ-सीपी)

3.7.10.1 सूअरों में सीएसएफ रोग के नियंत्रण के लिए 2014-15 के दौरान विद्यमान एलएच और डीसी योजना में क्लासिकल स्वाइन ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम (सीएसएफ-सीपी) नामक एक नया घटक शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों से प्रारम्भ करते हुए चरणबद्ध रूप से सूअरों की सम्पूर्ण पात्र संख्या के टीकाकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत के केन्द्रीय हिस्से के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं। टीकों की उपलब्धता के आधार पर बाद में पूरे देश को कवर करने के लिए इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाएगा। 2014-15 के दौरान तीन पूर्वोत्तर राज्यों को 1.43 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

### 3.8 एवियन इन्फ्लूएंजा: तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम

3.8.1 विभाग ने एवियन इन्फ्लूएंजा (एआई), जो बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एएससीएडी के अधीन वित्तीय सहायता दी जाती है। विभाग ने देश में एवियन इन्फ्लूएंजा के निवारण में ठोस प्रयासों के लिए एक संशोधित निगरानी योजना नवम्बर, 2013 में जारी की है। नवम्बर-दिसम्बर, 2014 में केरल और चंडीगढ़ में एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप के बारे में सूचित किया गया था जिस पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया गया था। इन प्रकोप केंद्रों पर कार्रवाई पश्चात निगरानी योजना चालू है।



### सारणी 3.4 जनवरी, 2015 तक एवियन इन्फ्लूएंजा का प्रकोप

| एपिसोड     | अवधि                   | प्रभावित राज्य              | प्रकोप के केन्द्रों की संख्या | मारे गए पक्षी (लाख में) | अदा की गई क्षतिपूर्ति (लाख रुपए में) |
|------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| पहला       | फरवरी—अप्रैल, 2006     | महाराष्ट्र                  | 28                            | 9.4                     | 270.00                               |
|            | फरवरी, 2006            | गुजरात                      | 1                             | 0.92                    | 32.00                                |
| दूसरा      | मार्च, 2006            | मध्य प्रदेश                 | 1                             | 0.09                    | 3.00                                 |
| तीसरा      | जुलाई, 2007            | मणिपुर                      | 1                             | 3.39                    | 94.00                                |
| चौथा       | जनवरी—मई, 2008         | पश्चिम बंगाल (पहला प्रकोप)  | 68                            | 42.62                   | 1229.00                              |
| पांचवा     | अप्रैल, 2008           | त्रिपुरा                    | 3                             | 1.93                    | 71.00                                |
| छठा        | नवम्बर—दिसम्बर, 2008   | असम                         | 18                            | 5.09                    | 170.00                               |
| सातवां     | दिसम्बर, 2008—मई, 2009 | पश्चिम बंगाल (दूसरा प्रकोप) | 11                            | 2.01                    | 36.00                                |
| आठवां      | जनवरी, 2009            | सिक्किम                     | 1                             | 0.04                    | 3.00                                 |
| नौवा       | जनवरी, 2010            | पश्चिम बंगाल (तीसरा प्रकोप) | 12                            | 1.56                    | 68.80                                |
| दसवां      | फरवरी—मार्च, 2011      | त्रिपुरा                    | 2                             | 0.21                    | 2.40                                 |
| ग्याहरवां  | 8 सितम्बर, 2011        | असम                         | 1                             | 0.15                    | 6.52                                 |
| बाहरवां    | 19 सितम्बर, 2011       | पश्चिम बंगाल                | 2                             | 0.49                    | 19.29                                |
| तेरहवां    | 11 जनवरी, 2012         | ओडिशा                       | 1                             | 0.32                    | 24.71                                |
| चौदहवां    | 13 जनवरी, 2012         | मेघालय                      | 1                             | 0.07                    | 7.89                                 |
| पन्द्रहवां | 17 जनवरी, 2012         | ओडिशा                       | 1                             | 0.11                    | 5.87                                 |
| सोलहवां    | 28 जनवरी, 2012         | त्रिपुरा                    | 1                             | 0.06                    | 1.20                                 |
| सत्रहवां   | 4 फरवरी, 2012          | ओडिशा                       | 1                             | 0.38                    | 2.86                                 |
| अठारहवां   | 15 मार्च, 2012         | त्रिपुरा                    | 1                             | 0.05                    | 0.09                                 |
| उन्नीसवां  | 28 अप्रैल, 2012        | त्रिपुरा                    | 1                             | 0.02                    | 0.72                                 |
| बीसवां     | 25 अक्टूबर, 2012       | कर्नाटक                     | 1                             | 0.33                    | Nil                                  |
| इक्कीसवां  | 8 अक्टूबर, 2013        | बिहार                       | 1                             | 0.06                    | 2.06                                 |
| बाइसवां    | 5 अगस्त, 2013          | छत्तसीगढ़                   | 2                             | 0.31                    | Nil                                  |
| तेईसवां    | नवम्बर—दिसम्बर, 2014   | केरल                        | 6                             | 2.77                    | 379.51                               |
| चौबीसवां   | 18 दिसम्बर, 2014       | चण्डीगढ़                    | 1                             | -                       | -                                    |
| कुल        |                        |                             | 167                           | 72.38                   | 2,429.92                             |

3.8.2 भारत सरकार ने एवियन इन्फ्लूएंजा के जारी प्रकोप के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में इसके प्रवेश को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (क) देश में एवियन इन्फ्लूएंजा के संबंध में निगरानी योजना नवम्बर, 2013 में तैयार की गई है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं आदि को कार्यान्वयन के लिए परिचालित की गई है।
- (ख) एवियन इन्फ्लूएंजा के लिए तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए कार्य योजना में 2012 में संशोधन किया गया था और यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

की सरकारों को कार्यान्वयन के लिए परिचालित की गई थी।

- (ग) 0—1 कि०मी० की परिधि में प्रभावित क्षेत्र की सभी कुक्कुटों को मारा जा रहा है।
- (घ) प्रयोगशालाओं के उन्नयन, मानवशक्ति के प्रशिक्षण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामग्रियों का स्टॉक बनाने के संदर्भ में भविष्य में किसी भी घटना का सामना करने के लिए तैयारियों का निरंतर सुदृढीकरण।
- (ङ) पशुचिकित्सा कर्मियों का तैयारी, नियंत्रण तथा रोकथाम संबंधी प्रशिक्षण जारी है। लगभग 90%

पशुचिकित्सा कार्यबल को नियंत्रण और रोकथाम कार्य में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, एवियन इन्फ्लूएंजा की शीघ्र सूचना देने के लिए 44,395 सामुदायिक कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया है।

- (च) एवियन इन्फ्लूएंजा के निदान को सुदृढ़ करने के लिए जालंधर, कोलकाता, बंगलौर और बरेली में प्रि-फैब्रीकेटिड बायो-सेपटी स्तर 3 (बीएसएल 3) प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रयोगशालाएं पहले से ही कार्य कर रही हैं। एनईआरडीडीएल गुवाहाटी को एक मोबाइल बीएसएल-3 प्रयोगशाला भी मुहैया की गई है और यह भी कार्य कर रही है। 23 राज्य रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं को बीएसएल 2 स्तर पर उन्नत किया जा रहा है। अठारह प्रयोगशालाओं ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है। शेष प्रयोगशालाएं पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।
- (छ) नियंत्रण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री के रिजर्व को विकसित कर लिया गया है और इसका आगे विस्तार किया जा रहा है।
- (ज) सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी) अभियानों के माध्यम से एवियन इन्फ्लूएंजा के संबंध में आम लोगों को सुग्राही बनाना।
- (झ) न केवल प्रकोपों बल्कि कुक्कुट में असामान्य बीमारी/मृत्यु तथा प्रयोगशाला निदानों के संबंध में भी सूचना देने के प्रति सुस्पष्ट दृष्टिकोण।
- (ञ) सभी राज्य सरकारों को रोग के प्रकोप, यदि कोई हो, के प्रति सतर्क रहने के लिए सावधान कर दिया गया है।
- (ट) एचपीएआई पॉजिटिव देशों से कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- (ठ) पड़ोसी देशों से सटे सीमा चेक पोस्टों को सुदृढ़ किया गया है।
- (ड) किसी भी स्थिति में तैयार रहने और रोग नियंत्रण, निगरानी और जैव सुरक्षा के महत्व के पर समय-समय पर राज्यों को परामर्श जारी किए गए हैं।

### 3.9 पशुपालन सांख्यिकी

3.9.1 “एकीकृत नमूना सर्वेक्षण” नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत किए गए “वार्षिक नमूना सर्वेक्षण” के

आधार पर दूध, अंडे, मीट व ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन का आकलन किया जाता है। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। योजना के तहत राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को पात्र पदों के लिए वेतन संबंधी खर्च का क्रमशः 50%, 90% और 100% केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित के लिए भी मुहैया कराई जाती है: (1) परिगणकों और पर्यवेक्षकों को सर्वेक्षण के लिए निर्धारित दर पर यात्रा/मंहगाई भत्ते के लिए (2) पशुधन सेक्टर में प्रणालियों के अध्ययन और विकास हेतु (3) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सोल्यूशनों के लिए और आईएसएस प्रणाली के संबंध में पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु।

3.9.2 वार्षिक सर्वेक्षण मार्च से फरवरी तक आयोजित किए जाते हैं। “पशुपालन और डेयरी सांख्यिकी के उन्नयन के लिए निर्देश संबंधी तकनीकी समिति (टीसीडी)” योजना के संचालन में विभाग को दिशानिर्देशित करती है। सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पशुपालन/भेड़ पालन निदेशक, चार चुनिंदा राज्यों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक, सीएसओ और एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), आनन्द, एनडीआरआई, आईएसएसआरआई और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जैसी अन्य स्वायत्त एजेंसियों के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं। महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इस समिति के अध्यक्ष हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एम एल पी के अवधि— वार और साथ ही वार्षिक अनुमान भी संकलित करते हैं। एमएलपी के अवधि वार एवं वार्षिक आकड़ों पर टीसीडी की बैठक में विचार-विमर्श किया जाता है। अंतिम टीसीडी श्री ए.के. मेहरा, महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में 24-25 जुलाई, 2014 को पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी। तदनुसार, इन अनुमानों को विभाग के वार्षिक प्रकाशन “मूल पशुपालन तथा मात्स्यिकी सांख्यिकी (बीएएचएण्डएफएस)” में प्रकाशित किया जाता है। “मूल पशुपालन तथा मात्स्यिकी सांख्यिकी

(बीएच और एफएस)–2014” प्रकाशक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हुआ है।

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है और इस विभागकी वेबसाइट पर अपलोड है।

### 3.10 पशुधन संगणना

3.10.1 प्रथम पशुधन संगणना 1919–20 में आयोजित की गई थी और तब से यह भारत में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। यह एकमात्र ऐसा स्रोत है जो फार्म पशुओं और कुक्कुट पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के संबंध में सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है। विभाग ने 15.10.2012 की संदर्भ तारीख के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभागों के माध्यम से देश में 15 सितम्बर, 2012 को 19वीं पशुधन संगणना आरंभ की है। 19वीं पशुधन संगणना की रिपोर्ट प्रकाशित और विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। 19वीं पशुधन संगणना की राज्यवार रिपोर्ट भी सक्षम

3.10.2 देश में पहली बार नस्ल सर्वेक्षण 18वीं पशुधन संगणना, 2007 के साथ प्रारंभ किया गया था और 18वीं पशुधन संगणना के अनंतिम नतीजे 2010 में जारी किए गए हैं। 18वीं संगणना के दौरान डाटा संकलित करने में आई असामान्य समस्याओं को देखते हुए तकनीकी समिति ने 19वीं पशुधन संगणना तथा नस्ल सर्वेक्षण को अलग-अलग करने का सुझाव दिया है। तदनुसार, सभी उप-जिलों में 15 प्रतिशत नमूना गांवों में नस्ल सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया गया था। इस सर्वेक्षण से संबंधित फील्ड कार्य, डाटा एंट्री तथा डाटा वैधकीकरण से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है तथा रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

## अध्याय 4



## डेयरी विकास



## अध्याय 4

### डेयरी विकास

4.1 भारतीय डेयरी क्षेत्र का पिछले वर्षों में पर्याप्त विकास हुआ है। विवेकशील नीतिगत हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप भारत ने 2012-13 में दूध के 132.43 मिलियन टन उत्पादन के मुकाबले 2013-14 में दूध का उत्पादन बढ़ाकर 137.68 मिलियन टन करके और 3.96 प्रतिशत की वृद्धि की और इस प्रकार भारत विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में पहला स्थान रखता है। वर्ष 2014-15 में देश में दूध का उत्पादन लगभग 142 मिलियन टन होने की आशा है। यह बढ़ती हुई आबादी के लिए दूध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता में हो रही सतत वृद्धि का द्योतक है।

4.2 डेयरी लाखों ग्रामीण परिवारों की आय का एक महत्वपूर्ण द्वितीय स्रोत बन गया है और उन लाखों लोगों, विशेष रूप से महिला किसानों और सीमांत किसानों के लिए रोजगार और आय के अवसर जुटाने में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2013-14 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 307 ग्राम प्रतिदिन के स्तर तक पहुंच गई है जो 294 ग्राम प्रतिदिन की विश्व औसत से अधिक है। देश में अधिकांश दूध का उत्पादन छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों द्वारा किया जाता है। मार्च 2014 तक लगभग 15.46 मिलियन किसानों को 1,62,186 ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों के तहत लाया गया है। सहकारी दुग्ध संघों ने पिछले वर्ष के 33.5 मिलियन कि.ग्रा. की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 34.2 मिलियन कि.ग्रा. दूध प्रति दिन के औसत से खरीदा है और 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। सहकारी सेक्टर द्वारा तरल दूध की बिक्री वर्ष 2013-14 के दौरान 29.4 मिलियन लीटर प्रतिदिन पहुंच गई है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 5.8 प्रतिशत अधिक है।

4.3 डेयरी क्षेत्र में विभाग के प्रयास गैर-ऑपरेशन फलड क्षेत्रों में डेयरी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है जिसमें दुग्ध और दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता उत्पादन करने के लिए राज्यों में सहकारिताओं की ढांचागत संरचना तैयार करना, रुग्ण डेयरी सहकारी संघों का पुनरुत्थान करना तथा मूलभूत सुविधाओं का सृजन करना शामिल है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ऑपरेशन फलड क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपनी गतिविधि

याओं को जारी रख रहा है। इस विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही डेयरी विकास योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित है:

#### 4.4 राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीबीबीएण्डडीडी)

4.4.1 चार चल रही योजनाओं, नामतः सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीपी), गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण (एसआईक्यू- सीएमपी), सहकारिताओं को सहायता तथा राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) का विलय करने के पश्चात राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीबीबीएण्डडीडी) नामक एक नई पुनर्गठित योजना फरवरी, 2014 को प्रारंभ की गई थी। इसे 12वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु 1800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रदान किया गया है। इस योजना के दो घटक होंगे—(क) राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम (एनपीबीबी) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

##### 4.4.2 राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम (एनपीबीबी):

- (क) किसानों के द्वार तक गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की व्यवस्था करना
- (ख) उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले जर्मप्लाज़्म का प्रयोग करके कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक सेवा के माध्यम से सभी प्रजनन योग्य मादाओं को संगठित प्रजनन के अंतर्गत लाना
- (ग) उच्च सामाजिक-आर्थिक महत्ता वाली चयनित स्वदेशी बोवाइन नस्लों का संरक्षण, विकास तथा प्रसार।
- (घ) नस्लों को घास तथा लुप्त होने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के प्रजनन ट्रैक्टों में गुणवत्तापूर्ण प्रजनन आदान प्रदान करना।

##### 4.4.3 राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी):

- (क) उपभोक्ता से किसान तक संपर्क स्थापित करते हुए गुणवत्तापूर्ण दूध के उत्पादन हेतु शीत श्रृंखला

अवसंरचना सहित अवसंरचना का सृजन और सुदृढ़ीकरण;

- (ख) दूध के प्रापण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना का सृजन और सुदृढ़ीकरण;
- (ग) डेयरी किसानों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना सृजित करना;
- (घ) ग्राम स्तर पर डेयरी सहकारी सोसाइटियों/उत्पादक कम्पनियों को सुदृढ़ करना;
- (ङ.) गोपशु आहार तथा खनिज मिश्रण इत्यादि जैसी तकनीकी आदान सेवाएं प्रदान करके दूध के उत्पादन को बढ़ाना;
- (च) संभावित रूप से व्यवहार्य दुग्ध परिसंघों/संघों के पुनर्वास में सहायता;

#### 4.4.4 एनपीबीबी के अंतर्गत उपलब्धियां

4.4.4.1 31 दिसम्बर, 2014 तक 659.25 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 16 राज्यों में 16 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2014 तक 204 करोड़ रुपए के बजट अनुमान तथा 161.50 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान वाले बजट प्रावीणान के मुकाबले इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 130.61 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

#### 4.4.5 एनपीडीडी के अंतर्गत उपलब्धियां

4.4.5.1 96.45 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ चार राज्यों में 8 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, दिसम्बर, 2014 तक 105 करोड़ रुपए के बजट अनुमान तथा 85 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान वाले बजट प्रावीणान के मुकाबले इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 33.97 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की जा चुकी है।

#### 4.4.6 गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी)

4.4.6.1 गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) नामक योजना को गैर ऑपरेशन फलड, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में 100 प्रतिशत अनुदान सहायता आधार पर 1993-94 में आरंभ किया गया था। इस योजना को मार्च, 2005 में अशोधित किया गया था और इसे सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) का नाम दिया गया था। (यह योजना फरवरी 2014 में शुरू की गई "राष्ट्रीय बोवाईन

प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम" नामक नई योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है)।

4.4.6.2 योजना की शुरुआत से, 114 योजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। इनमें से 60 परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं तथा 54 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 31.12.2014 तक कुल 716.40 करोड़ रुपए की लागत से 27 राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र में 264 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के आत्महत्या संभावित जिलों के लिए "पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी के लिए विशेष पैकेज" हेतु चार परियोजनाएं शामिल हैं। 31.12.2014 तक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए संगत राज्य सरकार तथा दुग्ध संघ/परिसंघों को कुल 592.05 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इन परियोजनाओं से प्रतिदिन 38 लाख कि.ग्राम दूध की अधिप्राप्ति तथा 29.12 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के विपणन द्वारा विभिन्न राज्यों के 41,362 गांवों के 38.33 लाख कृषकों को लाभ हुआ है। इस योजना के तहत 31.12.2014 तक 36.52 लाख लीटर दूध की प्रतिदिन चिलिंग क्षमता तथा 41.52 लाख लीटर दूध प्रतिदिन की प्रसंस्करण क्षमता सृजित की गई है।

#### 4.4.7 सहकारिताओं को सहायता

4.4.7.1 बीमार डेयरी सहकारिताओं को पुनर्जीवन देने के उद्देश्य से जनवरी, 2000 में केंद्रीय सेक्टर योजना के रूप में सहकारिताओं को सहायता आरंभ की गई थी। यह घाटे वाले दुग्ध संघों को केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच 50:50 साझेदारी के आधार पर अनुदान सहायता प्रदान करती है। इसे एनडीडीबी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और बीमार दुग्ध संघों की पुनर्जीवित करने की योजनाओं को संगत दुग्ध संघों के साथ विचार विमर्श करके एनडीडीबी द्वारा तैयार किया गया है। प्रत्येक पुनर्वास योजना को इस



तरह से तैयार किया जाता है कि बीमार सहकारिता का निवल मूल्य इस योजना के अनुमोदित होने की तिथि से 7 वर्षों की अवधि के अन्दर सकारात्मक हो जाएगा। (यह योजना फरवरी 2014 में शुरू की गई “राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन तथा डेयरी विकास” नामक नई योजना में विलय कर दिया गया है।)

4.4.7.2 सहकारिताओं को सहायता योजना के आरंभ से, 289.64 करोड़ रुपए की कुल लागत तथा 144.81 करोड़ रुपए की 50 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ 42 दुग्ध संघों के पुनर्वास प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। 31 दिसम्बर, 2014 तक इसमें से 127.66 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी की गई है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, 27 दुग्ध संघों के संबंध में सात वर्ष की पुनर्वास अवधि समाप्त हो चुकी है। इनमें से 12 दुग्ध संघों ने सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त कर लिया है जबकि 7 दुग्ध संघ लाभ कमा रहे हैं, परन्तु अभी तक उन्होंने सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त नहीं किया है। 8 दुग्ध संघ अभी भी हानि उठा रहे हैं और उनका निवल मूल्य नकारात्मक है। शेष 15 दुग्ध संघों में से, 11 अन्य सात वर्ष की पुनर्वास अवधि के पूरा होने से पहले सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त कर लेने की संभावना है।

#### 4.4.8 गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना

4.4.8.1 घरेलू बाजार में दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और अंतराष्ट्रीय बाजार में दुग्ध उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए, विभाग ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अक्टूबर, 2003 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना नामतः गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण आरम्भ की थी। (यह योजना फरवरी 2014 में शुरू की गई “राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम” नामक नई योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।)

4.4.8.2 शुरुआत से, विभाग ने 31 दिसम्बर, 2014 तक 288.36 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी के साथ 345.01 करोड़ रुपए की कुल लागत से 22 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करते हुए 176 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। इन में से 119 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और शेष 57 परियोजनाएं क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2013-14 (दिसम्बर, 2014 तक) 247.33 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। लगभग

7.66 लाख किसान सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 50.37 लाख लीटर की कुल चिलिंग क्षमता वाले 2425 बल्क दूध कूलर लगाए गए हैं और 1850 मौजूदा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है।

### 4.5 डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना

4.5.1 सितम्बर, 2010 में डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डीईडीएस) नामक एक योजना देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, डेयरी क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाना तथा स्व-रोजगार के अवसरों के माध्यम से गरीबी के उपशमन में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना नाबार्ड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक तथा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के लाभार्थियों को परियोजना लागत के 33.33 प्रतिशत तक की बैंक एंडिड कैपिटल सब्सिडी के साथ वाणिज्यिक रूप से बैंक ग्राह्य परियोजनाओं को वाणिज्यिक, सहकारी, शहरी तथा ग्रामीण बैंकों के ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 12वीं योजना के दौरान इस योजना को कुछ आशोधनों तथा 1400 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के साथ जारी रखने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

4.5.2 इसके प्रारंभ होने से लेकर अब तक जारी 871.29 करोड़ रुपए की कुल राशि में से नाबार्ड ने 31 दिसम्बर, 2014 तक 2,24,402 डेयरी यूनितें स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को 823.14 करोड़ रुपए बैंक एंडिड सब्सिडी के रूप में वितरित कर दिए हैं।

### 4.6 राष्ट्रीय डेयरी योजना

4.6.1 2242 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली एक केन्द्रीय सेक्टर की योजना, राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-1 (एनडीपी-1) को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 14 प्रमुख डेयरी राज्यों में अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों (ईआईए) के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है:

- दुधारु पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करना ताकि दूध की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दूध के उत्पादन में वृद्धि की जा सके।
- संगठित दुग्ध-प्रसंस्करण क्षेत्र तक ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की और अधिक पहुंच बढ़ाने में सहायता करना।

#### 4.6.2 एनडीपी-I के अंतर्गत वित्तपोषित की जारी प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

| गतिविधि  | प्रमुख आउटपुट  |
|--|--|
| उच्च आनुवंशिक गुणता (एचजीएम) वाले गोपशु तथा नर भैंसों का उत्पादन         | <ul style="list-style-type: none"> <li>2500 एचजीएम सांडों का उत्पादन</li> <li>400 विदेशी सांडों/समकक्ष भूणों का आयात</li> </ul>  |
| 'क' और 'ख' श्रेणी के वीर्य केंद्रों का सुदृढीकरण                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>अंतिम वर्ष में 100 मिलियन वार्षिक वीर्य खुराकों का उत्पादन</li> </ul>   |
| द्वार पर व्यवहार्य कृत्रिम गर्भाधान डिलिवरी सेवाओं के लिए प्रायोगिक मॉडल | <ul style="list-style-type: none"> <li>अंतिम वर्ष तक 3000 एमआईटी द्वारा द्वार पर 4 मिलियन वार्षिक कृत्रिम गर्भाधान किए गए।</li> </ul>                                    |
| राशन संतुलन कार्यक्रम  | <ul style="list-style-type: none"> <li>40000 गांवों में 2.7 मिलियन दुधारू पशुओं की कवरेज</li> </ul>  |
| चारा विकास कार्यक्रम   | <ul style="list-style-type: none"> <li>7500 टन प्रमाणित/सत्यतापूर्ण लेबल किए गए चारा बीजों का उत्पादन</li> <li>1350 साइलेज बनाने/चारा संरक्षण संबंधी प्रदर्शन</li> </ul> |
| ग्राम स्तर पर दुग्ध प्रापण प्रणाली का सुदृढीकरण और विस्तार               | <ul style="list-style-type: none"> <li>23,800 अतिरिक्त गांव तथा 1.2 मिलियन अतिरिक्त दुग्ध उत्पादक कवर किए जाएंगे।</li> </ul>   |
| परियोजना प्रबंधन तथा जानकारी   | <ul style="list-style-type: none"> <li>आंकड़े एकत्र करने संबंधी मानीटरिंग, जानकारी तथा मूल्यांकन प्रणाली, उसका विश्लेषण तथा व्याख्या</li> </ul>                          |

4.6.3 एनडीपी-I के फोकस क्षेत्र वाले सभी 14 प्रमुख डेयरी राज्यों (तेलंगाना बनने के बाद 15 राज्यों) तथा उत्तराखंड ने एनडीपी-I के सफल कार्यान्वयन के लिए एक सुकर वातावरण सृजित करने के लिए प्रमुख नीतिगत/नियामक उपाय प्रारंभ करने संबंधी अनुपालना हेतु एक समय सीमा को मान लिया है उसके प्रतिवचनबद्ध हो गए हैं।

4.6.4 दिसम्बर, 2014 तक 1,477.62 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 16 राज्यों से प्राप्त 118 अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों की 267 उप परियोजना 118 अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों (एसपीपी) को अनुमोदित कर दिया गया है, जिसमें परियोजना प्रबंधन और जानकारी संबंधी 17 परियोजनाएं शामिल हैं जिसमें लगभग 24 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय आता है। कुल अनुमोदनों में से, 1252.30 करोड़ रुपए अनुदान सहायता तथा 225.32 करोड़ रुपए ईआईए का अंशदान होगा।

4.6.5 प्रारंभ से, एनडीपी चरण-I के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एनडाडीबी को 408.60 करोड़ रुपये (चालू वर्ष के दौरान 141.81 करोड़ रुपए समेत) की कुल राशि जारी की गई है। दिसम्बर, 2014 तक उप-परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा परियोजना प्रबंधन और जानकारी संबंधी गतिविधियों के लिए ईआईए को 338 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

### 4.7 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

#### 4.7.1 पशु प्रजनन संबंधी गतिविधियां

4.7.1.1 उच्च गुणवत्तायुक्त तथा रोगमुक्त वीर्य खुराकों

के उत्पादन के लिए विभिन्न नस्लों के रोगमुक्त एचजीएम सांडों की मांग को पूरा करने के लिए एनडीपी-I के अंतर्गत संतति परीक्षण (पीटी) तथा नस्ल चयन (पीएस) कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य इस परियोजना अवधि की समाप्ति तक देश भर के हिमिंत वीर्य केंद्रों के लिए एचजीएम सांडों की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2500 एचजीएम सांडों का उत्पादन करना है। विद्यमान वीर्य केंद्रों को भी उच्च गुणवत्ता वाले रोगमुक्त हिमिंत वीर्य खुराकों के उत्पादन हेतु सुदृढ़ किया जा रहा है।

4.7.1.2 एनडीपी-I के अंतर्गत पीटी कार्यक्रम के तहत 13 उप-परियोजनाओं को कवर करने की योजना थी और दिसम्बर, 2014 तक 12 ईआईए की सभी 13 उप-परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और वे 9 राज्यों में काम कर रही हैं। पीटी कार्यक्रम के अंतर्गत नस्लें निम्नानुसार हैं:

| संतति परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कवर गोपशु नस्लें | संतति परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कवर भैंसों की नस्लें |
|---|---|
| शुद्ध होल्स्टीन फ्रीज़ियन                           | मेहसाना   |
| वर्ण संकरित होल्स्टीन फ्रीज़ियन                     | मुराह   |
| वर्ण संकरित जर्सी                                   |   |

4.7.1.3 दिसम्बर, 2014 तक 185 सांडों का वीर्य खुराकों के उत्पादन के लिए वीर्य केंद्रों पर वितरण हेतु उपलब्ध करा दिए गए हैं। विभिन्न पीटी परियोजनाओं से उत्पन्न एचएफ,



एचएफ वर्ण संकरित गोपशु तथा मुरा और मेहसाना भैंस नस्लों के 80 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांड क और ख श्रेणी के सात वीर्य केंद्रों को उपलब्ध करा दिए गए हैं।

4.7.1.4 गोपशु तथा भैंस की देशी नस्लों को बचाने के लिए अभी तक देशी नस्ल विकास की 8 उप-परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। इन 8 अनुमोदित उप-परियोजनाओं से देश भर के वीर्य केंद्रों के लिए लगभग 390 सांड उपलब्ध होंगे। उप-परियोजनाओं ने वितरण हेतु 16 सांड उपलब्ध कराए हैं। पीएस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर नस्लें इस प्रकार ह:

| नस्ल चयन कार्यक्रम के अंतर्गत कवर गोपशु नस्लें | नस्ल चयन कार्यक्रम के अंतर्गत कवर भैंस की नस्लें |
|--|--|
| गिर  | जाफराबादी  |
| कंकरेज   | पंढरपुरी   |
| हरियाणा  | नीली रावी  |
| राठी   |  |
| थारपरकर  |  |

4.7.1.5 रोगमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली वीर्य खुराकों के उत्पादन के लिए दिसम्बर, 2014 तक 13 राज्यों की 18 ईआईए की कुल 21 उप-परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। ये वीर्य केंद्र मिलकर 2016-17 तक 90 मिलियन खुराकें प्रतिवर्ष उत्पादित करेंगे। एसएजी, बिदाज में 85 सीएमटी क्षमता का एक बायो-गैस संयंत्र भी प्रारंभ हो गया है।

4.7.1.6 भ्रूण अंतरण के माध्यमसे सांड बछड़ों के उत्पादन के लिए सांडों तथा भ्रूणों के आयात के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।

4.7.1.7 द्वार पर व्यवहार्य कृत्रिम गर्भाधान डिलिवरी सेवा हेतु प्रायोगिक मॉडल प्रारंभ करने के लिए दो उप-परियोजनाओं

को अनुमोदित कर दिया गया है जिनमें 730 सचल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों द्वारा 4,868 गांवों को कवर किया जाएगा। दिसम्बर, 2014 तक 3288 गांवों में 555 एमएआईटी तैनात किए गए तथा 80000 कृत्रिम गर्भाधान किए गए।

## 4.7.2 पशु पोषण संबंधी गतिविधियां

4.7.2.1 दुधारु पशु अपनी आनुवंशिक क्षमता के अनुरूप

दूध का उत्पादन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए राशन संतुलन कार्यक्रम (आरबीपी) तथा चारा विकास कार्यक्रम (एफडीपी) कार्यान्वित किए जा रहे हैं। आरबीपी के अंतर्गत स्थानीय रूप से उपलब्ध आहार संसाधनों का प्रयोग करके एनडीडीबी द्वारा विकसित पशु उत्पादकता



तथा स्वास्थ्य हेतु सूचना तंत्र (आईएनएपीएच) नामक उपभोक्ता-अनुकूल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके स्थानीय संसाधन व्यक्ति (एलआरपी) द्वारा किसानों के द्वार पर न्यूनतम लागत वाला संतुलित राशन तैयार किया जाता है। चारा विकास के अंतर्गत, प्रमाणित/सत्यतापूर्ण लेबल किए गए चारा बीजों के संवर्धन के साथ मोवर, बायो मास बंकर, साइलेज बनाने संबंधी क्षेत्रीय प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

4.7.2.2 दिसम्बर, 2014 तक राशन संतुलन कार्यक्रम संबंधी 59 उप-परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। इन उप-परियोजनाओं ने 5,577 एलआरपी को प्रशिक्षित तथा शामिल किया है, 6,029 गांवों तथा लगभग 3.54 लाख पशुओं को कवर किया है। दुग्ध उत्पादकों ने प्रति किग्रा. दूध हेतु चारे की लागत में 11 प्रतिशत की औसत कमी की पुष्टि की है। मीथेन गैस स्रवण के संबंध में एनडीआरआई द्वारा करवाए गए अध्ययन में भी पता चला है कि इसमें 12 प्रतिशत की कमी आई है।

4.7.2.3 दिसम्बर, 2014 तक चारा विकास गतिविधि के अंतर्गत 51 उप-परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, माइक्रो-प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया था। दिसम्बर, 2014 तक साइलेज बनाने संबंधी 304 प्रदर्शन तथा मोवर संबंधी 263 प्रदर्शन किए जा चुके हैं। 11 बायोमास बंकर

निर्मित किए गए हैं। 5,119 मी.टन. उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित/लेबल बीज बेचे जा चुके हैं।

4.7.2.4 कृष्णा दूध संघ में एक बीज प्रसंस्करण संयंत्र प्रारंभ हो गया है। बीज संयंत्र के भवन निर्माण के लिए लखनऊ, कोलार, कोटा तथा रायचूर-बरेली दुग्ध संघ में कार्य प्रगति पर है और श्रीगंगानगर में घनत्वीकरण संयंत्र का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

### 4.7.3 ग्राम आधारित दुग्ध प्रापण प्रणाली

4.7.3.1 कवरेज को बढ़ाने के लिए/ बाज़ार तक पहुंच को बढ़ाने में दुग्ध उत्पादकों को समर्थ बनाने के लिए दूध का उचित तथा पारदर्शी तरीके से संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तरीय अवसंरचना प्रदान की जा रही है। इसमें भार तोलने की इलैक्ट्रॉनिक मशीन, डाटा प्रोसेसर आधारित स्वचालित दुग्ध संग्रहण यूनिट, दुग्ध कैन, दुग्ध संग्रहण अनुषंगियां तथा इलैक्ट्रॉनिक दूध टैस्टर इत्यादि शामिल हैं। कच्चे दूध की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास के रूप में 1472 से अधिक बल्क दूध कूलर अनुमोदित किए जा चुके हैं।

4.7.3.2 ग्राम आधारित दुग्ध प्रापण प्रणाली के अंतर्गत दिसम्बर, 2014 तक कुल 90 उप-परियोजनाओं (88 सहकारिताओं की तथा 2 उत्पादक कम्पनियों की) को अनुमोदित किया जा चुका है।

4.7.3.3 दिसम्बर, 2014 तक इस परियोजना के अंतर्गत 9492 गांवों को कवर किया जा चुका है तथा 2.91 लाख अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें से 1.12 लाख महिलाएं तथा 1.74 लाख छोटे धारक हैं।

### 4.7.4 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

4.7.4.1 उप-परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु ज्ञान के आधार और अपेक्षित कौशल का उन्नयन करने के लिए कृषकों, फील्ड कार्यकर्ताओं तथा ईआईए कार्मिकों के लिए



विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम एनडीडीबी अथवा ईआईए द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। डेयरी के माध्यम से महिला संशक्तीकरण पर एक राष्ट्रीय सिम्पोजियम आयोजित किया गया था। बोवाईन वीर्य उत्पादन तथा प्रसंस्करण पर एनडीडीबी, आणंद में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। दिसम्बर, 2014 तक विभिन्न वर्गों के 167,809 प्रतिभागियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा चुका है। ब्यौरा निम्नानुसार है:

| प्रतिभागी का वर्ग   | प्रशिक्षित किए गए प्रतिभागी |
|---------------------|-----------------------------|
| दुग्ध उत्पादक       | 141515                      |
| ग्राम स्रोत व्यक्ति | 18111                       |
| टेकनीशियन           | 1380                        |
| पर्यवेक्षक          | 157                         |
| कार्यकारी           | 2653                        |
| प्रबंधक             | 18                          |
| निदेशक मण्डल        | 3975                        |
| <b>कुल</b>          | <b>167809</b>               |

### 4.7.5 पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन

4.7.5.1 एनडीपी-। में कृषकों, फील्ड कार्यकर्ताओं तथा संस्थागत स्तरों पर की जा रही सभी गतिविधियों के लिए लैंगिक एकीकरण फोकस का मुख्य केंद्र रहा है।

4.7.5.2 दिसम्बर, 2014 तक वीबीएमपीएस, आरबीपी तथा एफडी हस्तक्षेपों के माध्यम से 1.69 लाख से अधिक महिला दुग्ध उत्पादकों को कवर किया गया है। दिसम्बर, 2014 तक 3053 नए डीसीएस/एमएमपी बनाए गए हैं जिनमें से 253 महिला डीसीएस हैं इसी प्रकार दिसम्बर, 2014 तक राशन संतुलन कार्यक्रम/प्रायोगिक कृत्रिम गर्भाधान डिलीवरी कार्यक्रम के तहत 16 प्रतिशत महिलाएं स्थानीय स्रोत व्यक्ति/एमएआईटी के रूप में कार्य कर रही हैं।

4.7.5.3 सामाजिक रूप से गैर-लाभ प्राप्त (एससी/एसटी) तथा आर्थिकरूप से पिछड़े (छोटे धारक) समूहों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर को बढ़ाया जा सके।

4.7.5.4 वीर्य केंद्रों के लिए बायो-मैडिकल बेस्ट प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं तथा वीर्य केंद्रों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को बायोमैडिकल वेस्ट के उपयुक्त निपटान संबंधी जानकारी दी गई थी।

4.7.5.5 किसानों में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, जूनॉटिक बीमारियों, बछड़ों की डिवार्मिंग, पशुओं को उपयुक्त आहार देने तथा उनका प्रबंधन करने के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम-स्तरीय विस्तार बैठकें तथा रेडियो/टेलिविज़न वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं।

#### 4.8 एनडीडीबी द्वारा पोस्ट अपरेशन प्लड तथा सहकारी आंदोलन का समेकन।

4.8.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) का मुख्यालय आनंद (गुजरात) में है और यह एक सांविधिक निकाय है। एनडीडीबी योजनाओं को बढ़ावा देता है तथा सहकारी पद्धति पर डेयरी तथा अन्य कृषि आधारित तथा संबद्ध उद्योगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है और साथ ही ऐसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता भी प्रदान करता है। एनडीडीबी की स्थापना 1965 में की गई थी। 1987 में एनडीडीबी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था तथा एक सांविधिक निकाय घोषित किया गया था।



#### 4.8.2 सहकारिताओं का सुदृढीकरण

4.8.2.1 वर्ष 2014-15 के दौरान, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी सहकारिताओं को सहकारी व्यापार को सुदृढ करने, उत्पादकता संवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन, डेयरी अवसंरचना का निर्माण करने और राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क तैयार करने के क्षेत्रों में तकनीकी और वित्तीय सहायता देना जारी रखा है। 31 दिसम्बर, 2014 तक 2,377.08 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय से परिप्रेक्ष्य योजना के तहत लगभग 102 डेयरी सहकारिताओं की निवेश योजनाओं को अनुमोदित किया गया था। इसमें से 1,633.47 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी।

#### 4.8.3 पशु पोषण और आहार प्रौद्योगिकी

4.8.3.1 डेयरी सहकारिताओं के तहत गोपशु चारा प्लांटों (सीएफपी) को उपलब्ध कराए गए निरंतर तकनीकी सहायता के परिणामस्वरूप दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आहार और आहार अनुपूरक उत्पादित किए गए थे। कई गोपशु चारा प्लांटों ने उच्च उत्पादक पशुओं,

बाईपास प्रोटीन आहार और व्यस्क बछड़ों का प्रारंभिक भोजन आहारों को उत्पादित और प्रचारित किया। वर्ष के दौरान, बाईपास वसा अनुपूरक के उत्पादन के लिए गोपशु आहार प्लांट, बानसकांठा, गुजरात में 6 टन प्रतिदिन क्षमता के एक बाईपास वसा प्लांट की स्थापना की गई थी।

4.8.3.2 क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण निरूपण को विकसित करने के लिए, झारखण्ड राज्य का खनिज मैपिंग कार्यक्रम पूर्ण किया गया था। झारखण्ड के विभिन्न कृषि जलवायु मंडलों से आहार, चारा और जल के नमूने एकत्रित किए गए थे और विभिन्न वृहत तथा सूक्ष्म खनिजों के लिए परीक्षण किया गया था। पशुओं के भोजन में कैल्सियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, जिंक और कोबाल्ट की कमी पाई गई थी। खनिज मैपिंग कार्यक्रम के परिणाम के आधार पर एक क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण निरूपण विकसित किया गया था। क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण के उत्पादन के लिए रांची में एक 12 टन प्रतिदिन क्षमता का खनिज मिश्रण प्लांट स्थापित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण के उत्पादन के लिए दो और खनिज मिश्रण प्लांट अमदालावलसा और निजामाबाद, आंध्र प्रदेश में स्थापित किए गए थे।

4.8.3.3 कमी के बावजूद देश के विभिन्न भागों में लिग्निफाईड जैव ईंधन जैसे सूती डंठल, सोयाबीन और मस्टर्ड स्ट्रॉ जलाया गया है। लिग्निफाईड जैव ईंधन को आसानी से कुचला जा सकता है और चारा पैलेट्स निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसको देखते हुए, 50% सोयाबीन और 50% केन्द्रित आहार तत्वों का प्रयोग करते हुए भूसा आधारित दूध देने वाली गायों पर परीक्षण किया गया था। भूसा आधारित आहार पैलेट्स डेयरी पशुओं के लिए स्वादिष्ट पाए गए थे और सोयाबीन भूसा आधारित आहार पैलेट्स के पशु चारे में प्रतिदिन आहार लागत सामान्य रूप से घट गई थी। भूसा आधार आहार पैलेटों का आवागमन और महत्वपूर्ण स्थानों पर इकट्ठा किया जा



सकता है तथा कमी अथवा प्राकृतिक आपदा के दौरान पूर्ण राशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

4.8.3.4 पशु की पोषण आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित आहार उत्पादन में बढ़ोत्तरी करेगा और उत्पादन की प्रति यूनिट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी करेगा। एनडीडीबी भारत के दक्षिणी भाग में दुग्ध उत्पादन और केन्द्रित मीथेन उत्सर्जन पर संतुलित राशन को खिलाने के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए क्षेत्रीय अध्ययन कर रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 35 दुग्ध श्रवण पूर्व संकर नस्ल गायों पर एक क्षेत्रीय अध्ययन किया गया था। संतुलित राशन देने पर 0.7 किग्रा. प्रतिदिन प्रति गाय द्वारा सही वसा दूध में सुधार हुआ, जबकि संकर नस्ल गायों में मीथेन उत्सर्जन (ग्रा./किग्रा. दुग्ध उत्पादन) 18.1% तक कम हुआ। चारा परिवर्तन क्षमता और नाइट्रोजन प्रयोग क्षमता में क्रमशः 0.8 से 1.0 और 0.22 से 0.27 का सुधार हुआ। इस प्रकार, उपलब्ध आहार संसाधनों सहित पोषकीय संतुलित राशन खिलाना भारत में बड़े रूमीनेट्स से जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण होगा।

4.8.3.5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि विश्वविद्यालयों से डेयरी सहकारिताओं को बीज गुणन श्रृंखला में उपलब्ध कराने के लिए मक्का, ज्वार, बरसीम, लूसर्न घास, जौ, काउपी, बाजरा और ग्वारफली के लगभग 9.78 टन प्रजनक बीज उपलब्ध कराए गए थे। उच्च उत्पादकता किस्मों/हाईब्रिड चारा फसलें और सिलेज निर्माण प्रक्रिया की उन्नत खेती प्रथाओं को किसानों और एनडीडीबी के चारा प्रदर्शन यूनिट (एफडीयू) के प्रशिक्षुओं को प्रदर्शित की गई थी। बारहमासी घासों जैसे हाईब्रिड नेपियर/गिनी घास की लगभग 1 लाख कटे हुए तने/जड़ें किसान उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत एफडीयू पर आने वाले किसानों को वितरित की गई थी। शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति कांटेरहित कैक्टस की रोपण सामग्री के त्वरित गुणन के लिए आनन्द कृषि विश्वविद्यालय के साथ कांटेरहित कैक्टस में सूक्ष्मप्रसार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया है।

#### 4.8.4 पशु प्रजनन

4.8.4.1 हालांकि विश्व में दुग्ध उत्पादन में देश प्रथम है और यहां डेयरी पशुओं की अत्यधिक जनसंख्या रखता है, लेकिन जब हम आधुनिक देशों में डेयरी पशुओं की

उत्पादकता से उनकी तुलना करते हैं प्रति पशु उत्पादकता बहुत भिन्न है। इसलिए एनडीपी-1 के तहत लिखत दुग्ध उत्पादन को प्राप्त करने के लिए डेयरी पशुओं की उन्नत उत्पादकता पर अत्यधिक जोर दिया गया है। पशुओं के प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधान (एआई) तकनीक सबसे किफायती उपकरण है, क्योंकि यह प्रजनन योग्य गोपशु और भैंस की बड़ी मात्रा को आनुवंशिक क्षमता के उन्नयन के लिए आनुवंशिकी सर्वश्रेष्ठ सांडों के पर्याप्त प्रयोग की अनुमति देता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रोगमुक्त उच्च गुणवत्तापूर्ण हिमिit वीर्य खुराकों के उत्पादन के लिए संतान परीक्षण (पीटी) और वंश चयन (पीएस) के जरिए डेयरी की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न गोपशु और भैंस नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुण (एचजीएम) के सांडों के उत्पादन के लिए एनडीपी-1 के तहत पहली बार बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक रूप से बनाए गए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसी प्रकार, सभी 'ए' और 'बी' ग्रेडेड हिमिit वीर्य केन्द्रों को योजना अवधि (अर्थात् 2016-17) के अन्त तक सभी प्रजनन योग्य पशु जनसंख्या को मौजूदा 24% से 35% के तहत एआई कवरेज में लाने के लिए आवश्यक 100 मिलियन रोगमुक्त उच्च गुणवत्तापूर्ण हिमिit वीर्य खुराकों के उत्पादन के लिए सुदृढीकरण किया जा रहा है।

4.8.4.2 दिसम्बर 2014 तक, पीटी कार्यक्रमों के जरिए उच्च आनुवंशिक गुणों (एचजीएम) के सांडों के उत्पादन के लिए 13 उप-परियोजना की योजनाएं 12 अन्तिम कार्यान्वयन एजेंसियों (ईआईए) नामतः कर्नाटक दुग्ध परिसंघ द्वारा हॉलस्टीन फ्रीजियन (एचएफ) गोपशु; साबरमती आश्रम गौशाला, बीएआईएफ विकास और अनुसंधान प्रतिष्ठान (बीएआईएफ), उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड (यूएलडीबी) और केरल पशुधन विकास बोर्ड (केएलडीबी) द्वारा संकर नस्ल एचएफ गोपशु; तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक परिसंघ (टीसीएमपीएफ) और आंध्र पशुधन विकास एजेंसी (एपीएलडीए) द्वारा संकर नस्ल जर्सी गोपशु; एसएजी, पंजाब पशुधन विकास बोर्ड (पीएलडीबी), पशु प्रजनन अनुसंधान संगठन (एबीआरओ) और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड (एचएलडीबी) द्वारा मुराह भैंस; तथा मेहसाणा दुग्ध संघ और बानसकांठा दुग्ध संघ द्वारा मेहसाणा भैंस कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की जा चुकी हैं।

4.8.4.3 नियत तिथि तक, पीएस के जरिए महत्वपूर्ण देशी दुधारु अथवा गोपशु और भैंसों की द्विउद्देशीय नस्लों को

उनके प्रजनन क्षेत्र में विकास और संरक्षण के लिए 8 उप परियोजना योजनाओं को 7 अन्तिम कार्यान्वयन एजेंसियों नामतः बानसकांठा दुग्ध संघ द्वारा कांकरेज गोपशु, एचएलडीबी द्वारा हरियाणा गोपशु, यूआरएमयूएल न्यास द्वारा राठी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड (आरएलडीबी) द्वारा थारपरकर गोपशु, महाराष्ट्र पशुधन विकास बोर्ड (एमएलडीबी) द्वारा पंढरपुरी भैंस, पीएलडीबी द्वारा नीली रावी भैंस तथा एसएजी द्वारा गिर गोपशु और जाफराबादी भैंस के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की गई हैं।

इसके अलावा, दो महत्वपूर्ण डेयरी नस्लों नामतः साहीवाल गोपशु और बन्नी भैंस पर पीएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियां चिन्हित की जा चुकी हैं और उप परियोजना योजनाएं तैयारी के अधीन हैं।

4.8.4.4 गुणवत्तापूर्ण एआई सेवाओं को प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण हिमित वीर्य की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 21 'ए' और 'बी' ग्रेडेड वीर्य केन्द्रों नामतः एनडीडीबी डेयरी सेवाओं द्वारा प्रबंधित एसएजी, बीदज और एबीसी, सेलन; तमिलनाडु पशुधन विकास एजेंसी (टीएनएलडीए) को जिला पशुधन फार्म (डीएलएफ) ऊटी, केएमएफ का नंदिनी वीर्य केन्द्र, हैस्सरघट्टा, जगुदान (गुजरात) में मेहसाणा दुग्ध संघ का वीर्य केन्द्र, नामा में पंजाब पशुधन विकास बोर्ड (बीएलडीबी) का वीर्य केन्द्र, हरिनघाटा और सलबोनी (पश्चिम बंगाल) में पश्चिम बंगा गो-सम्पद विकास संस्था (पीबीजीएसबीएस) का हिमित वीर्य सांड केन्द्र (एफएसबीएस) और बनवासी तथा करीमनगर (आंध्र प्रदेश) में आंध्र प्रदेश पशुधन विकास एजेंसी (एपीएलडीए) का एफएसबीएस, हैस्सरघट्टा में भारत सरकार का केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान (सीएफएसपी एंड टीआई), ऋषिकेश में उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड (यूएलडीबी) का गहन हिमित वीर्य उत्पादन केन्द्र (डीएफएसपीसी), मध्यप्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम (एमपीएसएल एंड पीडीसी) का केन्द्रीय वीर्य केन्द्र (सीएसएस), भोपाल और केरल पशुधन विकास बोर्ड का मडूपट्टी और धोनी वीर्य केन्द्र, अमूल अनुसंधान और विकास एसोसिएशन (एआरडीए) का केन्द्रीय वीर्य संग्रहण केन्द्र, गुजरात पशुधन विकास बोर्ड (जीएलडीबी) में राज्य हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान (एसएफएसपी एंड टीआई), बीएआईएफ विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान, उरुलीकंचन (महाराष्ट्र) में वीर्य केन्द्र और राजस्थान सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड (आरसीडीएफ), राजस्थान में हिमित वीर्य बैंक, बानसकांठा दुग्ध संघ

दमा वीर्य उत्पादन यूनिट (गुजरात) के सुदृढीकरण के लिए परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। एचएलडीबी (हरियाणा) के हिसार वीर्य केन्द्र, मिल्कफेड पंजाब का खन्ना वीर्य स्टेशन और टीएनएलडीए का ईकनकोटई वीर्य केन्द्र के सुदृढीकरण के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

4.8.4.5 विभिन्न अन्तिम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उत्पादित किए जा रहे उच्च आनुवंशिक गुणों (एचजीएम) के सांडों के बिना पक्षपात के आबंटन के लिए एनडीपी-1 के तहत पीटी और पीएस परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं, एनडीपी 1 के मिशन निदेशक के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के तहत एनडीडीबी द्वारा डीएडीएफ की सलाह से अन्तिम रूप दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सांड उत्पादन का कार्यक्रम करने वाली संबंधित अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पात्र वीर्य केन्द्रों को समयबद्ध आबंटित सांडों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए डीएडीएफ ने एक सांड वितरण समिति का गठन किया है। समिति ने अब तक, वीर्य खुराकों के उत्पादन के लिए देश में 13 वीर्य केन्द्रों को विभिन्न नस्लों के 189 एचजीएम सांड वितरित किए हैं।

4.8.4.6 देश में विभिन्न वीर्य केन्द्रों द्वारा विदेशी नस्लों के 400 सांडों (200 सांड प्रत्येक जर्सी और हॉलस्टीन फ्रीजियम के) की आवश्यकता है। इन नस्लों के 200 सांडों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनडीडीबी ने सांडों के आयात की प्रक्रिया प्रारंभ की है और शेष 200 सांडों की आवश्यकता को एम्ब्रो की समान संख्या के आयात द्वारा पूरा किया जाएगा और सांडों को देश में पैदा किया जाएगा। आवश्यक एम्ब्रो की संख्या को आयात करने के लिए, साबरमती आश्रम गौशाला (एसएजी) एसपीपी अनुमोदित कर चुकी है। एसएजी ने एम्ब्रो की प्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्राप्त होने के बाद इन एम्ब्रो को चार सहभागिता एजेंसियों (पीए) (बीएआईएफ पुणे, पीबीजीएस कोलकाता, एसएजी बिदाज, यूएलडीबी देहरादून) को आपूर्ति कर दिया जाएगा जोकि इन एम्ब्रो से बछड़ों के उत्पादन के लिए एसपीपी अनुमोदित कर चुकी है।

4.8.4.7 एनडीडीबी डेयरी सेवाएं एनडीएस द्वारा प्रबंधित साबरमती आश्रम गौशाला बिदाज, पशु प्रजनन केन्द्र, सलोन और रोहतक वीर्य केन्द्र ने संयुक्त रूप से वित्तीय वर्ष (30 नवम्बर, 2014 तक) के दौरान हिमित वीर्य का लगभग 141.94 लाख खुराकें उत्पादित की हैं। समान

अवधि के दौरान, देश में 8 डेयरी सहकारिता वीर्य उत्पादन केन्द्रों ने हिमित वीर्य की अन्य 26.4 लाख (अनुमानित आंकड़ा) खुराकें उत्पादित की हैं।

4.8.4.8 वीर्य केन्द्र सुदृढ़ीकरण (एसएसएस) परियोजनाओं को कार्यान्वयन करने वाली अन्तिम कार्यान्वयन एजेंसियों से संबंधित मानव संसाधन को दिशा देने के उद्देश्य के लिए, एनडीडीबी ने एक कार्यशाला का आयोजन किया था जहां देशी और विदेशी विशेषज्ञों ने उनसे संबंधित देशों में हिमित वीर्य के उत्पादन में अपने ज्ञान और अनुभवों को बांटा। इसके अलावा, आयातित हिमित एम्ब्रोज के हस्तान्तरण के जरिए गर्भाधान दर को सुधारने के उद्देश्य से, एनडीडीबी ने आयातित एम्ब्रोज का प्रयोग करते हुए विदेशी बछड़ों के उत्पादन के लिए 4 अन्तिम कार्यान्वयन एजेंसियों के अनुमोदित एसपीपी के ईटी व्यवसायिकों को सलाह और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कनाडा से एक ईटी विशेषज्ञ को शामिल किया गया है।

### 4.8.5 पशु स्वास्थ्य

4.8.5.1 एनडीडीबी ने तीन चरणों ग्राम, फार्म और वीर्य स्टेशन के आसपास ब्रूसेलोसिस नियंत्रण पर फील्ड पायलट परियोजना का निरंतर समर्थन कर रही है। परियोजना का मुख्य घटक बछियों का बचपन में किया जा रहा टीकाकरण, प्रमाणीकरण, आईएनएपीएच के जरिए डाटा की पहचान, सीरों मॉनिटरिंग, ग्राम स्तर पर दुग्ध रिंग परीक्षण (एमआरटी), रोज बंगाल प्लेट टेस्ट (आरबीपीटी) और व्यक्तिगत धनात्मक पशुओं की पहचान के लिए ईएलआईएसए हैं। संक्रमित स्थानों को संक्रामक मुक्त करने के लिए भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है तथा संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए गर्भनाल और गर्भाधान भ्रूण का उचित निपटारा। कार्यक्रम 169.06 लाख रुपए के कुल परिव्यय के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए है जिसमें एनडीडीबी का 104.95 लाख रुपए का योगदान है।

4.8.5.2 इस परियोजना के तहत प्रयोगशाला के क्षेत्र में चिकित्सीय मामलों से आसान संग्रहण और नमूनों के प्रेषण के लिए एफटीए काडों का प्रयोग निरंतर किया जा रहा है।

4.8.5.3 एनडीडीबी ने 20,000 दूध देने वाले गोपशु और भैंस को कवर करने वाले गुजरात के सांभर कांठा जिले में फैले 50 गांवों और 25 प्रगतिशील फार्मों में एक पायलट मेस्टिटिस नियंत्रण कार्यक्रम प्रारम्भ किया है।

उप चिकित्सीय मेस्टिटिस का नियंत्रण और खोज जारी है, जोकि मेस्टिटिस के कारण 70 प्रतिशत से अधिक के नुकसान के लिए उत्तरदायी है। कार्यक्रम में अन्य महत्वपूर्ण घटक जैसे जागरूकता निर्माण और एंटीबायोटिक का बुद्धिसंगत उपयोग भी शामिल है।

4.8.5.4 कार्यक्रम 105 लाख रुपए के कुल परिव्यय सहित 2 वर्षों के लिए है जिसमें एनडीडीबी का योगदान 63 लाख रुपए है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य अनुसरण की जा रही आचार विचार नियंत्रण पर प्रत्यय प्रमाण विकसित करना और बृहत स्वीकृति के लिए किसान हितैषी आरोह्य मॉडल का निर्माण करना।

### 4.8.6 अनुसंधान और विकास

4.8.6.1 एनडीडीबी और अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला रोगमुक्त पशुओं की प्राप्ति और रख रखाव को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के हिमित वीर्य उत्पादन के न्यूनतम मान (एमएसपी) के अनुसार वीर्य केन्द्रों (एसएस) के साथ साथ संतति परीक्षण (पीटी) और वंश चयन (पीएस) कार्यक्रमों के लिए ओआईई के अनुसार पशु रोग नैदानिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह प्रयोगशाला सांड मात्रा फार्मों के लिए वीर्य केन्द्रों के आसपास स्वस्थ पशुओं के बफर जाने के रख-रखाव के लिए भी नैदानिक सेवाओं का विस्तार कर रहा है।

4.8.6.2 ब्रूसेला और संक्रमित बोवाईन रिनोट्रेसाइटिस (आईबीआर) के विरुद्ध रोग प्रतिकारक के लिए क्रमशः कुल 8899 और 8766 सीरम नमूनों की जांच की गई थी। ब्रूसेला और आईबीआर के लिए परिणाम क्रमशः 4.63 प्रतिशत और 28.31 प्रतिशत धनात्मक इंगित करते हैं।

4.8.6.3 बोवाईन टी.बी. (बीटीबी) के निदान के लिए विषाणु अवरोधक गामा रिलीज एस्से (आईजीआरए) की क्षेत्रीय पुष्टिकरण प्रारंभ किया गया है। प्रारंभिक अध्ययन में, आईजीआरए में संपूर्ण रक्त एसे में पुनः संयोजन ईएसएटी-6-सीएफपी-10 संयोजन प्रोटीन उत्प्रेरक संयोजन के रूप में उपयुक्त पाई गई थी। आगे मूल्यांकन प्रगति में है।

4.8.6.4 बीएचवी-1 विषाणु के लिए आईबीआर सीरो-धनात्मक सांडों से उत्पादित हिमित वीर्य की जांच आवश्यक है। वास्तविक समय पीसीआर द्वारा बीएचवी-1 के लिए कुल 11,239 वीर्य बैचों की जांच की गई थी और 2.22 प्रतिशत वीर्य बैच पॉजिटिव पाए गए।

4.8.6.5 ईएलआईएसए द्वारा बोवाईन वायरल डायरिया (बीवीडी) एन्टिजिन के लिए परीक्षण किए गए 2,535 सीरम नमूनों में से 1.18 प्रतिशत सकारात्मक पाए गए थे।

4.8.6.6 सांडों की मुंडच्छदीय धुलाई के संग्रहण, भण्डारण और परिवहन के लिए प्रोटोकॉल मानकीकृत किए गए थे और पशु चिकित्सकों को वीर्य स्टेशन में इस प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया गया था। बोवाईन ट्रिको मोनियासिस के लिए मुंडच्छदीय धुलाई को पालन और पीसीआर द्वारा भी परीक्षण किया गया था। वीर्य केन्द्र में 49 सांडों को परीक्षण किया गया था और सभी को बोवाईन ट्रिकोमोनियासिस से निगेटिव घोषित किया गया था।

4.8.6.7 फिलडर्स टेक्नोलॉजी एसोसिएट्स (एफटीए) कार्ड को अब वास्तविक समय पीसीआर द्वारा बोवाईन ब्रूसेलोइसिस के निदान के लिए फील्ड से नमूनों के आवागमन के लिए नियमित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। एफटीए कार्ड का प्रयोग अन्य रोगों के मॉलीक्यूलर निदान के लिए जैविकीय संग्रहण और आवागमन के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है।

4.8.6.8 वीर्य केन्द्रों और सांड मात्रा फार्मों में पशुओं में दूध प्रतिरक्षक के मूल्यांकन के लिए इस प्रयोगशाला में एफएमडी वायरस ओ, ए और एशिया-1 टाइप के विरुद्ध उत्तर टीकाकरण प्रतिरक्षा एसे को नियमित रूप से किया जा रहा है। एफएमडी परियोजना निदेशालय, मुक्तेश्वर से एलपीबी ईएलआईएसए किट प्रतिरक्षक एस्से के लिए प्रयोग की जा रही है। परीक्षणों का परिणाम दिखाता है कि वीर्य केन्द्रों में 90% से ज्यादा टीकाकरण सांड और बीएमएफ में पशुओं के 85% से ज्यादा रक्षात्मक एंटीबॉडी टिट्रस दिखा रहे थे।

#### 4.8.7 गुणवत्ता आश्वासन

4.8.7.1 एनडीडीबी अपने प्रयासों से डेयरी सहकारिताओं और उत्पादक संस्थानों का उपयुक्त प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों तथा प्रासंगिक तकनीकी और विनियमक सूचना के जरिए खाद्य सुरक्षा और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की उन्नत गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सहायता देती है। एनडीडीबी व्यावहारिक रूप से घरेलू डेयरी उद्योग के लिए क्रियाशील खाद्य विनियामक प्रारूप के निर्माण के उद्देश्य से उपयुक्त खाद्य विनियमों को विकासात्मक प्रक्रिया में शामिल है जो कि डेयरी क्षेत्र पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालते हैं। यह दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के राष्ट्रीय

मानकों जो संहिता एलीमेंटनीअस में हैं, के सावधानीपूर्वक सामंजस्य पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ निकटता से कार्य कर रही है।

#### 4.8.8 दुग्ध प्राप्ति और विपणन

4.8.8.1 मार्च, 2014 तक लगभग 15.4 मिलियन किसानों को 1,62,600 ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों की परिधि के तहत लाया जा चुका है। सहकारी दुग्ध संघों ने पिछले वर्ष के 33.5 मिलियन ग्राम के मुकाबले लगभग 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2013-14 के दौरान 34.2 मिलियन कि.ग्रा. दुग्ध प्रतिदिन के औसत से प्राप्त किया है। सहकारी क्षेत्र द्वारा तरल दूध की बिक्री पिछले वर्ष के मुकाबले 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2013-14 के दौरान 29.4 मिलियन लीटर प्रतिदिन पर पहुंच गई है।

4.8.8.2 अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान, डेयरी सहकारिताओं द्वारा औसत दुग्ध प्राप्ति पिछले वर्ष की समान अवधि में लगभग 325 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन की तुलना में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 353 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन (अनंतिम) थी। समान अवधि के दौरान, लगभग 293 लाख लीटर प्रतिदिन के मुकाबले पिछले वर्ष के ऊपर लगभग 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 309 लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन (अनंतिम) का विपणन किया है।

#### 4.8.9 नई पीढ़ी की सहकारिताओं (एनजीसी) की पहलें

4.8.9.1 एनडीडीबी डेयरी सेवाएं (एनडीएस), एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व सहायक, वर्ष 2014-15 के दौरान तीन दुग्ध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी) नामतः आंध्र प्रदेश में श्रीजा, पंजाब में बन्नी और उत्तर प्रदेश में सहज का निगमीकरण और परिचालन का सरलीकरण किया है। इन सब में से, श्रीजा महिला एमपीसी एक "सभी महिला सदस्य" एमपीसी है। एनडीएस ने एनडीपी 1 के तहत विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए राजस्थान में पायस एमपीसी और गुजरात में माही एमपीसी को तकनीकी समर्थन भी उपलब्ध करा रही है।

4.8.9.2 साथ में, ये पांच दुग्ध उत्पादक कंपनियां लगभग 6900 गांवों में लगभग 2.5 लाख सदस्यों से दुग्ध प्राप्त कर रही हैं। सदस्यों में लगभग 36 प्रतिशत महिलाएं हैं और लगभग 49 प्रतिशत लघु उत्पादक दुग्ध धारक हैं। इन कंपनियों के सदस्य संरक्षण आधारित पूंजीगत शेयर के प्रति

अब तक लगभग 38.45 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। वे वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग 1,800 करोड़ रुपए के संयुक्त बिक्री टर्न ओवर को प्राप्त करने की आशा करते हैं।

#### 4.8.10 वीर्य केन्द्र

4.8.10.1 वर्तमान में एनडीएस देश में दो सबसे बड़े वीर्य केन्द्रों—साबरमती आश्रम गौशाला, बिदाज (गुजरात) और पशु प्रजनन केन्द्र, सलोन, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) का प्रबंधन कर रहा है। इन दो वीर्य केन्द्रों ने 2013-14 में ब्रिकी के मुकाबले लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2014-15 में लगभग 132 लाख एफएसडी का विपणन किया है। एफएसडी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र में दो नए वीर्य केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

#### 4.9 डेयरी विकास योजनाओं के तहत आबंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रु. में)

| क्र. सं.                          | आबंटित निधि                                   | उपयोग की गई निधि |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 11वीं योजना                       | 582.00  | 571.82           |
| 12वीं योजना (वर्ष 2012-13 के लिए) | 543.30  | 522.35           |
| 12वीं योजना (वर्ष 2013-14 के लिए) | 570.00 (बजट अनुमान) / 516.14 (संशोधित अनुमान) | 498.88           |
| 12वीं योजना (वर्ष 2014-15 के लिए) | 550.04 (बजट अनुमान) / 477.18 (संशोधित अनुमान) | 356.31           |

#### 4.10 दुग्ध शीतन सुविधा का निर्माण

4.10.1 प्रधानमंत्री कार्यालय मासिक आधार पर डेयरी क्षेत्र सहित कृषि में शीत श्रृंखला अवसंरचना के निर्माण की निगरानी करता है। विभिन्न राज्य सरकार/राज्य दुग्ध परिसंघ से एकत्रित सूचना के आधार पर, वर्ष 2012-13 के दौरान सहकारी डेयरी क्षेत्र में लिखत 1,500 टीएलपीडी के मुकाबले 1,705 टीएलपीडी की दुग्ध शीतन क्षमता निर्मित की गई तथा वर्ष 2012-13 के दौरान लिखत 1,750 टीएलपीडी के मुकाबले 1,844 टीएलपीडी अतिरिक्त दुग्ध शीतन क्षमता निर्मित की गई है। वर्ष 2014-15 के दौरान लिखत 2,000 टीएलपीडी के मुकाबले 1,250 टीएलपीडी की अतिरिक्त दुग्ध शीतन क्षमता निर्मित की गई है।

#### 4.11 मानसून की कमी और डेयरी उद्योग पर इसका प्रभाव

4.11.1 डेयरी क्षेत्र पर मानसून की कमी का प्रभाव कई तरह से पड़ता है जैसे कि फसल उत्पादन कम होने तथा हुई फसल की बढ़ती हानि के कारण फसल अवशेषों

तथा अन्य आहार तत्वों का अभाव; पुनरुत्पादन क्षमता में गिरावट; पशु रोगों विशेष रूप से वायरल तथा दुधारु पशुओं में प्रोटोजोआन का बढ़ता प्रकोप और दूध के उत्पादन में गिरावट होना। हरे चारे और क्वालिटी सान्द्रणों की कमी के कारण प्रजनन योग्य बोवाइनों की प्रजनन क्षमता में बहुत अधिक गिरावट हो रही है। दुग्ध उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में गिरावट सबसे अधिक संकर नस्ल के गोपशुओं और उसके बाद भैंसों में देखी जाए।

#### 4.12 देश में दूध की स्थिति

##### 4.12.10 मूल्य की प्रवृत्ति

4.12.1.1 पिछले वर्ष में दूध की वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर (आधार वर्ष 2004 05=100) 6.92 प्रतिशत के मुकाबले नवम्बर, 2014 में 10 प्रतिशत थी। अधिकांश राज्य दुग्ध परिसंघों और मेट्रो डेयरियों ने विगत एक वर्ष में दूध के खरीद एवं विक्रय मूल्य दोनों बढ़ा दिए हैं और नवम्बर, 2014 में औसत वृद्धि क्रमशः लगभग 3.30 रुपए प्रति लीटर एवं 5.57 रुपए प्रति लीटर है। मूल्य में वृद्धि का कारण दुग्ध उत्पादन की आदान लागत में वृद्धि होना माना जा रहा है।

##### 4.12.11 देश में दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

4.12.2.1 पिछले दो वर्षों के दौरान दूध से संबंधित निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी दिनांक 04.02.2013 की अधिसूचना सं० 31 (आरई2012)/2009-2014, के तहत दूध उत्पादों जैसे, केसिन तथा केसिन उत्पाद (एचएस कोड 3501), मक्खन और दूध से प्राप्त अन्य वसा संजात, डेयरी स्प्रेड इत्यादि (एचएस कोड 0405) तथा पनीर और दही (एचएस कोड 0405) सहित मूलभूत फार्म उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध/निषेध होने की स्थिति में भी संसाधित तथा/अथवा मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात को किसी भी प्रतिबंध/निषेध से छूट दी है।
- राजस्व विभाग ने दिनांक 21.05.2013 की अपनी अधिसूचना सं० 30/2013-सीमा शुल्क के तहत तेलखली के आयात पर छूट को जारी रखने का निर्णय लिया है।
- सरकार ने अधिसूचना संख्या 67 (आर ई)-2013/2009-14 दिनांक 15.7.2014 द्वारा एसएमपी के निर्यात पर 5 प्रतिशत प्रोत्साहन को वापस लेने की स्वीकृति दे दी है।

(iv) विभाग माह में दो बार होने वाली संवीक्षा बैठकों के माध्यम से देश में दूध की स्थिति की नियमित मॉनीटरिंग कर रहा है।

### 4.13 दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस)

4.13.1 दिल्ली के निवासियों को उचित मूल्यों पर सम्पूर्ण दुग्ध की आपूर्ति करने तथा दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त कराने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1959 में दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना की गई। दिल्ली दुग्ध योजना की प्रसंस्करण/पैकिंग की आरम्भिक संस्थापित क्षमता 2.55 लाख लीटर दूध प्रतिदिन है। तथापि, शहर में दूध के बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता का चरणों में और विस्तार करके इसे 5.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के स्तर पर लाया गया है। विभाग ने संबंधित उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग करने के लिए एक वेबसाइट <http://dms.gov.in> विकसित की है।

### 4.13.2 आईएसओ 22000-2005 और आईएसओ 14001-2004 प्रमाणीकरण

4.13.2.1 दिल्ली दुग्ध योजना को मैसर्स आईआरक्यूएस, मुंबई से 5.5.2015 तक वैध आईएसओ 22000-2005 प्रमाण पत्र तथा 30.03.2016 तक वैध आईएसओ 14001-2004 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

### 4.13.3 दुग्ध खरीद

4.13.3.1 दिल्ली दुग्ध योजना पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार के राज्य डेयरी परिसंघों और सहकारी समितियों/उत्पादक समितियों तथा अन्य कम्पनियों से कच्चा/ताजा दूध खरीदती रही है।

4.13.3.2 डीएमएस द्वारा 2011-12 से खरीदे गए दूध का ब्यौरा निम्नानुसार है:

**टेबल 4.1: डीएमएस दूध खरीद का ब्यौरा**

(लाख कि.ग्रा. में)

| वर्ष                       | दुग्ध उत्पादों की कुल औसत | औसत/ प्रतिदिन |
|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 2011-12                    | 870.13                    | 2.38          |
| 2012-13                    | 1077.60                   | 2.95          |
| 2013-14                    | 515.23                    | 1.41          |
| 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) | 637.50                    | 2.32          |

4.13.3.3 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान, डीएमएस ने पिछले वर्ष अर्थात् 2013-14 के दौरान 1.20 लाख किग्रा. प्रतिदिन की तुलना में 2.32

लाख कि.ग्रा. दुग्ध प्रतिदिन की प्राप्ति की है। जैसाकि समान अवधि के दौरान डीएमएस को अपने स्तर पर दुग्ध प्राप्ति की दरें निश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया और इसे मदर डेयरी, दिल्ली से अलग कर दिया गया। आगे, यह उम्मीद है कि डीएमएस वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग 2.50 लाख कि.ग्रा. दुग्ध प्रतिदिन प्राप्त करने की स्थिति में होगा।

### 4.13.4 दुग्ध उत्पादन और वितरण

4.13.4.1 दिल्ली दुग्ध योजना दूध (फुल क्रीम, टॉड, तथा डबल टॉड) का प्रसंस्करण और दिल्ली के नागरिकों को सप्लाई करने के लिए मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पादों जैसे योगर्ट, घी, मक्खन, पनीर, छाछ और फ्लेवर्ड मिल्क का उत्पादन कर रही है।

4.13.4.2 दिल्ली दुग्ध योजना के 1,055 बिक्री केन्द्र (पूर्ण दिवसीय दूध स्टॉलों सहित) हैं। दिल्ली दुग्ध योजना लगभग 175 संस्थाओं जैसे अस्पतालों, सरकारी कैंटीनो, होटलों तथा रक्षा एककों इत्यादि को भी दूध सप्लाई करती है। इसके अतिरिक्त, डीएमएस दुग्ध वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति करता है।

4.13.4.3 दूध बूथ पूर्वसेनिकों, सेवानिवृत्त सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारियों, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों, वींवाओं, बेरोजगारों को आबंटित किए जाते हैं और उनके द्वारा चलाए जाते हैं।

### 4.13.5 कार्य निष्पादन/कार्य क्षमता का उपयोग

4.13.5.1 दिल्ली दुग्ध योजना की बिक्री तथा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रारम्भ की गई सुधा दुग्ध (सीओएमएफईडी, बिहार) की पैकिंग संयुक्त रूप से दिसम्बर, 2014 तक 2.74 लाख लीटर प्रतिदिन पर पहुँच गई है। बिहार परिसंघ के लिए दूध की पैकिंग 12.12.2013 से शुरू की गई थी। 2010-11 से क्षमता उपयोग नीचे सारणी में दिया गया है:

**सारणी 4.2: दिल्ली दुग्ध योजना का निष्पादन**

| वर्ष                       | क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत में) | दूध की बिक्री (लाख लीटर में) |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 2010-11                    | 65.2                          | 1183.49                      |
| 2011-12                    | 62.0                          | 1123.62                      |
| 2012-13                    | 60.2                          | 1096.92                      |
| 2013-14                    | 54.0                          | 973.28                       |
| 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) | 55.0                          | 754.87                       |

### 4.13.6 वित्तीय परित्यय

4.13.6.1 कच्चे दूध, एस एम पी, मक्खन, बटर ऑयल, आदि जैसे आदानों पर व्यय सहित, सभी लेखों पर व्यय तथा पूंजीगत मदों को कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के वार्षिक बजट आबंटन के माध्यम से भारत सरकार की संचित निधि से पूरा किया

जाता है। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की बिक्री की रकम को सरकारी राजस्व के खाते में जमा किया जाता है।

4.13.6.2 वर्ष 2013-14 (संशोधित अनुमान) और बजट अनुमान 2014-15 के लिए उपलब्ध/प्रस्तावित और व्यय निधि नीचे सारणी 4.3 में दी गई है:

**सारणी 4.3: दिल्ली दुग्ध योजना का व्यय**

(रुपए करोड़ में)

| शीर्ष / योजना                           | 2013-14                  |               | 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) |                             |                       |
|---|--------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|   | संशोधित अनुमान (स्वीकृत) | किया गया व्यय | बजट अनुमान (स्वीकृत)       | संशोधित अनुमान (प्रस्तावित) | किया गया व्यय (अंतिम) |
| 1                                       | 2                        | 3             | 4                          | 5                           | 6                     |
| i) गैर योजना                            | 371.40                   | 323.35        | 480.01                     | 430.43                      | 316.32                |
| ii) योजना (सिविल/इलेक्ट्रिक कार्य सहित) | 3.65                     | 2.70          | 16.43                      | 8.00                        | 0.96                  |

4.13.6.3 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक), 20.12 करोड़ रु. की राशि का घाटा है जबकि डीएमएस के पास 15.25 करोड़ रुपए के मूल्य की दुग्ध वस्तुओं का भंडार है।

### 4.13.7 डीएमएस के स्टाफ की संख्या में कमी

4.13.7.1 सरकारी मशीनरी में कमी करने तथा प्रशासनिक खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, डीएमएस ने नई भर्ती न करके अपने कार्य क्षमता में कमी करने का निश्चय किया है। डीएमएस में स्टॉफ की संख्या 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार 779 से घटकर 01.12.2014 को 734 हो गई है।

### 4.13.8 दिल्ली दुग्ध योजना के प्लांट का उन्नयन और आधुनिकीकरण

4.13.8.1 डीएमएस प्लांट जोकि इसके प्रारंभ के समय स्थापित किया गया था, पुराना और अपर्याप्त हो चुका है। प्लांट की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5.00 लाख लीटर दुग्ध के प्रसंस्करण के लिए थी। वर्तमान में, डीएमएस लगभग 2.75 लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन प्रसंस्करण कर रहा है।

4.13.8.2 चूंकि प्लांट पुराना हो चुका है, इसलिए बिना इसके संपूर्ण उन्नयन/स्वयं चालित क्रिया के इसकी स्थापित क्षमता के स्तर पर दुग्ध का प्रसंस्करण करना

संभव नहीं होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014 15 के दौरान, घी निर्मलीकरण, घी केतली और मक्खन गलाने वाली टंकी की स्थापना और प्रारंभ शुरू किये जा चुके हैं।

4.13.8.3 (क) केन्द्रीय डेयरी में स्थापित संधारित्र बैंकों और उपलब्ध संसाधनों के ईष्टतम उपयोग सहित डीएमएस 0.98 से अधिक शक्ति तत्व प्राप्त कर सकेगा जो कि विद्युत उपयोग की बचत पर प्रभाव डालेगा।

(ख) जल और इसके पुनरावर्तन के ईष्टतम उपयोग सहित जल के उपयोग को सामान्य रूप से केन्द्रीय डेयरी में निम्न किया जा चुका है जो कि जल उपयोग की बचत पर प्रभाव डालेगा।

4.13.8.4 डीएमएस की वर्तमान उपयोग क्षमता लगभग 55 प्रतिशत है। घाटे को कम करने के लिए दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाकर इसकी क्षमता को उपयोग करने के प्रयास किये जा रहे हैं। डीएमएस ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नये क्षेत्रों में वितरणों को शामिल करके दुग्ध की बिक्री प्रारंभ की है।

### 4.13.9 दिल्ली दुग्ध योजना का निगमीकरण

4.13.9.1 दिल्ली दुग्ध योजना की गतिविधियां पूर्णतया वाणिज्यिक प्रकृति की हैं इसे वाणिज्यिक तर्ज पर चलाने तथा इसे वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से दिल्ली दुग्ध

योजना के निगमीकरण के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। आईडीबीआई पूंजी बाजार सेवायें की अन्तिम रिपोर्ट पर आधारित निगमीकरण पर मसौदा के केबिनेट नोट को विभाग द्वारा संबंधित विभागों से टिप्पणी मांगने के लिए वितरित किया गया था। सभी औपचारिकताओं को

पूरा करने के पश्चात पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने डीएमएस के निगमीकरण के लिए औपचारिक केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष स्वीकृति के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।



## अध्याय 5



भारतीय मात्स्यिकी का  
सिंहावलोकन



# अध्याय 5



## भारतीय मात्स्यिकी का सिंहावलोकन

### 5.1 प्रस्तावना

5.1.1 भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वैश्विक मछली उत्पादन का लगभग 5.68% भारत से आता है। भारत जलकृषि के माध्यम से मछली का मुख्य उत्पादक देश है और चीन के बाद विश्व में इसका दूसरा स्थान है। 2013-14 (अंतिम) के दौरान कुल मछली उत्पादन 9.58 मिलियन टन रहा जिसमें से 6.14 मिलियन टन अंतर्देशीय सेक्टर से तथा 3.44 मिलियन टन समुद्री सेक्टर से प्राप्त हुआ। 2014-15 की


प्रथम दो तिमाही के दौरान मछली उत्पादन में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और अनुमान 4.37 मिलियन टन (अंतिम) है।

5.1.2 1990-91 से मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि दिखाई दी है। 1990-91 में 3.84 एम.टी. मछली उत्पादन बढ़कर 2013-14 में 9.58 एम.टी. हो गया है। मछली उत्पादन में वृद्धि अधिकाधिक दीर्घावधि रुझान सहित एक आवर्ती पैटर्न दर्शाता है। तथापि, 2008-09 से समुद्री सेक्टर में सतत वृद्धि देखी गई है।



5.1.3 इस सेक्टर का समग्र सकल घरेलू उत्पाद लगभग 0.92 प्रतिशत तथा कृषि संबंधी सकल घरेलू उत्पाद में 5.58 प्रतिशत का योगदान है। समुद्र पार व्यापार में भी मछली उत्पाद एक महत्वपूर्ण पण्य हैं। 2013-14 के दौरान निर्यात की मात्रा पिछले वर्ष के मुकाबले मात्रा में 5.98 प्रतिशत की वृद्धि तथा रुपये में 60.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 9,83,756 टन वॉल्यूम तथा इसकी कीमत 30,213 करोड़ रुपए हो गई।

5.1.4 भारतीय मात्स्यिकी का ऐतिहासिक परिदृश्य मात्स्यिकी में समुद्री मात्स्यिकी के वर्चस्व के प्रतिमानों के स्थान पर एक ऐसा परिदृश्य दिखाता है, जहां देश के समग्र मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मात्स्यिकी एक प्रमुख अंशदाता के रूप में उभरा है। जैसाकि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, वर्तमान में देश के कुल मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मात्स्यिकी का हिस्सा 64.09 प्रतिशत है।



5.1.5 अंतर्देशीय मात्स्यिकी के अंदर, पिछले ढाई दशक में कैप्चर मात्स्यिकी के बजाय जलकृषि उभरा है। 1980 के मध्य में अंतर्देशीय मात्स्यिकी में 34 प्रतिशत हिस्से वाली ताजा जल कृषि का हिस्सा हाल ही के वर्षों में बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गया है। पिछले तीन दशकों के दौरान सरकार द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप यह भारत की एक प्रमुख मछली उत्पादन प्रणाली के रूप में उभरकर आया है। लाभार्थियों को तकनीक, प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण और विस्तार का एक पैकेज देने के लिए तथा वित्तीय सहायता देने के लिए प्रत्येक जिले में मत्स्य पालक विकास एजेंसियां (एफएफडीए) स्थापित की गई थी। अभी तक देश में कार्य कर रही 429 एफएफडीए 0.65 मिलियन हैक्टेयर जल क्षेत्र को मछली पालन के अंतर्गत ले आई हैं और 1.1 मिलियन लाभार्थियों तक पहुंच चुकी हैं और 0.8 मिलियन को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। इस समय औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 3.0 टन/हैक्टेयर है।

## 5.2 बलित क्षेत्र

5.2.1 यह देखा गया है कि वर्तमान में अंतर्देशीय मात्स्यिकी में मुख्यतः ताजा जल मात्स्यिकी का प्रभुत्व है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए मछली उत्पादन का अन्य क्षेत्रों जैसे एकीकृत मछली पालन, शीत जल मात्स्यिकी, रिवरीन मात्स्यिकी, कैप्चर मात्स्यिकी, खारा जल जलकृषि इत्यादि में विविधिकरण किए जाने की आवश्यकता है। अतः हाल ही में उठाए गए कदमों ने एकीकृत मछली पालन, कार्प पॉलीकल्चर, ताजाजल झधगा पालन, बहता जल मछली पालन तथा रिवरीन मात्स्यिकी के विकास के द्वारा तालाबों तथा टैंकों में सघन जलकृषि को लक्ष्य किया है।

5.2.2 मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जलकृषि के अंतर्गत क्षेत्र के विस्तार को एक महत्वपूर्ण विकल्प बनना होगा। इस संदर्भ में, बेकार पड़े जल निकाय अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं और भविष्य में देश में मछली की मांग को पूरा करने हेतु मछली उत्पादन को बढ़ाने के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर तटवर्ती उड़ीसा में अप्रयुक्त जल निकायों जैसे बेकार पड़ी नहरों तथा नालों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसी प्रकार, असम के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बहुत बड़े बील बेकार पड़े हैं। देश में लगभग 1.3 मिलियन हैक्टेयर बील तथा अन्य बेकार पड़े जल निकाय हैं। ऐसे

जल निकायों को मात्स्यिकी के अंतर्गत लाने से मछली उत्पादन को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए इन जल निकायों में मात्स्यिकी का विस्तार, मछली उत्पादन को बढ़ाने हेतु विभाग के बलित क्षेत्रों में से एक है।

5.2.3 जलाशय, जिनका भारत में अधिकतर दोहन नहीं किया गया है, उनमें मात्स्यिकी के विकास की अपार संभावनाएं हैं। अतः जलाशय मात्स्यिकी विकास इस विभाग का एक बलित क्षेत्र है। पिंजरा पालन जैसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर जलाशयों की उत्पादकता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभिक बड़े निवेश के कारण यह प्रौद्योगिकी भारत में अभी तक सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं हो पाई है।

5.2.4 सरकार यह समझती है कि यदि दीर्घावधि में अंतर्देशीय मछली उत्पादन में वृद्धि को बनाए रखना है तो गुणवत्तापूर्ण बीज तथा आहार की उपलब्धता आवश्यक है। एक अनुमान के अनुसार, विद्यमान तालाबों, नए तालाबों तथा जलाशयों में इष्टतम स्टॉकिंग के लिए लगभग 48,000 मिलियन फ्राई कुल मछली बीजों की आवश्यकता है। इसके मुकाबले, वर्तमान मछली उत्पादन लगभग 41,450 मिलियन फ्राई है। इस प्रकार लगभग 6,550 मिलियन फ्राई का अंतर है। अतः देश भर में ब्रूड बैंक तथा हैचरियां स्थापित करना इस विभाग के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र है।

5.2.5 इस सेक्टर में उत्पादकता को सुधारने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण जलकृषि तथा जलीय रोगों का निवारण और प्रबंधन, जैविक कृषि तथा प्रेरित प्रजनन जैसी कुछ अन्य चुनौतियों का भी सामना करना होगा।

## 5.3 नई पहलें

5.3.1 बजटीय भाषण 2014-15 में किये गये बजट घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड नीली क्रांति अंतर्देशीय मात्स्यिकी का कार्यान्वयन करेगा जिसका उद्देश्य देश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके लिए 2014-15 के दौरान 50.00 करोड़ रूपए का उपबंध किया गया है।

5.3.2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के दौरान भारत में पहली बार 21 नवम्बर, 2014 को विश्व मात्स्यिकी दिवस मनाया गया था। इसका उद्घाटन प्रगति मैदान ऑडिटोरियम में माननीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया था।



21 नवंबर, 2014 को माननीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह द्वारा विश्व मात्स्यिकी दिवस का उदघाटन

## 5.4 विभाग की मात्स्यिकी संबंधी चल रही योजनाएं:

### 5.4.1 अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि विकास

5.4.1.1 अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना में ताजा जल, खारा जल, शीत जल, जल मग्न क्षेत्र, जलाशयों सहित जलकृषि और कैप्चर मात्स्यिकी के लिए लवणीय/क्षारीय भूमि के रूप में देश में उपलब्ध सभी अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधन शामिल हैं। इस योजना के निम्नलिखित सात घटक हैं:

- ताजा जल जलकृषि का विकास
- खारा जल जलकृषि का विकास
- शीतजल मात्स्यिकी तथा जलकृषि
- जलमग्न क्षेत्रों का विकास
- जलकृषि के लिए अंतर्देशीय लवणीय/क्षारीय भूमि का लाभकारी प्रयोग
- अंतर्देशीय कैप्चर संसाधनों का एकीकृत विकास (जलाशय/नदियां इत्यादि)
- नवाचारी परियोजनाएं

5.4.1.1 इस योजना के प्रारंभ से 31.12.2014 तक 8,73,161 हैक्टेयर ताजा जल निकाय तथा 45,952 हैक्टेयर खारा जल निकाय विकसित किए गए हैं, जिसमें क्रमशः 14,71,737 तथा 39,896 मछुआरों को लाभ हुआ है। 2014-15 के दौरान, 3,500 हैक्टेयर ताजा जल निकाय तथा 250 हैक्टेयर खारा जल निकाय विकसित किए गए हैं तथा क्रमशः 5,000 तथा 400 मछुआरे लाभान्वित हुए हैं। 27.50 करोड़ रुपये के संशोधित

अनुमान के मुकाबले इस योजना के अंतर्गत 2014-15 के दौरान (31.12.2014 तक) 13.78 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

### 5.4.2 समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास

5.4.2.1 योजना के तहत, विभाग ने समुद्री सेक्टर के विकास और पारंपरिक मछुआरों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता देना जारी रखा है। इस योजना के तीन मुख्य घटक हैं, समुद्री मात्स्यिकी का विकास, अवसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास तथा नवाचारी गतिविधियां। योजनाओं के विभिन्न घटक इस प्रकार हैं:

#### 5.4.2.2 समुद्री मात्स्यिकी का विकास

- पारंपरिक यानों का मोटरीकरण
- समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा
- एचएसडी तेल पर मछुआरा विकास छूट
- नए मध्यवर्ती यान डिज़ाइन के प्रोटो टाइप अध्ययन सहित उन्नत डिज़ाइन के मध्यवर्ती यान शामिल करना
- यान मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना तथा संचालन
- ईंधन दक्ष तथा पर्यावरण अनुकूल मत्स्यन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना
- समुद्री मात्स्यिकी प्रबंधन

#### 5.4.2.3 अवसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास

- मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केंद्रों की स्थापना
- पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण
- मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केंद्रों का रख रखाव और ड्रेजिंग।

5.4.2.4 2013-14 के दौरान, 6,260 यानों को मोटरीकृत किया गया, 6 गौण मत्स्यन बंदरगाह तथा 14 मछली उतारने के केंद्रों की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, 27 अवसंरचना तथा विपणन परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी तथा मछुआरों को 500 सुरक्षा किटें वितरित

की गई थी। 2014-15 के दौरान, 3,487 यानों को मोटरकृत किया गया और मछुआरों को 2,334 सुरक्षा किटें वितरित की गई थी। 19 जारी मत्स्यन बंदरगाहों और 8 पोस्ट हार्वेस्ट संबंधित परियोजना के संबंध में केन्द्रीय भाग जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2014-15 के दौरान एक मत्स्यन बंदरगाह और दो मछली उतारने के केन्द्रों पर ड्रेजिंग के रख-रखाव को करने के लिए अनुमति दी गई।

### 5.4.3 राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना

5.4.3.1 राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत, मछुआरों को उनके गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, पेय जल, सामुदायिक हाल तथा ट्यूबवेल का निर्माण आदि प्रदान की जाती है। सक्रिय रूप से मछली पकड़ने में लगे मछुआरों को बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। मछुआरों को कमी के मौसम के दौरान वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इस योजना

को निम्नलिखित चार घटकों के साथ संचालित किया जा रहा है:

- आदर्श मछुआरा गांवों का विकास में गरीबी रेखा के नीचे के मछुआरों को कम लागत वाले मकान प्रदान किए जाते हैं।
- सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा
- बचत सह सहायता (मत्स्यन निषेध अवधि के दौरान मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।)
- प्रशिक्षण और विस्तार।

5.4.3.2 योजना को 12वीं योजना के दौरान संशोधित पैटर्न पर केन्द्रीय योजना के रूप में स्वीकृत किया जा चुका है और वित्तीय वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित की जा रही है। संशोधित स्वीकार्य सहायता निम्नानुसार है

| मद   | यूनिट लागत  |
|--|---|
| गृह निर्माण की लागत                        | 75,000 रु. प्रति गृह  |
| ट्यूब वेल निर्माण की लागत                  | 40,000 रु. सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों के लिए, 45,000 रु. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए        |
| सामुदायिक भवन निर्माण की लागत              | 2,00,000 रु. प्रति भवन  |
| बचत सह राहत घटक के तहत राहत                | 2,700 रु. (3 महीनों की प्रतिबंध अवधि के दौरान 900 रु. प्रति महीना)                          |
| समूह दुर्घटना व्यक्तिगत बीमा के तहत मुआवजा | स्थायी अपंगता के मामले में 1,00,000 रु. और मृत्यु के मामले में 2,00,000 रु.                 |
| प्रशिक्षण और विस्तार                       | मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण सह जागरूकता केन्द्र, संगोष्ठी, सिमपोजिया इत्यादि के लिए सहायता |

5.4.3.3 2014-15 के दौरान, 2,959 मछुआरा घरों को निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है, 45,63,350 मछुआरों को समूह दुर्घटना बीमा घटक के तहत बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है और 4,18,754 मछुआरों को बचत सह राहत घटक के तहत राहत उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2014-15 के दौरान योजना के तहत संशोधित अनुमान 50 करोड़ रु. (31.12.2014 तक) के मुकाबले 44.49 करोड़ रु. का व्यय हुआ।

### 5.4.4 मात्स्यिकी सेक्टर के लिए डाटाबेस तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण

5.4.4.1 केंद्रीय सेक्टर की योजना, “मात्स्यिकी सेक्टर के लिए डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का

सुदृढीकरण” को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता से 65.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं: (क) अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों तथा उनकी क्षमताओं का अनुमान लगाने के लिए नमूना सर्वेक्षण; (ख) समुद्री मात्स्यिकी संबंधी संगणना; (ग) अंतर्देशीय तथा समुद्री मात्स्यिकी के लिए कैच आकलन सर्वेक्षण; (घ) जीआईएस का विकास; (ङ.) भारत की मत्स्य सहकारिताओं का डाटाबेस तैयार करना; (च) छोटे जल निकायों की मैपिंग तथा जीआईएस आधारित मत्स्य प्रबंधन प्रणाली का विकास; (छ) मुख्यालय में सांख्यिकीय यूनिट का सुदृढीकरण; (ज) मूल्यांकन अध्ययन/व्यावसायिक सेवाएं तथा (झ)

मॉनीटरिंग, नियंत्रण तथा निगरानी (एमसीएस)।

5.4.4.2 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान, 16 राज्यों की जल निकायों की जीआईएस आधारित मैपिंग पूरी हो चुकी थी। “मात्स्यिकी क्षेत्र के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण” योजना के जीआईएस घटक के तहत वर्ष 2013-14 के दौरान प्रगति इस प्रकार है— (i) मात्स्यिकी के लिए क्षमतावान जल निकायों पर उत्तर प्रदेश रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, (ii) पीएनन छायाचित्रों का प्रयोग करते हुए उत्तर और पूर्व मानसून के लिए महाराष्ट्र का जल निगम दृश्यांकन पूर्ण हो चुका है, (iii) पीएनन छायाचित्रों का प्रयोग करते हुए उत्तर मानसून के लिए गुजरात का जल निकाय दृश्यांकन पूर्ण हो चुका है। ओडिसा की ई-हैंडबुक तैयार हो चुकी है और इसके साथ ही 2013-14 के दौरान दो जिलों के लिए ओडिसा का ई-एटलस कार्य पूरा हो चुका है। (iv) तीन राज्यों की जमीनी वास्तविकता के नमूने पूरे हो चुके हैं; (v) उत्तर प्रदेश और बिहार की ई-एटलस संशोधित हो चुकी है; (vi) उत्तर प्रदेश और बिहार के ई-एटलस कार्य पूरा हो चुका है; (vii) प्राथमिक मात्स्यिकी सहायिता समिति से संबंधित डाटा को अंतिम रूप दिया जा चुका है; (viii) पश्चिम बंगाल में लघु जल निकायों की मैपिंग पूरी हो चुकी है और नए जल निकाय चिह्नित किए गए हैं तथा 2013-14 के अंत तक माप लिए जाएंगे; (ix) योजना के तहत वर्ष 2013-14 के दौरान 5.52 करोड़ रु. तथा 2014-15 (31 दिसंबर, 2014 तक) के दौरान 6.70 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं।

### 5.4.5 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)

5.4.5.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना सितम्बर, 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। बोर्ड की स्थापना अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य कैप्चर, पालन, प्रसंस्करण और विपणन में मात्स्यिकी क्षेत्र की दोहन न की गई क्षमता का उपयोग करने तथा मात्स्यिकी के इष्टतम उत्पादन और उत्पादकता के लिए जैव प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान और विकास के मौजूदा उपकरणों का इस्तेमाल करके मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए की गई थी। बोर्ड की गतिविधियों का जोर देश में मछली के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने, मछली तथा मत्स्य उत्पादों

के निर्यात को बढ़ाने तथा इन गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को सहायता देकर 3.5 मिलियन लोगों को रोजगार देने पर है। यह मात्स्यिकी के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के प्लेटफार्म के रूप में भी कार्य करता है।

5.4.5.2 एनएफडीबी के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों में जलीय संसाधनों का धारणीय प्रबंधन तथा संरक्षण, रोजगार अवसरों का सृजन, मत्स्य उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण, दुलाई तथा विपणन में सुधार, मात्स्यिकी से इष्टतम उत्पादन और उत्पादकता प्राप्त करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान तथा विकास के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, जनशक्ति का प्रशिक्षण तथा खाद्य तथा पोषणिक सुरक्षा के क्षेत्र में मात्स्यिकी के योगदान को बढ़ाना शामिल है। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को एन एफ डी बी योजना को लागू करने के लिए कुल 76.73 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं।

5.4.5.3 2014-15 के दौरान, 19 राज्यों को विभिन्न गतिविधियों जैसे मछली तालाबों का निर्माण/नवीकरण तथा 495.36 हे. में आदानों की आपूर्ति, 5 हैचरियों की स्थापना, 2 मछली चारा मिल तथा 22.59 हैक्टयर मछली बीज पालन यूनितों, 2 प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजना, उदाहरणार्थ, (i) सामान्य कॉर्प के लिए ब्रूड बैंक (ii) स्कैम्पी के कैप्टिव ब्रूड स्टॉक बैंक का विकास और 7 नवाचारी परियोजनाएं उदाहरणार्थ: (i) कावेरी डेल्टा क्षेत्र में मछली उत्पादन और किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जलकृषि का विस्तार; (ii) 1,000 फार्मों के 22.50 हे. में तिलापिया पालन (iii) मोनोसेक्स तिलापिया हैचरी की स्थापना और 1.00 हे. में सघन तालाब पालन; घरेलू स्थिर तालाबों में सांस लेने वाली देशी कैटफिश का पालन और प्रसार (iv) 26 मछुआरा समितियों को लीज होल्ड के तहत 84.75 के ईडब्ल्यूएसए सहित 26 टैंकों में पालन आधारित कैप्चर मात्स्यिकी (v) मत्स्य विज्ञान स्नातकों को उद्यमियों के रूप में प्रोत्साहन के तहत 0.6 हे. में एकीकृत कृषि-जलकृषि (vi) सामुदायिक मछली बीज बैंक और मछली पालन, और (vii) 500 सिंचाई कुओं में पंगश मछली पालन के लिए पायलट परियोजना प्रारम्भ की गई है।



तेलंगाना और असम में तालाबों का निर्माण/नवीनीकरण

5.4.5.4 18 राज्यों को 8 थोक मछली बिक्री बाजारों का आधुनिकीकरण, 8 आधुनिक मत्स्य खुदरा बाजारों की स्थापना, 5 खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना, 14 खुदरा आउटलेट की स्थापना, मछुआरों के लिए 9,318 सचल मछली बिक्री यान, 8 मत्स्य पर्वों का आयोजन और एक

प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजना के लिए 3,209.31 लाख रु. की राशि जारी की गई थी। एनएफडीबी ने स्वस्थ मछली हैंडलिंग, मूल्य वीन और विपणन के विभिन्न पहलुओं पर 1,860 मछुआरों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।



केरल में मछली बाजार



कर्नाटक में मछली बाजार

5.4.5.5 2014-15 के दौरान, एनएफडीबी ने अंतर्देशीय, स्वच्छतापूर्ण विपणन, तटवर्ती तथा समुद्री मात्स्यिकी के विभिन्न पहलुओं में 9,101 किसानों/मछुआरों को रोग निदान तथा पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में हो रही तरक्की, स्वच्छतापूर्ण बाजार, मछली तथा शैलफिश की हैंडलिंग तथा ढुलाई के दौरान साफ सफाई तथा स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया, धारणीयता की ओर अग्रसर होने, सीवीड पालन, एशियन सीबास (लेतेस कालकारिफेर) की उत्पादन प्रौद्योगिकी, धारणीय मछली पालन के

लिए मृदा तथा जल गुणवत्ता प्रबंधन पर 2,255 मात्स्यिकी व्यावसायिकों को प्रशिक्षण देने के लिए 253.17 लाख रुपये व्यय किए। दो मछली उतारने के केन्द्रों के आधुनिकीकरण; पिछले वर्षों में प्रारम्भ किए गए मछली बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए (कार्य पूरा करने के लिए अनुगामी किस्तों को जारी करना) 1,294.44 लाख रु. की राशि जारी की गई थी।



एन.एफ.डी.बी द्वारा प्रोत्साहित मोबाइल मछली परिवहन यान

5.4.5.6 एन.एफ.डी.बी द्वारा मोबाइल मछली परिवहन यान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान 12 राज्यों को 9,318 मोबाइल मछली परिवहन यान क्रय करने के लिए 1,137.73 लाख रुपये जारी किए गए थे।

5.4.5.7 2014-15 के दौरान 13 राज्यों को 3.30 लाख हे. क्षेत्र को कवर करते हुए 154 जलाशयों में बीज भण्डारण और परियोजनाओं को प्रारम्भ करने उदाहरणार्थ: (i) सहकारी क्षेत्र के जरिए पायलट आधार पर पिंजरा पालन के विकास के लिए उज्जैनी जलाशय, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना;

(ii) मोतीहारी जिला, बिहार के 11 तालुकों में स्थित 11 आर्द्र भूमियों में 100 पेनों की स्थापना; (iii) पश्चिमी चंपारण जिला, बिहार में 14 आर्द्र भूमियों में 47 पेनों की स्थापना; (iv) करीमगंज, असम के सोनबील में सामुदायिक आधारित मात्स्यिकी प्रबंधन के जरिए मछली उत्पादन में वृद्धि और मछुआरों की आजीविका के निर्माण के लिए आवश्यकता आधारित विकासात्मक हस्तक्षेप और (v) नदी मात्स्यिकी को प्रोत्साहन और नागालैण्ड में रेसवेज के जरिए मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए 1218.15 लाख रु. की राशि जारी की गई थी।



जलाशयों में फिंगरलिंग मछली का भंडारण



असम के बीलों में मछली पालन



झारखंड में पिंजरा पालन

5.4.5.8 2014-15 के दौरान, 18 राज्यों को 375 मध्यम/घरेलू सजावटी मछली हैचरियों, 10 एकीकृत सजावटी यूनिटें, राष्ट्रीय रोग निगरानी कार्यक्रम की

स्थापना और 1,380 लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए 684.67 लाख रु. निधि जारी की गई थी।



तमिलनाडु में घरेलू/मध्यम स्तर सजावटी मछली हैचरियाँ

## 5.5 मात्स्यिकी संस्थान

### 5.5.1 केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सीआईएफएनईटी)

5.5.1.1 गहरे समुद्र में मत्स्यन के क्षेत्र में हो रही प्रगति ने मत्स्यन जलयानों के रखरखाव के लिए प्रशिक्षित तथा प्रमाणित कार्मिकों की बढ़ती मांग पैदा कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर संगठित मात्स्यिकी प्रशिक्षण प्रणाली की आवश्यकता तथा महत्ता को देखते हुए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने 1963 में कोचीन में केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया था। बाद में चेन्नई तथा विशाखापट्टनम में दो और यूनिटें स्थापित की गईं। अपने प्रारंभ से ही सीआईएफएनईटी महासागर में जानेवाले मत्स्यन जलयानों के रखरखाव के

लिए प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करके देश की सेवा कर रहा है।

5.5.1.2 यह संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित करता है जिनमें (i) मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातक (नौचालन विज्ञान) जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय; (ii) श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) से संबद्ध दो वर्षीय वर्ष की अवधि के यान ने विगेंटर तथा मेरीन फिटर नामक दो व्यवसाय पाठ्यक्रम शामिल हैं तथा (iii) व्यावसायिक महाविद्यालयों, संबद्ध संगठनों, राज्य सरकार के मात्स्यिकी विभागों के विद्यार्थियों के लाभ के लिए लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5.5.1.3 2014-15 के दौरान, मात्स्यिकी विज्ञान स्नातक (एनएस) के 78 विद्यार्थियों तथा वीएनसी/एमएफसी के 176 प्रशिक्षुओं ने नियमित पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके अलावा 379 अभ्यर्थियों को विभिन्न लघु अवधि तथा विस्तार पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया। एक अभ्यर्थी वैधानिक पाठ्यक्रम में था। सीआईएफएनईटी के प्रशिक्षण यानों ने कुल 165 मत्स्यन दिवस पूरे किए और इस प्रकार 1,462 संस्थागत तथा 1,709 पोस्ट संस्थागत प्रशिक्षु दिवस पूरे किए। 2014-15 के दौरान (दिसम्बर, 2014 तक) सीआईएफएनईटी ने 683 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया, जिसमें समुद्र में 210 दिन शामिल हैं।

5.5.1.4 वर्ष 2014-15 के दौरान सीआईएफएनईटी ने 39.34 लाख रुपए (दिसम्बर, 2014 तक) राजस्व के मुकाबले 4.5765 करोड़ रुपए का व्यय किया।

## 5.5.2 राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएफपीएचएटीटी)

5.5.2.1 पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियों को ऊपरी पूर्वी तट रेखा के साथ-साथ विकसित करने संबंधी गतिविधियों को विस्तारित करने की आवश्यकता को समझते हुए भारत सरकार ने विशाखापट्टनम में एक एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना की स्थापना का निश्चय किया था। भारत सरकार ने 2008 में एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएफपीएचएटीटी) रख दिया था।

5.5.2.2 एनआईएफपीएचएटीटी का वर्तमान मिशन है, मात्स्यिकी सेक्टर, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रचार प्रसार, मानव संसाधन विकास, लैंगिक विकास, मछुआरा समुदायों के लिए सहायता तथा पुनर्वास कार्यक्रमों तथा मात्स्यिकी अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी संबंधी परामर्श के क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करना और नए अवसरों का सृजन करना।

5.5.2.3 2013-14 के दौरान, संस्थान ने 112.51 मी.टन मछली को संसाधित किया है तथा उससे 81.97 मी.टन विभिन्न मत्स्य उत्पाद तैयार किए हैं। संस्थान ने स्टॉल, सचल यूनितों, प्रदर्शनियों, व्यापार, मेलों, संविदा बिक्री के द्वारा 101.33 टन मछली तथा 125.41 लाख रुपए मूल्य के मछली उत्पादों का टेस्ट परीक्षण किया तथा उन्हें लोकप्रिय बनाया। एनआईएफपीएचएटीटी ने 7,893 प्रशिक्षण दिवसों के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 777 प्रशिक्षुओं को

प्रशिक्षण दिया तथा इससे कुल 4.75 लाख रुपए का राजस्व मिला। मुख्यालय, कोच्चि और विजाग यूनिट ने सभी स्रोतों से कुल 187.15 लाख रुपए का राजस्व कमाया था। 2014-15 के दौरान (31 दिसम्बर, 2014 तक) संस्थान ने 118.31 टन मछली प्रसंस्कृत की तथा इससे 92.23 टन विभिन्न प्रकार के मछली उत्पाद उत्पादित किए गए। एनआईएफपीएचएटीटी ने स्टॉल, सचल यूनितों, प्रदर्शनियों, व्यापार मेला, संविदा बिक्री के द्वारा 90.38 टन मछली तथा 103.11 लाख रुपए मूल्य के मछली उत्पादों का टेस्ट परीक्षण किया तथा उन्हें लोकप्रिय बनाया। संस्थान ने 8,163 प्रशिक्षण दिवसों के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 723 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया तथा इससे रिपोर्ट की अवधि तक कुल 4.22 लाख रुपए का राजस्व मिला। मुख्यालय, कोच्चि और विशाखापट्टनम् इकाई में सभी स्रोतों से कुल 165.31 लाख रुपए का राजस्व कमाया था।

5.5.2.4 वर्ष 2013-14 के दौरान योजना शीर्ष के अंतर्गत 193.96 लाख रुपए तक का व्यय और गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत 488.12 लाख रुपए तक का व्यय किया गया। 2014-15 के दौरान, गैर योजना के अंतर्गत 475.35 लाख रुपए तथा योजना के अंतर्गत 173.34 लाख रुपए (27.12. 2014 तक) का व्यय किया गया था।

## 5.5.3 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई)

5.5.3.1 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) भारतीय आर्थिक अनन्य क्षेत्र में समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और आकलन के लिए उत्तरदायी है और इसका मुख्यालय मुम्बई में है। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के पश्चिमी तट पर पोरबन्दर, मुम्बई, मोरमुगोवा और कोच्चि, पूर्वी तट पर चेन्नई और विशाखापट्टनम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पोर्टब्लेयर में 7 कार्यात्मक बेस हैं। मात्स्यिकी, संसाधन सर्वेक्षण और निगरानी के लिए कुल 11 महासागरीय अनुवर्ती सर्वेक्षण जलयान तैनात किए गए हैं। संसाधन सर्वेक्षणों के अलावा, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण विनियमन और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए मात्स्यिकी संसाधनों की निगरानी करता है। गहरे समुद्र और महासागरीय मत्स्यन के लिए विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट और गियर की उपयुक्तता का आकलन करता है, सिफनेट प्रशिक्षणार्थियों को जलयान पर ही प्रशिक्षण देता है, मत्स्यन समुदाय, उद्योग, अन्य प्रयोगकर्ताओं आदि को विभिन्न मीडिया के माध्यम से मत्स्यन संसाधनों संबंधी जानकारी देता है। संस्थान का सर्वेक्षण बेड़ा बाटम ट्रॉल सर्वेक्षण करता है, मिडवाटर/कालमनार संसाधनों

का सर्वेक्षण करता है और डीमर्सल, कालमनार तथा लॉन्ग लाइन सर्वेक्षण करता है।  
क्रमशः महासागरीय टूना/महासागरीय शाकों के लिए



ऑनबोर्ड समुद्री मछली पकड़ना

5.5.3.2 मत्स्यन उद्योग, मछुआरों, पणधारियों तथा मात्स्यिकी के अंतिम उपभोक्ताओं को विस्तार गतिविधियों के एक भाग के रूप में तथा अन्वेषणात्मक संसाधन सर्वेक्षण के निष्कर्षों संबंधी सूचना के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने क्रमशः कड्डालोर, तमिलनाडु, तुष्नाबाद, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी 24 परगना, पश्चिम बंगाल और वलसाड़, गुजरात में 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की थि। लगभग 465 मछुआरों ने इन कार्यशालाओं में सक्रिय भागीदारी की और लाभान्वित हुए।



फिशकोफेड द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला

### 5.5.3.3 सहयोगी कार्यक्रम

5.5.3.3.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी निकास बोर्ड (एनएफडीबी) के साथ सहयोग: भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद के साथ मिलकर मछुआरों के लाभ के लिए मोनोफिलामेंट/मल्टीफिलामेंट

टूना लांगलाइकिंग संबंधी कुछ ऑन बोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। अभी तक, विभिन्न समुद्रवर्ती राज्यों से 7 मछुआरों को एमएफवी मत्स्य वृष्टि (एफएसआई का मुम्बई बेस) जलयानों पर ऑनबोर्ड टूना लांगलाइनिंग संबंधी अद्यतन प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया गया है।

5.5.3.3.2 आईओटीसी-2014-सीएसएम-भारतीय अनुपालन सहायता मिशन, भारत: भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई (कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली) और भारतीय महासागर टूना आयोग (आईओटीसी) सीसेल्स ने भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, कोचीन के कोचीन तट पर 18-21 नवम्बर, 2014 के दौरान संयुक्त रूप से आईओटीसी-2014-सीएसएम-भारतीय अनुपालन सहायता मिशन, भारत का संयुक्त रूप से आयोजन किया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को आईओटीसी प्रारूप में मात्स्यिकी डाटा संग्रहण में प्रशिक्षित करना और आईओटीसी



ऑन बोर्ड यान पर लॉन्ग लाइनिंग टूना पर अद्यतन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण

के दिशा निर्देशों और संकल्पों का अनुपालन करना। आईओटीसी से दो प्रतिनिधि डा. गेरार्ड डोमिनिक, अनुपालन समन्वयक और श्री फ्लोरियन गिरॉक्स, मात्स्यिकी अधिकारी ने फैंकल्टी के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया था। समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सहयोगी संगठन, मंत्रालय और

एफएसआई अधिकारियों में से 23 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया था। अनुपालन सहायता मिशन के दौरान आईओटीसी संकल्पों के अनुपालन में आ रहे अवरोधों पर चर्चा की गई थी और आईओटीसी संकल्पों के अनुपालन के लिए एक कार्य योजना विकसित की गई थी।



आईओटीसी-2014-सीएसएम-भारत अनुपालन सहायता मिशन का समूह फोटो

5.5.3.3 अंडमान समुद्री अध्ययन और द्वीप धारणीयता पर राष्ट्रीय परामर्श: भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई (कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली) ने 16-18 दिसम्बर, 2014 के दौरान तीन दिवसीय अंडमान समुद्री अध्ययन और द्वीप धारणीयता पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया था। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी में समुद्री संसाधनों का सदस्य देशों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र ज्ञान के साथ

साथ सामाजिक आर्थिक पर्यावरण के आधार पर धारणीय उपयोग के लिए रणनीतिक कार्ययोजना बनाना है।

बेहतर तालमेल बनाने के साथ साथ अंडमान समुद्र और द्वीप धारणीयता की निगरानी के लिए एफएआई और बंगाल की खाड़ी बृहत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र परियोजना (बीओबीएलएमई), भारत ने लगभग सभी अनुसंधान संस्थाओं अर्थात् सीएमएफआरआई, एनआईओटी, जेडएसआई, बीएसआई, पर्यटन विभाग, सीआईएआरआई,



16-18 दिसंबर, 2014 के दौरान अंडमान समुद्री अध्ययन और द्वीपीय धारणीयता पर राष्ट्रीय परामर्श का समूह फोटो

शिक्षा विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय, मात्स्यिकी विभाग, नेवी, तटरक्षक और अन्य कार्यशील गैर सरकारी सरकारी संगठनों के अधिकारियों को आमंत्रित किया था।

इसमें लगभग 20 टॉपिक कवर किए गए थे जिसमें मात्स्यिकी, पर्यावरण, प्रदूषण, पर्यटन, सामाजिक आर्थिक, आजीविका, संरक्षण और प्रबंधन, जैव विविधता, जलकृषि, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि शामिल थे।

5.5.3.4 वर्ष 2013-14 और 2014-15 (नवम्बर, 2014 तक) की अवधि के दौरान, सर्वेक्षण यानों ने संयुक्त रूप से क्रमशः 681 मत्स्यन दिवस और 670 मत्स्यन दिवस, कुल मत्स्यन प्रयासों को क्रमशः 1,711 घंटों और 1,794 घंटों तक विस्तार करते हुए और क्रमशः 155,010 हुकों और 116,881 हुकों का परिचालन किया था।

5.5.3.5 वर्ष 2013-14 और 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान व्यय निम्नांकित है:

(लाख रु. में)

| विवरण     | 2013-14 | 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) |
|-----------|---------|----------------------------|
| योजना     | 3327.78 | 3095.08                    |
| गैर योजना | 981.06  | 890.46                     |

#### 5.5.4 मात्स्यिकी हेतु केंद्रीय तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईसीईएफ), बंगलोर

5.5.4.1 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) से प्राप्त तकनीकी तथा जनशक्ति सहायता के अंतर्गत जनवरी, 1968 में मात्स्यिकी के लिए केंद्रीय तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित किया गया था। इस संस्थान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी बंदरगाहों के विकास के लिए देश की सम्पूर्ण तटरेखा में विद्यमान संभावित मात्स्यिकी बंदरगाहों की पहचान करना, चुनिंदा मत्स्यन बंदरगाह स्थलों के लिए इंजीनियरिंग तथा आर्थिक जांच पड़ताल करना तथा मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केंद्रों खारा जल श्रिम्प फार्मों तथा हैचरी परियोजनाओं के विकास के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें (टीईएफआर) तैयार करना है।

5.5.4.2 इस संस्थान ने दिसंबर, 2014 के अंत तक 89 स्थलों की जांच पड़ताल की तथा मात्स्यिकी बंदरगाहों/मछली उतारने के केंद्रों के विकास के लिए 89 स्थलों हेतु परियोजना रिपोर्टें तैयार कइ। इस संस्थान ने लगभग 66,200 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र को रिकोनाइटर किया है तथा जलकृषि फार्मों के विकास के लिए सभी समुद्री राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 15,600 हे. से अधिक में इंजीनियरिंग जांच पड़ताल की गई थी।

5.5.4.3 2014-15 के दौरान, दिसंबर, 2014 तक, इस संस्थान ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के जुव्वाल्लादिन्ने में मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए इंजीनियरिंग और आर्थिक जांच पड़ताल की थी। साथ ही, कर्णाटक के मजाली और केनी तथा महाराष्ट्र के वर्सावा में मत्स्यन बंदरगाहों के विकास के लिए प्राथमिक रिपोर्टें जारी की गयी थइ। ओडिसा के बहाबलपुर में मत्स्य बंदरगाहों के विकास के लिए टीईएफआर जारी की गयी थी। इसके अतिरिक्त ससून डॉक मत्स्य बंदरगाह आधुनिकीकरण प्रस्ताव पर तकनीकी रिपोर्ट जारी की गयी थी।

5.5.4.4 2013-14 के दौरान, सीआईसीईएफ द्वारा गैर योजना के लिए 262.82 लाख रुपए, जबकि 2014-15 के दौरान (दिसंबर, 2014 के अंत तक) 231.29 लाख रुपए का व्यय किया गया। 2013-14 तथा 2014-15 दोनों ही के दौरान, संस्थान के लिए योजना के अंतर्गत निधियों का कोई आबंटन नहीं किया गया।

#### 5.5.5 तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए)

5.5.5.1 तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) ने अपने प्रारंभ से तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के उपबंधों के तहत, पिछले 8 वर्षों के दौरान विभिन्न विनियामक उपायों के कार्यान्वयन के जरिए धारणीय और पर्यावरण हितैषी दृष्टिकोण अपनाते हुए देश में श्रिम्प क्षेत्र की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सीएए का मुख्य उद्देश्य तटीय क्षेत्र अर्थात् समुद्र की उच्च ज्वारभाटा रेखा (एचटीएल) से दो किलोमीटर में भूमि क्षेत्र, खाड़ियों और खाराजल में तटीय जलकृषि की विनियमित वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। इस प्रक्रिया में, सीएए यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि उत्तरदायी तटीय जलकृषि के सिद्धान्त को एक और सभी के द्वारा अनुसरण किया जाए।

5.5.5.2 प्राधिकरण का लक्ष्य और उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा तटीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित अपने अधिकार क्षेत्र में तटीय जलकृषि क्रियाकलापों और उससे संबंधित मामलों को विनियमित करना है। प्राधिकरण तटीय क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और परिचालन के लिए विनियम बनाने, खारा जल श्रिम्पों के लिए फार्मों और हैचरियों का निरीक्षण, उच्च ज्वारा भाटा रेखा से दो किलोमीटर के अधिसूचित क्षेत्र के अंदर देश में मछली और अन्य जलीय जीवों पर उनका पर्यावरणीय प्रभाव देखने के लिए, जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण, उन तटीय जलकृषि फार्मों को हटाना या विध्वंस करना जो प्रदूषण का कारण हैं, क्रियाकलाप में संलग्न विभिन्न शेयर धारकों के सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरणीय उत्तरदायी और सामाजिक रूप से स्वीकृत तटीय जलकृषि को सुगम बनाने के लिए तटीय जलकृषि में उपयोग सभी तटीय जलकृषि आदानों अर्थात् बीज, आहार, वृद्धि अनुपूरक रसायनों इत्यादि के लिए मानकों को निर्धारित करने के लिए अधिकारयुक्त है।

5.5.5.3 तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और नियमों में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार तटीय जलकृषि पर जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने फार्मों को तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराएं। पंजीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध है जिसे समय समय पर समान अवधि के लिए नवीनीकृत कराया जा सकता है। पंजीकरण प्रक्रिया मौजूदा फार्मों, नए फार्मों के साथ साथ ऐसे फार्म जो भविष्य में तटीय जलकृषि क्रिया कलाप करने के लिए नवीनीकरण होंगे, के लिए जारी रहेगी। तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण से संबंधित सभी मामलों पर सीएए को राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी) और जिला स्तरीय समितियां (डीएलसी) द्वारा सहायता की जाएगी। फार्मों के पंजीकरण के लिए मुद्दे को तटीय राज्यों के समक्ष रखना, जागरूकता कैंपों का आयोजन, अखबारों के जरिए प्रचार इत्यादि सहित अनेक उपाय किए जाएंगे।

5.5.5.4 तटीय जलकृषि प्राधिकरण पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा जारी दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना द्वारा विदेशी श्रिम्प अर्थात् लिटोपेनियस वन्नामई के

वाणिज्यिक प्रस्तुति के विनियमन के कार्य से संबद्ध किया गया था। इसमें भारतीय हैचरियों को बीच उत्पादन और इसकी खेती के लिए चयनित विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. वन्नामई के ब्रुडस्टॉक आयात के लिए पात्र फार्मों को विशेष स्वीकृति जारी करने से पहले सीएए निरीक्षण टीम द्वारा हैचरियों और फार्मों दोनों में जैव सुरक्षा सुविधाओं के निरीक्षण के पश्चात् स्वीकृति दिलाना तथा इस प्रजाति इत्यादि की खेती और गैर प्राधिकृत प्रजनन रोकने के कार्यक्रम की निगरानी करना शामिल है। तदनुसार एल. वन्नामई नस्ल के आवेदन के लिए पात्रता, तकनीकी आवश्यकता, उत्पादन की प्रक्रिया और एसपीएफ एल. वन्नामई बीजों की बिक्री और विशिष्ट निर्देश तथा विनियम सीएए (संशोधन) नियम, 2009 द्वारा तथा दिशा निर्देशों के सुगम कार्यान्वयन के लिए आगे के संशोधनों को अधिसूचनाओं के जरिए जारी किया गया है।

5.5.5.5 तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण हैचरियों तथा फार्मों के एल. वन्नामई की खेती संबंधी अनुमति देने तथा इस उद्यम के धारणीय विकास हेतु फार्मों और हैचरियों के निरीक्षण और मानीटरिंग के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

5.5.5.6 इसके प्रारंभ से (दिसम्बर, 2005) से लेकर दिसम्बर, 2014 तक 46,705.66 हैक्टेयर (डब्ल्यूएसए 31,855.66 हैक्टेयर) के कुल फार्म क्षेत्र वाले कुल 28,124 श्रिम्प फार्म पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें से अप्रैल से दिसम्बर, 2014 के दौरान 897.66 हैक्टेयर (डब्ल्यूएसए 577.77 हैक्टेयर) के कुल फार्म क्षेत्र वाले 677 फार्मों को पंजीकृत किया गया।

5.5.5.7 फार्म पंजीकरण का नवीनीकरण सितम्बर, 2012 से प्रारंभ किया गया था और प्राधिकरण की 50वीं बैठक (दिसम्बर, 2014) तक कुल 902 फार्मों का नवीनीकरण किया गया था जिसमें से 400 फार्मों को अप्रैल से दिसम्बर, 2014 के दौरान नवीनीकृत किया गया था।

5.5.5.8 प्रारंभ (अगस्त, 2009) से दिसम्बर, 2014 तक 9,951.12 हे. (डब्ल्यूएसए 6,728.20 हे.) के कुल फार्म क्षेत्र सहित कुल 1,037 एल. वन्नामई फार्मों का पंजीकरण किया गया था, जिसमें से 677 फार्मों को 897.66 हे. (डब्ल्यूएसए 577.57 हे.) के कुल फार्म क्षेत्र सहित अप्रैल से दिसम्बर, 2014 के दौरान पंजीकृत किया गया था।

5.5.5.9 निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के आधार पर कार्यक्रम प्रारंभ से 13,708 मिलियन बीजों की उत्पादन क्षमता सहित सभी तटीय राज्यों में फैली कुल 180 एसपीएफ एल. वन्नामई हैचरियों को स्वीकृत/नवीनीकरण किया गया था और 1,64,496 ब्रुडस्टॉक के जोड़ों को सीएए द्वारा चुने गए 9 ब्रुडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं से दिसम्बर, 2014 तक आयात करने के लिए स्वीकृति दी गई थी। ब्रुडस्टॉक के कुल 22.813 जोड़े आयातित किए गए थे और स्वीकृत हैचरियों द्वारा एसपीएफ एल. वन्नामई के अनुमानित 22.80 मिलियन पोस्ट लार्वा उत्पादित किए गए थे और अप्रैल से दिसम्बर, 2014 के दौरान पंजीकृत श्रिम्प किसानों को आपूर्ति किए गए थे।

5.5.5.10 अप्रैल से दिसम्बर, 2014 के दौरान, सीएए निगरानी टीम ने नियमित निगरानी के लिए कुल मिलाकर 55 एल. वन्नामई हैचरियों (आंध्र प्रदेश में 24 और तमिलनाडु में 31) की यात्रा की थी। दिशा निर्देशों के अनुसार टीम द्वारा अनाधिकृत स्टॉक को नष्ट कर दिया गया था।

5.5.5.11 सीएए अपशिष्ट जल के मानकों की भी निगरानी कर रहा है और इसके आधार पर हैचरियों और फार्मों के मालिकों को कार्बनिक भार के प्रभाव को कम करने के लिए उनके ईटीएस में संशोधन करने के लिए निर्देश दिए हैं।

5.5.5.12 दो नोटिस जारी किए गए थे, दक्षिण पूर्व एशियन देशों से ईएमएस रोग से संक्रमित की सूचना के कारण एल. वन्नामई ब्रुडस्टॉक को आयात नहीं करने के लिए एक परामर्शी और दूसरा श्रिम्प किसानों को सावधान करने के लिए कि स्टॉक गुणवत्ता बीज के लिए केवल स्वीकृत हैचरियों से बीज का उपयोग करें।

5.5.5.13 एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव और तटीय जलकृषि का धारणीय विकास में सीएए के योगदान को व्याख्यायित करने के लिए श्रिम्प किसानों और राज्य मत्स्यकी विभाग अधिकारियों के साथ साथ समय समय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

5.5.5.14 देश में एल. वन्नामई की खेती दिसम्बर, 2009 के दौरान 1,745 हे. (डब्लूएसए 1,117 हे.) के कुल फार्म क्षेत्र सहित 107 फार्मों में प्रारंभ हुई थी और तेजी से बढ़ती हुई 2014 के अन्त तक 9,915.12 हे. (डब्लूएसए 6728.20 हे.) के कुल फार्म क्षेत्र सहित 1,037 फार्मों में फैल गई। इन फार्मों में एसपीएफ एल. वन्नामई के

उत्पादन ने उत्पादन क्षमता में भी 10 से 12 मि. टन प्रति हे. प्रतिवर्ष सहित अत्यधिक वृद्धि कर दी। एल. वन्नामई फार्मों में उत्पादकता वृद्धि ने श्रिम्प क्षेत्र में संपूर्ण उत्पादकता पर, साथ-साथ भारत से श्रिम्प के निर्यात पर भी प्रभाव डाला है। ब्रुड स्टॉक आपूर्तिकर्ताओं की पहचान में सख्त विनियम, आयात प्रक्रियाएं और ब्रुडस्टॉक का संगरोधीकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि देश में अब तक आयातित एल. वन्नामई ब्रुडस्टॉक ओआईई में सूचीबद्ध रोगों से मुक्त है। इसी प्रकार, जैव सुरक्षा सुविधाएं जो कि पर्याप्त हैं, को सुनिश्चित करने के पश्चात् हैचरियों और फार्मों को स्वीकृति तथा यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी कि दिशा निर्देशों का उपयुक्त रूप से कार्यान्वयन हो रहा है और फार्मों तथा हैचरियों के ईटीएस से अपशिष्ट जल पैरामीटर्स का प्रवाह हा रहा है, सीएए इत्यादि द्वारा निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करता है। इसने श्रिम्प खेती क्षेत्र को रोगों विशेष रूप से मृत्युपूर्व लक्षणों (ईएमएस) से बचने में समर्थ बनाया है, तथापि इसने पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशियन देशों में श्रिम्प फार्मों को बर्बाद कर दिया है।

5.5.5.15 सीएए की वेबसाइट अर्थात् [www.caa.gov.in](http://www.caa.gov.in) आवश्यक सूचना के साथ वैश्विक रूप से देखने में समर्थ है, क्रेता पता लगाने के लिए श्रिम्प का पूर्ण विवरण पा सकते हैं तथा किसान और हैचरी संचालक सीएए अधिनियम, नियमों, विनियमों और पंजीकरण के दिशा निर्देशों, बीज उत्पादन और खेती पर पूर्ण जानकारी पा सकते हैं। श्रिम्प फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण और नवीनीकरण का डाटाबेस समय समय पर अद्यतन किया जा रहा है और सीएए के सभी प्रकाशन, दस्तावेज, अधिसूचनाएं, परिपत्रों, विज्ञापनों और जनहित के अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों को शेयरधारकों के लाभ के लिए दिया जा रहा है। सीएए की वेबसाइट के जरिए “एक्वाफार्मों/हैचरियों का ऑनलाइन पंजीकरण” का नया विचार भी विचाराधीन है।

5.5.5.16 ‘वन फोल्ड’ के तहत सीएए अधिनियम, नियम, दिशा निर्देश, विनियमों और मार्च, 2014 तक अन्य संबंधित अधिसूचनाओं सहित संग्रह पुस्तिका के अद्यतन संस्करण को सभी शेयरधारकों के अनुपालन के लिए मौजूदा तटीय जलकृषि कानूनों और अधिसूचित कानूनी नियामक उपाय, नियम, दिशा निर्देशों और सीएए के विनियमों के अनुपालन को सुगम बनाने के लिए द्विभाषा (हिन्दी और अंग्रेजी) में लाया गया था।



गोप-फूट/हैंड डिप

ताजी फार्म हार्वेस्टेड एल. वन्नामई

## 5.6 समुद्री मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करना

5.6.1 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुई आतंकवादी घटना की पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने यह महसूस किया कि मत्स्यन तथा अन्य संबद्ध क्रियाकलापों से जुड़े समुद्री मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करना आवश्यक है। तदनुसार 11 दिसम्बर, 2009 को 72 करोड़ रुपये की कुल लागत से “समुद्री मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करने पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस)” को आरंभ किया गया था। बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करने की परियोजना में दो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप शामिल हैं। जैसे (क) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंकड़ा एकत्रीकरण तथा इसका सत्यापन और (ख) आंकड़ों को डिजिटल रूप देना, प्रत्येक मछुआरे का बायोमीट्रिक विवरण शामिल करना, कार्ड तैयार कर जारी करना। इस योजना के तहत, भारत सरकार परामर्श की सम्पूर्ण लागतको वहन करने के साथ-साथ, तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय समुद्री मछुआरों संबंधी आंकड़े (एनएमएफडी) तैयार करना जिन तक केन्द्र और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रोंकी सभी प्राधिकृत एजेंसियों की पहुंच हो। इस परियोजना के अन्य उद्देश्य हैं अनुप्रयोग उन्मुख बायो मीट्रिक पहचान पत्र जारी करके समुद्री मछुआरों को सशक्त बनाना और विभिन्न तटीय राज्यों और राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी विभिन्न पहचान पत्रों के दोहराए जाने से बचना।

5.6.2 भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) के नेतृत्व

में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों (सीपीएसयू) के एक संघ को आंकड़ों को डिजिटल रूप देने, बायोमीट्रिक विवरण लेने और डिजाइन उत्पादन और समुद्री मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करने से संबंधित अन्य कार्यों का भार सौंपा गया है। इस संघ के दो अन्य सदस्य हैं इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईटीआई), बंगलौर।

5.6.3 इस योजना के अंतर्गत, 2009-2010 के दौरान 33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई, जिसमें से 8 करोड़ रुपये तटवर्ती राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को तथा शेष 25 करोड़ रुपये सीपीएसयू के समूह को दिया गया।

5.6.4 बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी किए जाने के लिए चिन्हित किए गए 19,59,311 मछुआरों में से चिन्हित किए गए सभी मछुआरों के संबंध में डाटा संग्रहण तथा डिजिटिकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। जनवरी, 2015 तक, कुल 12,17,282 आई. डी. कार्ड तैयार कर लिए गए थे, जिसमें से 12,13,447 कार्ड कार्ड धारकों को वितरित किए जाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिए गए थे। और अधिक मछुआरों को कवर करने के लिए यह परियोजना 9 तटवर्ती राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयनाधीन है।

## 5.7 मात्स्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

5.7.1 एफएओ की मात्स्यिकी संबंधी समिति (सीओएफआई) तथा इसकी उप समितियों का मात्स्यिकी विकास पहलों

में इसके क्रियाशील सहभागिता के अलावा, भारत मात्स्यिकी से संबंधित अन्य विभिन्न वैश्विक तथा क्षेत्रीय निकायों जैसे संकटाधीन प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग (सीआईटीईएस), भारतीय महासागर दूना आयोग (आईओटीसी) से भी जुड़ा है। चार देशों की क्षेत्रीय पहलें नामतः बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन (बीओबीपी-आईजीओ) का आयोजन भारत द्वारा किया गया था और यह चेन्नई में स्थित है। भारत ने आठ सदस्यीय बंगाल की खाड़ी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र कार्यक्रम द्वितीय चरण (बीओबीएलएमई) में सक्रिय रूप से भागीदारी की है। मात्स्यिकी मुद्दों पर भी अन्य फोरमों जैसे कि सार्क, बिस्मटेक-ईसी, आईओआर-आरसी इत्यादि में सक्रिय रूप से चर्चा की गई है, जिसका भारत एक सदस्य है। भारत मात्स्यिकी विकास के लिए अनेक द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रमों में सहभागी है।

## 5.7.2 मात्स्यिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग

### 5.7.2.1 भारत और नार्वे के मध्य 'मत्स्य निषेध' और संयुक्त तकनीकी समिति (जेटीसी) बैठक

डा. एम.वी. राव, मुख्य कार्यकारी, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद, श्री बी. विष्णुभट्ट, मात्स्यिकी विकास आयुक्त, डीएडीएफ और डा. जे. के. जेना, निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएफजीआर), लखनऊ ने भारत और नार्वे के मध्य 18-22 अगस्त, 2014 के दौरान ट्रॉडहेम, नार्वे में आयोजित 'मत्स्य निषेध' और संयुक्त तकनीकी समिति (जेटीसी) में भाग लिया।

### 5.7.2.2 भारत-श्रीलंका संयुक्त समिति (जेसी) बैठक

भारत-श्रीलंका संयुक्त समिति (जेसी) की बैठक 29 अगस्त, 2014 को प्रातः 10 बजे कमेटी कक्ष संख्या, 142, कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।

### 5.7.2.3 जलकृषि पर इंडो-नार्वे सहयोग संयुक्त कार्यशाला

भारत और नार्वे के मध्य समझौता ज्ञापन के तहत चतुर्थ संयुक्त तकनीकी समिति की बैठक मुंबई में 30 अक्टूबर, 2014 को आयोजित हुई थी। साथ ही, संयुक्त सहयोग के तहत, जलकृषि पर कार्यशाला का आयोजन 30 अक्टूबर, 2014 को ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई में हुआ था। भारत के विभिन्न भागों से उद्योगियों सहित लगभग 60 प्रतिभागियों ने इसमें भागीदारी की थी।

## 5.7.3 एशिया पैसिफिक मात्स्यिकी आयोग (एपीएफआईसी) बैठक की मेजबानी

### 5.7.3.1 एशिया पैसिफिक मात्स्यिकी आयोग (एपीएफआईसी)

#### 5.7.3.1.1 एशिया पैसिफिक मात्स्यिकी आयोग (एपीएफआईसी) क्षेत्रीय सलाहकार फोरम बैठक (आरसीएफएम), हैदराबाद, 19-21 जून, 2014

एशिया पैसिफिक मात्स्यिकी आयोग (एपीएफआईसी) की पांचवी क्षेत्रीय सलाहकार फोरम बैठक (आरसीएफएम) इस मंत्रालय द्वारा 19 से 21 जून, 2014 को नोवोटोल होटल, हैदराबाद में आयोजित की गई थी। पांचवी आरसीएफएम को कुल 85 प्रतिभागियों: 15 एपीएफआईसी सदस्य और गैर-सदस्य देशों से 26 प्रतिभागियों, गैर सरकारी संगठनों, समिति और क्षेत्रीय संगठनों से 34 प्रतिनिधियों तथा 10 निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

#### 5.7.3.1.2 एशिया पैसिफिक मात्स्यिकी आयोग (एपीएफआईसी) का 33वां सत्र, हैदराबाद, 22-25 जून, 2014

5.7.3.1.2.1 इस मंत्रालय द्वारा एशिया पैसिफिक मात्स्यिकी आयोग (एपीएफआईसी) का 33वां सत्र नोवोटोल होटल, हैदराबाद में 22 से 25 जून, 2014 को आयोजित किया गया था।

#### 5.7.3.1.2.1 भागीदारी

- 33वें सत्र में 36 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया था।
- एपीएफआईसी के 17 सदस्य देशों से 28 प्रतिनिधि।
- उपस्थित: ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते, यूएसए, वियतनाम
- अनुपस्थित: यू.के., फ्रांस, न्यूजीलैंड, चीन, 4 एफएओ स्टॉफ (4 आरएपी सचिवालय, एफएओआर शामिल नहीं जिसने सत्र के प्रारम्भ में भाग लिया था।)
- एफएओ सदस्य देश से एक पर्यवेक्षक (लाओ पीडीआर)
- 3 एपीएफआईसी सहभागी अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मात्स्यिकी संगठनों तथा प्रबंधों (बीओबीपी आईजीओ, एमआरसी, एनएसीए) से 3 पर्यवेक्षक।

अध्याय 6 से 9

व्यापारिक मामले  
अनुसूचित जाति उप योजना  
(एस सी एस पी)  
जनजातीय उप योजना (टीएसपी)  
महिलाओं का सशक्तिकरण  
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग



# अध्याय 6

## व्यापारिक मामले

### 6.1 प्रस्तावना

6.1.1 विभिन्न पशुधन उत्पादों से मात्रात्मक सीमाएं (क्यूआर) हटाए जाने के बाद इस विभाग ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में संशोधन किया है तथा पशुधन उत्पादों को आयात प्रक्रिया को विनियंत्रित करने के लिए सभी पशुधन उत्पादों को अपने कार्य क्षेत्र में ले आया है। तदनुसार, पशुधन उत्पाद के लिए दिनांक 7 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 655 (ई), मात्स्यिकी उत्पादों के लिए दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या 1043 (ई) और कुक्कट के मूल जनक (जी पी) स्टॉक के लिए दिनांक 27 नवम्बर, 2001 की संख्या 1175 (ई) जारी की गई थी, जिसमें पशुधन उत्पादों के आयात के लिए स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट अनिवार्य बना दिया गया था। 28.03.2008 को, अधिसूचना संख्या 794 (ई) के जरिए, विभाग ने दिनांक 07.07.2001 की अधिसूचना संख्या 655 (ई) में और आगे संशोधन किया जिसमें पशुधन उत्पादों को वर्गीकृत किया गया है जिनके लिए स्वच्छता आयात परमिट (एसपीआई) आवश्यक है, जिन्हें पशु संगरोध तथा प्रमाणीकरण सेवाओं से अनापत्ति प्राप्त होने के आधार पर छोड़ा जा सकता है और ऐसे उत्पाद जिनके लिए स्वच्छता, आयात परमिट या अनापत्ति दोनों में से किसी की आवश्यकता नहीं है।

6.1.2 अब, प्रधान अधिसूचना एस.ओ. 655 (ई) दिनांक 07.07.2001 को संशोधित किया जा चुका है और धारा 2(घ) के तहत पशुधन उत्पादों को सूचीबद्ध करते हुए और पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3(क) के तहत पशुधन उत्पादों के आयात की प्रक्रिया की एक समेकित अधिसूचना जारी की जा चुकी है। निर्यात कर रहे देश में रोगों की स्थिति के साथ-साथ इस देश में रोग की स्थिति के आधार पर जोखिम विश्लेषण करने के बाद ही स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट जारी किया जाता है।

6.1.3 एस.ओ. 1495 (ई) और 1496 (ई) दिनांक 10 जून, 2014 के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जहां पशुधन की व्याख्या को आगे धारा 2 (घ) के अनुसार

विस्तृत किया गया है और भारत में आयात के लिए उसकी प्रक्रियाओं को पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3 के अनुपालन में निर्धारित किया जा चुका है।

### 6.2 आयात की प्रक्रिया

6.2.1 विभिन्न पशुधन उत्पादों के आयात के लिए स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट (एसआईपी) जारी करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में एक जोखिम विश्लेषण समिति गठित की गई है, सभी संयुक्त सचिव सदस्य होंगे। पशुधन और मात्स्यिकी उत्पादों के आयात के लिए आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट ([www.dahd.nic.in](http://www.dahd.nic.in)) पर उपलब्ध है। प्राप्त आवेदनों की जांच-पड़ताल की जाती है और विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक प्रमाण और ओ.ई.ई. विनियमों के आधार पर जोखिम विश्लेषण किया जाता है। जोखिम विश्लेषण समिति आवेदन को नामंजूर करने अथवा एस आई.पी. जारी करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों पर विचार करती है। असंतुष्ट आवेदक संयुक्त सचिव (व्यापार) को सम्बोधित एक समीक्षा/अम्यावेदन दायर करके जोखिम विश्लेषण समिति के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है। समिति की बैठक प्रत्येक माह में 10-15 दिनों के अंतराल पर होती है। दिसंबर, 2014 तक समिति की 20 बैठकें हुई हैं। दिसंबर, 2014 तक विभाग ने विभिन्न फर्मों/संगठनों को 1,810 एसआईपी जारी किए ताकि वे मात्स्यिकी उत्पादों सहित विभिन्न पशुधन उत्पाद आयात कर सकें।

6.2.2 यह विभाग पशुधन तथा पशुधन उत्पादों से संबद्ध पण्यों जैसे टीके, औषध एवं जैविक के आयात/निर्यात/विनिर्माण/विपणन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/फर्मों/संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी कार्रवाई करता है। इन प्रस्तावों पर विभाग के विचार विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)/भारत के औषध नियंत्रक (डीसीआई) को सूचित किए जाते हैं। जिससे व्यापार एवं निवेश मामलों से संबंधित समिति द्वारा इस पर विचार किए

जाने के बाद संबंधित राज्य सरकारों/फर्मों/संगठनों को आवश्यक आयात लाइसेंस जारी किए जा सकें। व्यापार एवं निवेश मामलों से संबंधित समिति की संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में बैठक भी होती है जिसमें सभी संयुक्त सचिव सदस्य के तौर के रूप में मौजूद रहते हैं।

6.2.3 उक्त समिति की प्रत्येक माह 10–15 दिनों के अन्तराल पर बैठक होती है। दिसंबर, 2014 तक समिति की 20 बैठकें हुईं और विभिन्न फर्मों/संगठनों तथा साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों को दिसंबर, 2014 तक 397 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए।

6.2.4 विभाग ने पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात के क्रियाकलापों से जुड़ी विभिन्न फार्मों/संगठनों को स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट जारी करने के लिए ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक प्रणाली आरंभ की है। स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट के लिए ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने संबंधी प्रक्रिया विभाग की वेबसाइट [www.dahd.nic.in](http://www.dahd.nic.in) में अपेक्षित आवेदन पत्र और अन्य संबंधित सूचना के साथ उपलब्ध है।

## अध्याय 7

### अनुसूचित जाति उप योजना (एस सी एस पी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी)

7.1 विभाग केन्द्रीय सेक्टर तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है जिनका मुख्य उद्देश्य पशुधन, डेयरी तथा मात्स्यिकी सेक्टरों के विकास के लिए राज्य सरकारों की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। अधिकांश योजनाएं सीधे तौर पर लाभार्थी उन्मुख नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के अन्य कमजोर वर्ग तथा महिलाएं, पशुधन तथा मात्स्यिकी क्षेत्रों की गतिविधियों में लगी हैं। इसके परिणामस्वरूप, इस विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाएं समाज के इन वर्गों को लाभान्वित करती हैं। तथापि, विभाग इन योजनाओं द्वारा लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से संबंधित आंकड़ों का रिकार्ड नहीं रख रहा। योजनाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारें/क्रियान्वयन एजेंसियां भी इस तरह का रिकार्ड नहीं रख रही हैं।

7.2 अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के तहत निर्धारित 16.2% की निधि के निर्धारण के संबंध में योजना आयोग के दिनांक 15.12.2010 के अ.शा.प्रत्र सं0 11016/12(1)/2009-पीसी के द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार इस विभाग ने एससीएसपी घटक के तहत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 2013-14 में 328.05 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसके मुकाबले 2013-14 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 259.72 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2014-15) में इस विभाग ने एससीएसपी घटक के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 352.19 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

7.3 विभाग को जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के तहत निधियों के निर्धारण से छूट दे दी गई है।

# अध्याय 8

## महिलाओं का सशक्तिकरण

### 8.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन में महिलाएं

8.1.1 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभाग की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, विभाग हमेशा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन में लगी महिलाओं को लाभ देने पर जोर देता रहा है।

8.1.2 पशुपालन क्षेत्र में, पशुओं को चारा देने, दूध दुहने इत्यादि जैसे काम जो अधिकतर महिलाएं करती थी वे अब पुरुष तथा महिलाओं द्वारा साथ-साथ किए जाते हैं। तथापि, पशुपालन के क्षेत्र में पुरुष तथा महिलाओं की भूमिका एक दूसरे की पूरक है और इनके कार्य को विनिर्दिष्ट रूप से श्रेणीबद्ध कर अलग-अलग करना संभव नहीं है।

8.1.3 महिलाएं डेयरी सहकारिता आंदोलन में अग्रणी रही हैं जिसे प्रारंभ में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम तथा बाद में सरकार द्वारा क्रियान्वित समेकित डेयरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से चलाया गया था।

8.1.4 कुक्कुट क्षेत्र में, ग्रामीण घरेलू कुक्कुट एक आय प्रतिपूरक योजना है और इसे अधिकांशतः महिलाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, अतः महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने पर बल दिया जाना चाहिए।

8.1.5 इसी प्रकार, नस्लों के संरक्षण, से संबंधित योजना में भेड़, बकरी तथा छोटे जुगाली करने वाले पशुओं के संरक्षण की योजनाओं को इस तरह संचालित किया गया है जिनमें ऐसी योजनाओं को आरंभ करने के लिए महिलाओं की पहचान की जा रही है।

8.1.6 महिलाएं सम्बद्ध मात्स्यिकी क्रियाकलापों, जैसे

मत्स्य बीज एकत्र करना, छोटी मछली पकड़ना, मुसेल, खाने योग्य ऑएस्टर, समुद्री अपतृण एकत्र करना, मत्स्य विपणन, मत्स्य प्रसंस्करण और उत्पाद विकास इत्यादि से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं मात्स्यिकी क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी और भागीदारिता को और बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण तथा माइक्रो वित्त दिया जाता है ताकि उन्हें प्रोत्साहित करके समूह में संगठित करके उनकी क्षमता का निर्माण किया जा सके।

8.1.7 विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाएं/कार्यक्रम महिलाओं के लिए लाभकारी रहे हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस संदर्भ में रिकार्ड रखने के लिए कहा गया है।

8.1.8 इस विभाग में एक लैंगिक बजट प्रकोष्ठ गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य मंत्रालय की नीतियों, कार्यक्रमों में परिवर्तन को इस प्रकार प्रभावित करना है जिससे लैंगिक असंतुलन से निपटने के अलावा लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके और महिलाओं का विकास किया जा सके। इस प्रकोष्ठ की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (ए.एन.एल.एम.) द्वारा तीन सदस्यों के साथ की जात है। विभाग ने महिला घटक के लिए कोई विशिष्ट निधि निर्धारित नहीं की है, राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2013-14 से मौजूदा केंद्रीय प्रायोजित/केंद्रीय सेक्टर योजनाओं के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले पशुधन के लिए निधि का 10 से 20% उपयोग करने की सलाह दी गई है। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निधियों के निर्धारण को बढ़ाया जाएगा।

## अध्याय 9

### अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

#### 9.1 अंतर्राष्ट्रीय सदस्यताएं

9.1.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग पशु स्वास्थ्य और मात्स्यिकी संबंधी निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नियमित सदस्य है और इन संगठनों को वार्षिक सदस्यता शुल्क देता है:

- क) ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीस (ओ.आई.ई.), पेरिस, फ्रांस।
- ख) इंडियन ओशियन ट्यूना कमीशन (आई.ओ.टी.सी.), सेशल्स-एफ.ए.ओ. के तहत एक संगठन।
- ग) एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ कमीशन फार द एशिया एंड द पैसिफिक (ए.पी.एच.सी.ए.), बैंकाक,

थाइलैंड-एफ.ए.ओ. के तहत एक संगठन।

- घ) मात्स्यिकी के संबंध में बंगाल की खाड़ी परियोजना / अंतर सरकारी संगठन (बीओपीपी-आईजीओ)।
- ड.) अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ (आईडीएफ), बेल्जियम।

#### 9.2 विदेश में प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति।

9.2.1 वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 31.12.2014 तक विभिन्न देशों में कई बैठकों/सेमिनारों/सम्मेलनों/प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए 43 अधिकारी नियुक्त किए गए थे।

# अध्याय 10

## परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी)

10.1 जब से भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कार्य निष्पादन को मापने के लिए वर्ष 2009 में आरएफडी की संकल्पना प्रारंभ हुई है तब से पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग प्रति वर्ष आरएफडी तैयार कर रहा है और उसे अधिक पारदर्शिता और जन परीक्षण हेतु अपनी वेबसाइट पर भी डाल रहा है। वर्ष 2013-14 के लिए विभाग का आरएफडी नीचे दिया गया है। वर्ष 2013-14 की विभाग की अनंतिम उपलब्धियां भी तत्पश्चात दी गयी हैं। विभाग की आरएफडी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

10.2 इस विभाग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए

निर्धारित किए गए लक्ष्यों के मुकाबले इस विभाग का कार्य निष्पादन पिछले वर्षों में काफी प्रभावशाली रहा है, जैसाकि मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा दिए गए निम्नलिखित समेकित प्राप्तांकों से पता चलता है:

| वर्ष             | प्राप्तांक |
|------------------|------------|
| 2010-11          | 92.91%     |
| 2011-12          | 80.27%     |
| 2012-13          | 95.48%     |
| 2013-14 (अनंतिम) | 91.97%     |

## पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग का परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (2013-14)

### भाग 1 : विजन, मिशन, उद्देश्य और कृत्य

**विजन:** पोषणिक सुरक्षा तथा आर्थिक सम्पन्नता के लिए पशुधन, कुक्कुट पालन और मत्स्यपालन का सतत विकास।

**मिशन:** पशुओं के आनुवंशिक संसाधनों का परिरक्षण, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण, सुरक्षा पशुधन तथा मत्स्य स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण और सुधार, रोजगार के अवसरों का सृजन और महिला तथा अन्य सीमान्त समूहों के लिए आजीविका सहायता, उत्पादन में वृद्धि, पशुधन, मत्स्य तथा कुक्कुट उत्पादों की उत्पादकता तथा मूल्य संवर्धन।

### उद्देश्य:

- पशु रोगों का निवारण और नियंत्रण
- मछली उत्पादन बढ़ाना और मछुआरों को सहायता देना
- दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और किसानों को सहायता देना
- जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का विकास
- चारे तथा आहार का विकास
- पशुधन का आनुवंशिक उन्नयन
- स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण
- कुक्कुट पालन का विकास
- पशुधन बीमा

### कृत्य:

- पशु स्वास्थ्य की मानीटरिंग तथा पशु रोगों का नियंत्रण
- नस्ल सुधार सेवाओं का वितरण

- पशुधन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना
- स्वच्छ दुग्ध हेतु अवसंरचना का सृजन
- पशुधन आबादी की संगणना करते रहना
- टीकों का वितरण
- यह विभाग पशुधन उत्पादन, परिरक्षण, स्टॉक की सुरक्षा तथा सुधार, डेयरी विकास, मत्स्यन तथा मात्स्यिकी से जुड़े मामले के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को पशुपालन, डेयरी विकास तथा मात्स्यिकी के क्षेत्र में नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करने में सलाह देता है। इन गतिविधियों का मुख्य फोकस इन पर है: (क) पशु उत्पादकता में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपेक्षित अवसंरचना का विकास (ख) दूध तथा दुग्ध उत्पादों के रख रखाव, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए अवसंरचना को बढ़ावा देना (ग) स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था द्वारा पशुधन का परिरक्षण और सुरक्षा (घ) उत्कृष्ट जर्मप्लाज़्म के विकास के लिए केंद्रीय पशुधन फार्मों का सुदृढ़ीकरण (ङ.) पशुधन तथा पशुधन उत्पादों के आयात का विनियमन (स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट द्वारा), पशु संगरोध केंद्रों की स्थापना तथा प्रमाणपत्र जारी करना तथा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल (च) कल्याण योजनाएं तैयार करना (छ) सांख्यिकीय तथा सूचना प्रसार और (ज) फार्म को जोड़ते हुए अनुसन्धान।

धारा 2 : मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों तथा लक्ष्यों में परस्पर प्राथमिकताएं

| उद्देश्य   | मान | कार्य   | सफलता   | यूनिट                                 | मान          | लक्ष्य / मानदंड मूल्य |                      |                     |                     |                     |
|--|-----|---|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |     |   |   |                                       |              | उत्कृष्ट              | बहुत अच्छा           | अच्छा               | औसत                 | खराब                |
|  |     |   |   |                                       |              | 100%                  | 90%                  | 80%                 | 70%                 | 60%                 |
| 1 पशु रोगों का निवारण और नियंत्रण                        | 14  | 1.1 महत्वपूर्ण रोगों के लिए टीकाकरण<br>1.2 पशुचिकित्सा व्यावसायिकों की दक्षता में सुधार<br>1.3 महत्वपूर्ण रोगों के विरुद्ध निगरानी के लिए नमूना संग्रहण | 1.1.1 लगाए गए टीकों की संख्या<br>1.2.1 प्रशिक्षित किये गए पशुचिकित्सकों की संख्या<br>1.3.1 एकत्र किये गए नमूनों की संख्या | संख्या मिलियन में<br>संख्या<br>संख्या | 10<br>2<br>2 | 350<br>500<br>120000  | 315<br>450<br>108000 | 280<br>400<br>96000 | 245<br>350<br>84000 | 210<br>300<br>72000 |
| 2. मछली उत्पादन बढ़ाना तथा मछुआरों को सहायता प्रदान करना | 17  | 2.1 नए तालाबों का निर्माण तथा विद्यमान तालाबों का नवीनीकरण  | 2.1.1 नवनिर्मित तालाब   | क्षेत्रफल हेक्टेयर में                | 3            | 8000                  | 7200                 | 6400                | 5600                | 4800                |
|  |     |   | 2.1.2 नवीनीकृत तालाब  | क्षेत्रफल हेक्टेयर में                | 3            | 18000                 | 16200                | 14400               | 12600               | 10800               |
|  |     | 2.2 कल्याणकारी उपाय तथा आदान सस्मिडी  | 2.2.1 बीमा योजना का विस्तार   | संख्या                                | 1.5          | 4000000               | 3600000              | 3200000             | 2800000             | 2400000             |
|  |     |   | 2.2.2 आवासों का निर्माण   | संख्या                                | 1.5          | 6500                  | 5950                 | 5200                | 4550                | 3900                |
|  |     |   | 2.2.3 पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण देना  | संख्या                                | 1.5          | 4500                  | 4050                 | 3600                | 3150                | 2700                |
|  |     |   | 2.2.4 मछुआरों को सुरक्षा किटों की आपूर्ति   | संख्या                                | 1.5          | 1000                  | 900                  | 800                 | 700                 | 600                 |
|  |     |   | 2.2.5 उत्पादित फ़िगरलिगों की संख्या   | मिलियन टन                             | 2            | 42020                 | 37818                | 33616               | 29414               | 25212               |
|  |     | 2.3 समुद्री मात्स्यिकी का विकास   | 2.3.1 मोटरीकृत यानों की संख्या  | संख्या                                | 1            | 2000                  | 1800                 | 1600                | 1400                | 1200                |
|  |     |   | 2.3.2 लैंडिंग बंदरगाहों / अवसंरचना का निर्माण   | संख्या                                | 2            | 5                     | 4                    | 3                   | 2                   | 1                   |

| उद्देश्य   | मान | कार्य  | सफलता  | यूनिट                    | मान  | लक्ष्य/मानदंड मूल्य |            |       |       |       |
|--|-----|--|--|--------------------------|------|---------------------|------------|-------|-------|-------|
|  |     |  |  |                          |      | उत्कृष्ट            | बहुत अच्छा | अच्छा | औसत   | खराब  |
|  |     |  |  |                          |      | 100%                | 90%        | 80%   | 70%   | 60%   |
| 3. दूध उत्पादन बढ़ाना और किसानों को सहायता प्रदान करना | 15  | 3.1 उत्पादन बढ़ाना और पशुधन की उत्पादकता                                   | 3.1.1 दूध के उत्पादन में वृद्धि                              | संख्या मिलियन टन में     | 3.75 | 138                 | 133        | 128   | 123   | 118   |
|  |     | 3.2 शीतलन ईकाइयों की स्थापना (अधिक दूध को शीतल करना)                       | 3.2.1 शीतलन क्षमता का निर्माण                                | संख्या टी. एल.पी.डी. में | 3.75 | 1750                | 1575       | 1400  | 1225  | 1050  |
|  |     | 3.3 स्वरोजगार योजना के द्वारा उधिमयों को ऋण प्रदान करके                    | 3.3.1 सुधार/डेयरी ईकाइयों का विस्तार                         | संख्या                   | 3.75 | 45000               | 40500      | 36000 | 31500 | 27000 |
|  |     | 3.4 प्रशिक्षण देना   | 3.4.1 प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या                        | संख्या                   | 3.75 | 4300                | 3700       | 3440  | 3010  | 2580  |
| 4. जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का विकास                | 3   | 4.1 राज्यों की भेड़/बकरी फार्मों का सुदृढ़ीकरण                             | 4.1.1 सहायता किये गए फार्मों की संख्या                       | संख्या                   | 3    | 8                   | 7          | 6     | 6     | 5     |
| 5. चारा तथा आहार विकास                                 | 14  | 5.1 उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का उत्पादन                                 | 5.1.1 चारा बीज उत्पादन क्विंटल में                           | संख्या                   | 7    | 80000               | 72000      | 64000 | 56000 | 48000 |
|  |     | 5.2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन   | 5.2.1 आयोजित किये गए कार्यक्रमों की संख्या                   | संख्या                   | 2.1  | 175                 | 158        | 140   | 123   | 105   |
|  |     | 5.3 चरगाहों तथा रिज़र्वों का विकास   | 5.3.1 विकसित किये गए चारागाह का क्षेत्रफल                    | क्षेत्रफल हेक्टेयर में   | 4.9  | 1000                | 900        | 800   | 700   | 600   |
| 6. पशुधन का आनुवांशिक उन्नयन                           | 5   | 6.1 गुणवत्तायुक्त सीमेन स्ट्रा के उत्पादन और वितरण के माध्यम से नस्ल सुधार | 6.1.1 किए गए कृत्रिम गर्भाणुओं की संख्या                     | संख्या मिलियन में        | 2.5  | 62                  | 58         | 56    | 54    | 52    |
|  |     | 6.2 अच्छी नस्ल के सांड बछड़ों का उत्पादन और वितरण                          | 6.2.1 उत्पादित सांड बछड़ों की संख्या                         | संख्या                   | 2.5  | 400                 | 360        | 320   | 280   | 240   |
| 7. देशी नस्लों का संरक्षण और विकास                     | 5   | 7.1 बोवाइन नस्लों का विकास और संरक्षण                                      | 7.1.1 रिकार्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए पशुओं की संख्या | संख्या                   | 2.5  | 110000              | 99000      | 88000 | 77000 | 66000 |

| उद्देश्य                                  | मान | कार्य   | सफलता   | यूनिट           | मान  | लक्ष्य/मानदंड मूल्य |            |          |          |
|---|-----|---|---|-----------------|------|---------------------|------------|----------|----------|
|   |     |   |   |                 |      | उत्कृष्ट            | बहुत अच्छा | अच्छा    | औसत      |
|   |     |   |   |                 |      | 100%                | 90%        | 80%      | 70%      |
|   |     | 7.2 अन्य संकटाधीन नस्लों का विकास और संरक्षण                        | 7.2.1 संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए संकटाधीन नस्लों की संख्या | संख्या          | 1.25 | 2                   | 1          | 1        | 1        |
|   |     |   | 7.2.2 योजना के अधीन कवर किए गए कुल पशुओं की संख्या                  | संख्या          | 1.25 | 500                 | 450        | 400      | 350      |
| 8. कुक्कुट विकास                          | 10  | 8.1 ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास                                     | 8.1.1 सहायता किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या                     | संख्या          | 5    | 82000               | 73800      | 65600    | 57400    |
|   |     | 8.2 राज्य के फार्मों द्वारा शुद्ध स्टाक का उत्पादन                  | 8.2.1 उत्पादित स्टाक की संख्या                                      | संख्या हजार में | 5    | 2000                | 1800       | 1600     | 1400     |
| 9. पशुधन बीमा                             | 2   | 9.1 पशुधन के लिए बीमा कवर उपलब्ध करना                               | 9.1.1 बीमित किये गए पशुओं की संख्या                                 | संख्या          | 2    | 1200000             | 1080000    | 960000   | 840000   |
| *आर. एफ. डी. प्रणाली का कुशल संचालन       | 3   | अनुमोदन के लिए मसौदा आर. डी.एफ. 2014-15 समय पर प्रस्तुत             | समय पर प्रस्तुत   | दिनांक          | 2    | 5/3/2014            | 6/3/2014   | 7/3/2014 | 8/3/2014 |
|   |     | 2012-13 के लिए परिणाम समय पर प्रस्तुत                               | समय पर प्रस्तुत   | दिनांक          | 1    | 1/5/2013            | 2/5/2013   | 3/5/2013 | 6/5/2013 |
| *मंत्रालय/विभाग की सेवा वितरण/ पारदर्शिता | 3   | नागरिक/ग्राहक चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा        | % कार्यान्वयन   | %               | 2    | 100                 | 90         | 80       | 70       |
|   |     | लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा   | % कार्यान्वयन   | %               | 1    | 100                 | 90         | 80       | 70       |
| *प्रशासनिक सुधार                          | 6   | भ्रष्टाचार के संभावित खतरे को कम करने के लिए रणनीतियों को लागू करना | % कार्यान्वयन   | %               | 1    | 100                 | 95         | 90       | 85       |
|   |     | अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 का लागू करना              | % कार्यान्वयन   | %               | 2    | 100                 | 95         | 90       | 85       |

| उद्देश्य  | मान | कार्य  | सफलता  | यूनिट  | मान   | लक्ष्य / मानदंड मूल्य |            |            |            |            |
|---|-----|--|--|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|   |     |  |  |        |       | उत्कृष्ट              | बहुत अच्छा | अच्छा      | औसत        | खराब       |
|   |     |  |  |        |       | 100%                  | 90%        | 80%        | 70%        | 60%        |
|   |     | प्रमुख नवाचारों की पहचान, डिजाइन और कार्यान्वयन  | नवाचार को सक्षम करने के लिए कार्य योजना समय पर प्रस्तुत  | दिनांक | 2.00- | 15-05-2014            | 16-05-2014 | 19-05-2014 | 20-05-2014 | 21-05-2014 |
|   |     | दूसरी एआरसी की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय / विभाग की कोर और नॉन-कोर क्रियाकलापों की पहचान  | समय पर प्रस्तुत  | दिनांक | 1     | 24-03-2014            | 25-03-2014 | 26-03-2014 | 27-03-2014 | 28-03-2014 |
| *आंतरिक दक्षता / जवाबदेही में सुधार                     | 2   | 12 वीं योजना की प्राथमिकताओं के साथ तालमेल करने के लिए विभागीय रणनीति अद्यतन   | रणनीति का समय पर अद्यतन  | दिनांक | 2     | 10/9/2013             | 17-09-2013 | 24-09-2013 | 1/10/2013  | 8/10/2013  |
| *विनीय जवाबदेही की रूपरेखा के अनुपालन को सुनिश्चित करना | 1   | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट पैरा से सम्बंधित ए.टी.एन.एस को समय पर प्रस्तुत करना   | वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट नियत तारीख (4 महीने) के भीतर प्रस्तुत ए.टी.एन.एस का प्रतिशत.      | %      | 0.25  | 100                   | 90         | 80         | 70         | 60         |
|   |     | पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय को ए.टी.आर. की समय पर प्रस्तुति   | पीएसी द्वारा वर्ष के दौरान संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट की नियत तारीख (6 महीने) के भीतर प्रस्तुत ए.टी.आर.एस का प्रतिशत. | %      | 0.25  | 100                   | 90         | 80         | 70         | 60         |
|   |     | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट पैरा पर लंबित ए.टी.एन.एस के शीघ्र निपटान के लिए 31.03.2013 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत | वर्ष के दौरान निपटाए गये बकाया ए.टी.एन.एस का प्रतिशत   | %      | 0.25  | 100                   | 90         | 80         | 70         | 60         |
|   |     | पीएसी रिपोर्ट से सम्बंधित लंबित ए.टी.आर.एस के शीघ्र निपटान हेतु 31.03.2013 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत                              | वर्ष के दौरान निपटाए गये बकाया ए.टी.आर.एस का प्रतिशत   | %      | 0.25  | 100                   | 90         | 80         | 70         | 60         |

\*अनिवार्य उद्देश्य

### धारा 3: सफलता सूचक का रुझान मूल्य

| उद्देश्य  | कारवाई  | सफलता सूचक   | इकाई                   | वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्ष्य मूल्य | वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य | वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य |
|---|---|--|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1. पशुओं के रोगों की रोकथाम और नियंत्रण                 | 1.1 महत्वपूर्ण रोगों के खिलाफ टीकाकरण                         | 1.1.1 किया गया टीकाकरण   | संख्या मिलियन में      | 372.5                                    | 473.46                                   | 315                                    | 375                                      | 380                                      |
|   | 1.2 पशु चिकित्सा पेशेवरों की दक्षता में सुधार                 | 1.2.1 प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की संख्या                      | संख्या.                | 2620                                     | 1233                                     | 450                                    | 500                                      | 500                                      |
|   | 1.3 महत्वपूर्ण रोगों के खिलाफ निगरानी के लिए नमूनों का संग्रह | 1.3.1 एकत्रित नमूनों की संख्या                                 | संख्या.                | -  | -  | 108000                                 | -  | -  |
| 2. मछली उत्पादन बढ़ाना और मछुआरों को सहायता प्रदान करना | 2.1 नए तालाबों का निर्माण तथा मौजूदा तालाबों का नवीनीकरण      | 2.1.1 नए तालाबों का निर्माण                                    | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | -  | -  | 7200                                   | -  | -  |
|   |   | 2.1.2 तालाबों का नवीनीकरण                                      | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | -  | -  | 16200                                  | -  | -  |
|   | 2.2 कल्याण के उपाय और इनपुट सब्सिडी                           | 2.2.1 बीमा योजना का विस्तार                                    | संख्या.                | -  | -  | 3600000                                | -  | -  |
|   |   | 2.2.2 मकानों का निर्माण  | संख्या.                | -  | -  | 5950                                   | -  | -  |
|   |   | 2.2.3 पोस्ट हार्वेस्ट कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना | संख्या.                | -  | -  | 4050                                   | -  | -  |
|   |   | 2.2.4 मछुआरों को सुरक्षा किट की आपूर्ति                        | संख्या.                | -  | -  | 900                                    | -  | -  |
|   |   | 2.2.5 उत्पादित फ़िंगरलिंगों की संख्या                          | मिलियन टन              | -  | -  | 37818                                  | -  | -  |
|   | 2.3 समुद्री मात्स्यिकी पालन का विकास                          | 2.3.1 मोटरीकृत शिल्प की संख्या                                 | संख्या                 | -  | -  | 1800                                   | -  | -  |
|   |   | 2.3.2 लैंडिंग बंदरगाहों/बुनियादी ढांचे का निर्माण              | संख्या                 | -  | -  | 4                                      | -  | -  |
| 3. दूध उत्पादन बढ़ाना और मछुआरों को सहायता प्रदान करना  | 3.1 पशुधन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि                  | 3.1.1 दूध उत्पादन में वृद्धि                                   | संख्या एम.एम.टी. में   | 127.9                                    | 133.79                                   | 133                                    | 143.74                                   | 149.81                                   |

| उद्देश्य                                | कार्यवाही   | सफलता सूचक  | इकाई                     | वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्ष्य मूल्य | वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य | वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य |
|---|---|---|--------------------------|--|--|--|--|--|
|   | 3.2 शीतन इकाइयों (शोक दूध को ठंडा करना) की स्थापना                          | 3.2.1 शीतन क्षमता का सृजन   | संख्या टी.एल. पी.डी. में | 1027.5                                   | 1705                                     | 1575                                   | 2000                                     | 2250                                     |
|   | 3.3 स्वरोजगार योजना के माध्यम से उद्यमियों को ऋण प्रदान करके                | 3.3.1 डेयरी इकाइयों का सुधार/विस्तार                                  | संख्या.                  | 27319                                    | 34744                                    | 40500                                  | 40000                                    | 40000                                    |
|   | 3.4 प्रशिक्षण देना  | 3.4.1 प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या                                 | संख्या.                  | 3800                                     | 4200                                     | 3700                                   | 4600                                     | 4900                                     |
| 4. जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का विकास | 4.1 राज्य भेड़ / बकरी फार्मों का सुदृढीकरण                                  | 4.1.1 सहायता प्रदान फार्मों की संख्या                                 | संख्या.                  | -  | -  | 7                                      | -  | -  |
| 5. चारा और आहार विकास                   | 5.1 अधिक उपज वाली चारा किस्मों का उत्पादन                                   | 5.1.1 चारा बीज उत्पादन विटल में                                       | संख्या.                  | -  | -  | 72000                                  | -  | -  |
|   | 5.2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन  | 5.2.1 कराये गए कार्यक्रमों की संख्या                                  | संख्या.                  | -  | -  | 158                                    | -  | -  |
|   | 5.3 चरागाह और घास भंडार का विकास  | 5.3.1 विकसित चरागाह का क्षेत्रफल                                      | क्षेत्रफल हेक्टेयर में   | -  | -  | 900                                    | -  | -  |
| 6. पशुधन का आनुवांशिकी उन्नयन           | 6.1 उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण वीर्य स्ट्रों के वितरण के माध्यम से नस्ल सुधार | 6.1.1 किये गए कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या                            | संख्या मिलियन में        | -  | -  | 58                                     | -  | -  |
|   | 6.2 अच्छी नस्ल के बैल बछड़ों का उत्पादन एवं वितरण                           | 6.2.1 वितरित बैल बछड़ों की संख्या                                     | संख्या                   | -  | -  | 360                                    | -  | -  |
| 7. स्वदेशी नस्लों का विकास एवं संरक्षण  | 7.1 बोवाइन नस्लों का विकास एवं संरक्षण                                      | 7.1.1 रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के तहत लाये गए पशुओं की संख्या             | संख्या                   | -  | -  | 99000                                  | -  | -  |
|   | 7.2 अन्य विलुप्तप्राय नस्लों का विकास और संरक्षण                            | 7.2.1 संरक्षण कार्यक्रम के तहत लायी गयी विलुप्तप्राय नस्लों की संख्या | संख्या                   | -  | -  | 1                                      | -  | -  |
|   |   | 7.2.2 इस योजना के तहत कवर किये गए पशुओं की कुल संख्या                 | संख्या                   | -  | -  | 450                                    | -  | -  |
| 8. कुक्कुट का विकास                     | 8.1 ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास  | 8.1.1 सहायता प्रदान व्यक्तियों की संख्या                              | संख्या                   | -  | -  | 73800                                  | -  | -  |
|   | 8.2 राज्य फार्मों द्वारा उन्नत स्टॉक का उत्पादन                             | 8.2.1 उत्पादित स्टॉक की संख्या  | संख्या हजारों में        | -  | -  | 1800                                   | -  | -  |
| 9. पशुधन बीमा                           | 9.1 पशुओं के लिए बीमा कवर प्रदान करना                                       | 9.1.1 बीमित पशुओं की संख्या   | संख्या                   | -  | -  | 1080000                                | -  | -  |

| उद्देश्य  | कारवाई   | सफलता सूचक   | इकाई   | वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्ष्य मूल्य | वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य | वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य |
|---|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| *आर.एफ.डी प्रणाली का कुशल संचालन                          | अनुमोदन के लिए मसौदा आर.एफ.डी 2014 15 समय पर प्रस्तुत  | समय पर प्रस्तुति   | दिनांक | 7/3/2011                                 | 5/3/2012                                 | 5/3/2013                               | -  | -  |
| *मंत्रालय/विभाग की सेवा वितरण/पारदर्शिता                  | 2012-13 के लिए परिणामों की समय पर प्रस्तुति  | समय पर प्रस्तुति   | दिनांक | 30-04-2012                               | 30-04-2013                               | 30-04-2013                             | -  | -  |
|   | नागरिक/ग्राहक चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा  | कार्यान्वयन का प्रतिशत   | %      | -  | -  | 95                                     | -  | -  |
|   | लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा  | कार्यान्वयन का प्रतिशत   | %      | -  | -  | 95                                     | -  | -  |
| *प्रशासनिक सुधार  | भ्रष्टाचार के संभावित खतरे को कम करने के लिए रणनीतियों को लागू करना  | कार्यान्वयन का प्रतिशत   | %      | -  | -  | 95                                     | -  | -  |
|   | अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 का कार्यान्वयन करना  | कार्यान्वयन का प्रतिशत   | %      | -  | -  | 95                                     | -  | -  |
|   | प्रमुख नवाचारों की पहचान, डिजाइन और कार्यान्वयन  | नवाचार को सक्षम करने के लिए कार्य योजना समय पर प्रस्तुत  | दिनांक | -  | -  | 15-10-2013                             | -  | -  |
|   | दूसरी एआरसी की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग की कोर और नॉन कोर क्रियाकलापों की पहचान  | समय पर प्रस्तुति   | दिनांक | -  | -  | 15-10-2013                             | -  | -  |
| *वित्तीय जवाबदेही की रूपरेखा के अनुपालन को सुनिश्चित करना | कैग के लेखा परीक्षण पैरा पर एटीएनएस की समय पर प्रस्तुति  | वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट की नियत तारीख (4 महीने) के भीतर प्रस्तुत ए.टी.एन.एस का प्रतिशत.       | %      | -  | -  | 90                                     | -  | -  |
|   | पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय को ए.टी. आर.एस की समय पर प्रस्तुति  | वर्ष के दौरान बंद पीएसी द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट की नियत तारीख (6 महीने) के भीतर प्रस्तुत ए.टी.आर.एस का प्रतिशत. | %      | -  | -  | 90                                     | -  | -  |
|   | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट पैरा पर लंबित ए.टी.एन.एस के शीघ्र निपटान के लिए 31.03.2013 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत | वर्ष के दौरान निपटाए गये बकाया ए.टी.एन.एस का प्रतिशत   | %      | -  | -  | 90                                     | -  | -  |
|   | पीएसी रिपोर्ट से सम्बंधित लंबित ए.टी.आर.एस के शीघ्र निपटान हेतु 31.03.2013 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत                              | वर्ष के दौरान निपटाए गये बकाया ए.टी.आर.एस का प्रतिशत.  | %      | -  | -  | 90                                     | -  | -  |

\*अनिवार्य उद्देश्य

### धारा 4: सफलता सूचक और प्रस्तावित मापन क्रियाविधि का विवरण और परिभाषा

| क्र. सं. | सफलता सूचक   | विवरण  | परिक्षा   | उपाय  | सामान्य टिप्पणियाँ   |
|----------|--|--|---|---|--|
| 1        | [1.1.1] किये जा चुके टीककरणों की संख्या                    | महत्वपूर्ण रोगों के लिए विभिन्न प्रकार के पशुओं के टीकाकरण का कवरेज  | पशुधन जनसंख्या में वृद्धि के कारण टीकाकरण में वृद्धि आवश्यक होगी  | वर्ष के दौरान किये जा चुके टीककरणों की संख्या                           | किये जा चुके निर्धारित टीककरणों की संख्या के जरिये पशुओं के टीकाकरण कवरेज में वृद्धि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रमुख रोगों के निवारण और नियंत्रण में मदद करेगी  |
| 2        | [2.1.1] नए तालाबों का निर्माण                              | नए तालाबों का निर्माण जलकृषि का क्षेत्र बढ़ाएगा और साथ में श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण मछली बीज और मछली आहार के उपबंधों सहित मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा      | जलकृषि के तहत क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी से देश में 12 वीं योजना के दौरान मछली उत्पादन में प्रमुख बदलाव आने की संभावना है  | तालाबों के क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी                                      | समुद्री मछली उत्पादन स्थिरता पर पहुँच चुका है। वहाँ करने योग्य पशु प्रोटीन के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जलकृषि मत्स्य उत्पादन के तहत क्षेत्रफल बढ़ाने की आवश्यकता है  |
| 3        | [5.1.1] चारा बीज उत्पादन विपटल में                         | पशु जनसंख्या की बढ़ती चारा मांग की सहायता के लिए जलवायु परिस्थितियों के उपयुक्त चारा फसलों के प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों की उपलब्धता को बढ़ाने की शीघ्र आवश्यकता है | दुग्ध और मांस उत्पादन में लक्षित वृद्धि को प्राप्त करने के लिए चारा उत्पादन में बृहत् परिवर्तन करने के लिए प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों की उपलब्धता बहुत आवश्यक है   | प्रमाणित चारा बीजों के उत्पादन में वृद्धि                               | राष्ट्रीय डेयरी योजना तथा डी.ए.डी.एफ. की अन्य योजनाएँ तथा राज्य सरकारों चारे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रमाणित चारा बीजों के उपयोग द्वारा अधिक चारा उत्पादित करने की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। |
| 4        | [7.1.1] रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के तहत लाए गए पशुओं की संख्या | संरक्षण और विकास कार्यक्रम के तहत कुलीन नर और मादा पशुओं की पहचान के लिए देशी नस्लों की रिकॉर्डिंग प्रारम्भ की गयी है जोकि प्रजनन उद्देश्य के लिए उपयोग की जाएगी।          | देशी बोवाइन नस्लों का विकास और संरक्षण विभाग के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। देशी नस्लों में स्थानीय जलवायु परिस्थितियों में रहने की बृहत् क्षमता तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसलिए संरक्षित और विकास करने की आवश्यकता है | राज्यों/भारत सरकार द्वारा रिकॉर्डिंग के तहत कवर किये गए पशुओं की संख्या | राष्ट्रीय डेयरी योजना सहित विभाग की योजनाओं का उद्देश्य देशी नस्लों का संरक्षण और विकास करना है  |

### धारा 5: अन्य विभागों से विशिष्ट प्रदर्शन की अपेक्षा

| स्थान का प्रकार | राज्य | संगठन का प्रकार                    | संगठन का नाम                | प्रासंगिक सफलता सूचक  | इस संगठन से आपकी क्या आवश्यकता है?   | इस आवश्यकता के लिए स्पष्टीकरण   | कृपया इस संगठन से अपनी आवश्यकता को निर्धारित करें | क्या होगा यदि आपकी आवश्यकता पूरी ना हो   |
|-----------------|-------|------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|
| केंद्र सरकार    |       | उत्तरदायी केंद्र / सम्बद्ध अधिकारी | नाबार्ड                     | [3.1.1] दुग्ध उत्पादन में वृद्धि<br>डेयरी यूनिटों का सुचारु/विस्तार<br>[4.1.1] सहायता किये गए फार्मों की संख्या<br>[8.1.1] सहायता किये गए व्यक्तियों की संख्या  | सब्सिडी जारी करने के लिए आवेदनों की स्वीकृती द्वारा निधियों का प्रभावी उपयोग   | नाबार्ड विभाग को निधि आवंटन के बृहत् अंश सहित अधिकांश योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।   | 20%   | लभारथियों की संख्या से सम्बंधित सफलता सूचक को डीईडीएस और पीपीसीएफ की योजनाओं के तहत सहायता करने के साथ साथ इन योजनाओं के तहत कवर घटकों की उपलब्धियां भी प्रभावित होंगी।  |
|                 |       |                                    | राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड | दुग्ध उत्पादन में वृद्धि<br>[3.4.1] प्रशिक्षित किये गए व्यक्तियों की संख्या<br>[5.1.1] चारा बीज उत्पादन किटल में<br>[5.2.1] आयोजित कार्यक्रमों की संख्या<br>[6.1.1] किये गए कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या<br>[7.1.1] रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के तहत लाये गए पशुओं की संख्या | सेवाओं, उपकरणों, टीकों का कुशल और समय पर वितरण तथा परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन, निधियों का कुशल उपयोग और परियोजनाओं की निगरानी | राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना का कार्यान्वयन कर रहा है और विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सेवाओं, उपकरणों और टीकों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना का कार्यान्वयन कर रहा है और विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सेवाओं, उपकरणों और टीकों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। | 40%   | दुग्ध उत्पादन, किये गए कृत्रिम गर्भाधान, प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या और बोवाइन नस्लों के लिए रिकॉर्डिंग कार्यक्रम, प्रमाणित चारा बीजों का उत्पादन इत्यादि के लिए सफलता सूचकों के रूप में प्रस्तावित लक्ष्य प्रभावित होंगे। |
|                 |       | मंत्रालय                           | योजना मंत्रालय              | [1.1.1] किये गए टीककरणों की संख्या<br>[3.1.1] दुग्ध उत्पादन में वृद्धि<br>डेयरी यूनिटों का सुधार/विस्तार<br>[6.1.1] किये गए कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या  | ईएफसी की समयबद्ध स्वीकृति, योजनाओं में किसी परिवर्तन को समाविष्ट करने के लिए ज्ञापन, परियध्य बढ़ाना इत्यादि।                         | योजना को केवल ईएफसी और निधि के आवंटन के पश्चात कार्यान्वित किया जाएगा   | 20%   | इन योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है।   |

| स्थान का प्रकार | राज्य | संगठन का प्रकार | संगठन का नाम   | प्रासंगिक सफलता सूचक  | इस संगठन से आपकी क्या आवश्यकता है?  | इस आवश्यकता के लिए सप्तीकरण  | कृपया इस संगठन से अपनी आवश्यकता को निर्धारित करें | क्या होगा यदि आपकी आवश्यकता पूरी ना हो   |
|-----------------|-------|-----------------|----------------|---|---|--|---|--|
|                 |       |                 | वित्त मंत्रालय | <p>[1.1.1] किये गए टीकाकरणों की संख्या</p> <p>[2.1.1] नए तालाबों का निर्माण</p> <p>[2.1.2] तालाबों का नवीनीकरण</p> <p>बीमा योजना का विस्तार</p> <p>[3.1.1] दुध उत्पादन में वृद्धि</p> <p>[5.1.1] चारा बीज उत्पादन किंटल में</p> <p>[5.3.1] विकसित किया गया चारागाह क्षेत्रफल</p> <p>[6.1.1] किये गए गर्भाधानों की संख्या</p> <p>[7.2.1] संरक्षण कार्यक्रम के तहत लायी गई संकटाधीन नस्लों की संख्या</p> <p>[8.1.1] सहायता किये गए व्यक्तियों की संख्या</p> | <p>ईएफसी के लिए समयबद्ध स्वीकृति, अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना, यदि आवश्यक हो तो।</p> | <p>योजनाएं, बिना योजनाओं की स्वीकृति के कार्यान्वित नहीं की जा सकती हैं, योजना लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निधि का आवंटन आवश्यक है।</p> | <p>30%</p>  | <p>योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित होगा, इन सफलता सूचकों के लिए लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है।</p> |

| स्थान का प्रकार | राज्य | संगठन का प्रकार | संगठन का नाम | प्रासंगिक सफलता सूचक   | इस संगठन से आपकी क्या आवश्यकता है?  | इस आवश्यकता के लिए स्पष्टीकरण  | कृपया इस संगठन से अपनी आवश्यकता को निर्धारित करें | क्या होगा यदि आपकी आवश्यकता पूरी ना हो   |
|-----------------|-------|-----------------|--------------|--|---|--|---|--|
| राज्य सरकार     |       | विभाग           | कृषि विभाग   | <p>[1.1.1] किये गए टीकाकरणों की संख्या</p> <p>[1.3.1] एकात्रित किये गए नमूनों की संख्या</p> <p>[2.1.1] नए तालाबों का निर्माण</p> <p>[2.1.2] तालाबों का नवीनीकरण.</p> <p>बीमा योजनाओं का विस्तार</p> <p>पोस्ट हार्वेस्ट क्रिया कलाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना</p> <p>[3.1.1] दुग्ध उत्पादन में वृद्धि</p> <p>[5.1.1] चारा बीज उत्पादन किटल में</p> <p>[6.1.1] किये गए गर्भाधानों की संख्या</p> <p>[7.1.1] रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के तहत लाये गए पशुओं की संख्या</p> <p>[7.2.1] संरक्षण कार्यक्रम के तहत लायी गई संकटाधीन नस्लों की संख्या</p> <p>[7.2.2] योजना के तहत कवर किये गए पशुओं की कुल संख्या</p> | परियोजनाओं की प्रस्तुति, स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समय पर प्रस्तुति, आगे निधि तयों के लिए सीआर की मांग | विभाग की अधिकाँश योजनाएं राज्य सरकारों के जरिये कार्यान्वित की जा रही हैं. | 40%   | पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग से सम्बंधित सफलता सूचक राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन और निगरानी चाहते हैं तथा कृषि विभाग द्वारा समन्वित आरकेबीवाई/एनएमपीएस के तहत निधियों के आबंटन को पूरा नहीं किया जा सकता है। |

| स्थान का प्रकार | राज्य | संगठन का प्रकार | संगठन का नाम    | प्रासंगिक सफलता सूचक  | इस संगठन से आपकी क्या आवश्यकता है?   | इस आवश्यकता के लिए सप्टीकरण   | कृपया इस संगठन से अपनी आवश्यकता को निर्धारित करें | क्या होगा यदि आपकी आवश्यकता पूरी ना हो  |
|-----------------|-------|-----------------|-----------------|---|--|---|---|---|
|                 |       |                 | स्वास्थ्य विभाग | <p>[1.1.1] किए गए टीकाकरण की संख्या</p> <p>[1.3.1] एकत्रित किए गए नमूनों की संख्या</p> <p>[2.1.1] निर्माण किये गए नए तालाब</p> <p>[2.1.2] नवीनीकृत तालाब</p> <p>बीमा योजना का विस्तार</p> <p>पोस्ट हास्पेस्ट कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण देना</p> <p>[3.1.1] दुग्ध उत्पादन में वृद्धि</p> <p>[5.1.1] चारा बीज का उत्पादन किटल</p> <p>[6.1.1] निष्पादित कृत्रिम गर्भाधान की संख्या</p> <p>[7.1.1] रिकार्डिंग कार्यक्रम के अधीन आए गए पशुओं की संख्या</p> <p>[7.2.1] संरक्षण कार्यक्रम के अधीन आए गए संकटापन नस्लों की संख्या</p> <p>[7.2.2] योजना के अधीन कवर किये गए पशुओं की कुल संख्या</p> | <p>परियोजनाओं के प्रस्तुती, अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन, परियोजनाओं का नियंत्रण कार्यान्वयन और उपयोगिता प्रमाणपत्र का समय से प्रस्तुती, अग्रिम राशि और सी.आर. की माँग</p> | <p>विभाग की अधिकांश योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सभा द्वारा किया जा रहा है।</p> | <p>40%</p>  | <p>राज्य सरकार से संबंधित विभाग पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यन विभाग से संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित और नियंत्रित आवश्यक सफलता सूचक की आवश्यकता है जो मिल नहीं सकती है।</p> |

| स्थान का प्रकार | राज्य | संगठन का प्रकार | संगठन का नाम    | प्रासंगिक सफलता सूचक   | इस संगठन से आपकी क्या आवश्यकता है?   | इस आवश्यकता के लिए स्पष्टीकरण   | कृपया इस संगठन से अपनी आवश्यकता को निर्धारित करें | क्या होगा यदि आपकी आवश्यकता पूरी ना हो  |
|-----------------|-------|-----------------|-----------------|--|--|---|---|---|
|                 |       |                 | स्वास्थ्य विभाग | <p>[1.1.1] किए गए टीकाकरण की संख्या</p> <p>[1.3.1] एकात्रित किए गए नमूनों की संख्या</p> <p>[2.1.1] निर्माण किये गए नए तालाब</p> <p>[2.1.2] नवीनीकृत तालाब</p> <p>बीमा योजना का विस्तार</p> <p>पोस्ट हार्वेस्ट कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण देना</p> <p>[3.1.1] दुग्ध उत्पादन में वृद्धि</p> <p>[5.1.1] चारा बीज का उत्पादन किटल</p> <p>[6.1.1] निष्पादित कृत्रिम गर्भाधान की संख्या</p> <p>[7.1.1] रिकार्डिंग कार्यक्रम के अधीन लाए गए पशुओं की संख्या</p> <p>[7.2.1] संरक्षण कार्यक्रम के अधीन लाए गए संकटापन नस्लों की संख्या</p> <p>[7.2.2] योजना के अधीन कवर किये गए पशुओं की कुल संख्या</p> | <p>परियोजनाओं के प्रस्तुती, अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन, परियोजनाओं का नियंत्रण कार्यान्वयन और उपयोगिता प्रमाणपत्र का समय से प्रस्तुती, अग्रिम राशि और सी.आर. की माँग</p> | <p>विभाग की अधिकांश योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सभा द्वारा किया जा रहा है।</p> | 40%   | <p>राज्य सरकार से संबंधित विभाग पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यन विभाग से संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित और नियंत्रित आवश्यक सफलता सूचक की आवश्यकता है जो मिल नहीं सकती है।</p> |

| स्थान का प्रकार | राज्य | संगठन का प्रकार | संगठन का नाम   | प्रासंगिक सफलता सूचक   | इस संगठन से आपकी क्या आवश्यकता है?  | इस आवश्यकता के लिए सप्टीकरण  | कृपया इस संगठन से अपनी आवश्यकता को निर्धारित करें | क्या होगा यदि आपकी आवश्यकता पूरी ना हो                           |
|-----------------|-------|-----------------|----------------|--|---|--|---|--|
|                 |       |                 | सहकारिता विभाग | <p>[1.1.1] किए गए टीकाकरण की संख्या</p> <p>[1.3.1] एकात्रित किए गए नमूनों की संख्या</p> <p>[2.1.1] निर्माण किये गए नए तालाब</p> <p>[2.1.2] नवीनीकृत तालाब</p> <p>बीमा योजना का विस्तार</p> <p>पोस्ट हार्वेस्ट कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण देना</p> <p>[3.1.1] दुध उत्पादन में वृद्धि</p> <p>[5.1.1] चारा बीज का उत्पादन किटल</p> <p>[6.1.1] निष्पादित कृत्रिम गर्भाधान की संख्या</p> <p>[7.1.1] रिकार्डिंग कार्यक्रम के अधीन आए गए पशुओं की संख्या</p> <p>[7.2.1] संरक्षण कार्यक्रम के अधीन आए गए संकटापन नस्लों की संख्या</p> <p>[7.2.2] योजना के अधीन कवर किये गए पशुओं की कुल संख्या</p> | परियोजनाओं के प्रस्तुती, अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन, परियोजनाओं का नियंत्रण कार्यान्वयन और उपयोगिता प्रमाणपत्र का समय से प्रस्तुती, अग्रिम राशि और सी.आर. की माँग | विभाग की अधिकांश योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य द्वारा किया जा रहा है। | 50%   | इन सफल सूचकों के लिए लक्ष्य परियोजनाएं प्राप्त नहीं हो सकते हैं। |

### धारा 6: विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

| विभाग / मंत्रालय का परिणाम/ प्रभाव  | इस परिणाम / प्रभाव को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित विभाग / मंत्रालय संयुक्त रूप से जिम्मेदार | सफलता सूचक                               | इकाई              | वित्तीय वर्ष 11/12 | वित्तीय वर्ष 12/13 | वित्तीय वर्ष 13/14 | वित्तीय वर्ष 14/15 | वित्तीय वर्ष 15/16 |
|---|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. प्रमुख पशु रोगों के प्रकोप/ घटना में कमी   | राज्य सरकार   | प्रमुख पशु रोगों के प्रकोप/ घटना में कमी | संख्या            | 1948               | 1718               | 1650               | 1600               | 1550               |
| 2. दुध उत्पादन में वृद्धि   | राज्य सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, योजना आयोग, डेयरी समितियां, वित्त मंत्रालय                | दुध उत्पादन                              | मिलियन टन         | 127.9              | 133                | 138                | 144                | 150                |
| 3. मछली उत्पादन में वृद्धि  | राज्य सरकार, डेयर, एम्पीईडीए  | मछली उत्पादन                             | मिलियन टन         | 8.66               | 9.12               | 9.61               | 10.12              | 10.66              |
| 4. मांस उत्पादन में वृद्धि  | राज्य सरकार, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय  | मांस उत्पादन                             | मिलियन टन         | 5.5                | 5.8                | 6.2                | 6.5                | 6.9                |
| 5. अंडा उत्पादन में वृद्धि  | राज्य सरकार, नाबार्ड  | अंडा उत्पादन                             | संख्या बिलियन में | 66.45              | 70.07              | 73.88              | 77.9               | 82.14              |
| 6. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, के अधीन क्षेत्रीय चारा केंद्रों में चारा बीज उत्पादन में प्रमाणित वृद्धि | क्षेत्रीय चारा केंद्र, एनडीडीबी, डेयर/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद                               | बीज उत्पादन                              | क्विंटल           | -                  | 800                | 1500               | 2000               | 2500               |

# अनंतिम निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 2013-14

| उद्देश्य  | भार | कार्य  | सफलता   | यूनिट             | भार | लक्ष्य /मानदंड मूल्य |            |         |         |         |         | उपलब्धि | निष्पादन    |             |
|---|-----|--|---|-------------------|-----|----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
|   |     |  |   |                   |     | उत्कृष्ट             | बहुत अच्छा | अच्छा   | औसत     | घटिया   |         |         | कच्चा स्कोर | भारित स्कोर |
|   |     |  |   |                   |     |                      |            |         |         | 100%    | 60%     |         |             |             |
|   |     |  |   |                   |     |                      |            |         |         |         |         |         |             |             |
| 1. पशु रोगों की रोकथाम और नियंत्रण                      | 14  | महत्वपूर्ण रोगों के लिए टीकाकरण                      | किये गए टीकाकरण की संख्या                                   | सं. मिलियन में    | 10  | 350                  | 315        | 280     | 245     | 210     | 552.65  | 100     | 10          |             |
|   |     | पशु चिकित्सा पेशेवरों की दक्षता में सुधार            | प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की संख्या                         | सं.               | 2   | 500                  | 450        | 400     | 350     | 300     | 2450    | 100     | 2           |             |
|   |     | महत्वपूर्ण रोगों की निगरानी के लिए नमूने का संग्रह   | एकत्रित नमूनों की संख्या                                    | सं.               | 2   | 120000               | 108000     | 96000   | 84000   | 72000   | 166429  | 100     | 2           |             |
| 2 मछली उत्पादन बढ़ाना तथा मछुआरों को सहायता प्रदान करना | 17  | मौजूदा तालाबों का नवीनीकरण तथा नए तालाबों का निर्माण | नए तालाबों का निर्माण                                       | क्षेत्रफल हे. में | 3   | 8000                 | 7200       | 6400    | 5600    | 4800    | 7230    | 90.38   | 2.71        |             |
|   |     |  | तालाबों का नवीनीकरण   | क्षेत्रफल हे. में | 3   | 18000                | 16200      | 14400   | 12600   | 10800   | 16870   | 93.72   | 2.81        |             |
|   |     | कल्याण के उपाय और इनपुट सब्सिडी                      | बीमा योजना का विस्तार                                       | सं.               | 1.5 | 4000000              | 3600000    | 3200000 | 2800000 | 2400000 | 4326000 | 100     | 1.5         |             |
|   |     |  | मकानों का निर्माण   | सं.               | 1.5 | 6500                 | 5950       | 5200    | 4550    | 3900    | 7050    | 100     | 1.5         |             |
|   |     |  | पोस्ट हार्वेस्ट के कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना | सं..              | 1.5 | 4500                 | 4050       | 3600    | 3150    | 2700    | 4620    | 100     | 1.5         |             |
|   |     |  | मछुआरों को सुरक्षा किट की आपूर्ति                           | फ्राई मिलियन में  | 2   | 42020                | 37818      | 33616   | 29414   | 25212   | 39525   | 94.06   | 1.88        |             |
|   |     | समुद्री मात्स्यिकी पालन का विकास                     | मोटरैकृत शिल्पों की संख्या                                  | सं..              | 1   | 2000                 | 1800       | 1600    | 1400    | 1200    | 6260    | 100     | 1           |             |
|   |     | मौजूदा तालाबों का नवीनीकरण तथा नए तालाबों का निर्माण | नए तालाबों का निर्माण                                       | सं.               | 2   | 5                    | 4          | 3       | 2       | 1       | 20      | 100     | 2           |             |

| उद्देश्य   | भार | कार्य   | सफलता  | यूनिट               | भार  | लक्ष्य /मानदंड मूल्य |                   |              |            |              | उपलब्धि | निष्पादन    |             |
|--|-----|---|--|---------------------|------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|-------------|-------------|
|  |     |   |  |                     |      | उत्कृष्ट<br>100%     | बहुत अच्छा<br>90% | अच्छा<br>80% | औसत<br>70% | घटिया<br>60% |         | कच्चा स्कोर | भारित स्कोर |
|  |     |   |  |                     |      |                      |                   |              |            |              |         |             |             |
| 3. दूध उत्पादन को बढ़ाना तथा किसानों को सहायता प्रदान करना | 15  | पशुधन उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि                             | दूध उत्पादन में वृद्धि                               | सं./एमएमटी में      | 3.75 | 138                  | 133               | 128          | 123        | 118          | 138     | 100         | 3.75        |
|  |     | शीतलन (शोक दूध ठंडा) इकाइयों की स्थापना                           | शीतन क्षमता का सृजन                                  | सं.<br>टीएलपीटी में | 3.75 | 1750                 | 1575              | 1400         | 1225       | 1050         | 1844    | 100         | 3.75        |
|  |     | स्वरोजगार योजना के माध्यम से उद्यमियों को ऋण प्रदान करना          | डेयरी इकाइयों का सुधार / विस्तार                     | सं.                 | 3.75 | 45000                | 40500             | 36000        | 31500      | 27000        | 122284  | 100         | 3.75        |
|  |     | प्रशिक्षण देना  | प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या                      | सं.                 | 3.75 | 4300                 | 3700              | 3440         | 3010       | 2580         | 4725    | 100         | 3.75        |
| 4. छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का विकास                    | 3   | राज्य भेड़ / बकरी फार्मों का सुदृढीकरण                            | सहायता किये जाने वाले फार्मों की संख्या              | सं.                 | 3    | 8                    | 7                 | 6            | 6          | 5            | 9       | 100         | 3           |
| 5. आहार और चारा विकास                                      | 14  | अधिक उपज देने वाली चारा किस्मों का उत्पादन                        | चारा बीज का उत्पादन किटल में                         | सं.                 | 7    | 80000                | 72000             | 64000        | 56000      | 48000        | 86938   | 100         | 7           |
|  |     | प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन                                    | आयोजित कार्यक्रमों की संख्या                         | सं.                 | 2.1  | 175                  | 158               | 140          | 123        | 105          | 199     | 100         | 2.1         |
|  |     | चरागाह और घास भंडार का विकास                                      | विकसित चरागाह का क्षेत्रफल                           | क्षेत्रफल हे. में   | 4.9  | 1000                 | 900               | 800          | 700        | 600          | 3126    | 100         | 4.9         |
| 6. पशुओं का आनुवंशिकी उत्तयन                               | 5   | गुणवत्तापूर्ण वीर्य स्ट्रों के वितरण और उत्पादन द्वारा नस्ल सुधार | किये गए कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या                 | सं.<br>मिलियन में   | 2.5  | 62                   | 58                | 56           | 54         | 52           | 62      | 100         | 2.5         |
|  |     | गुणवत्तापूर्ण वीर्य स्ट्रों के वितरण और उत्पादन द्वारा नस्ल सुधार | किये गए कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या                 | सं.                 | 2.5  | 400                  | 360               | 320          | 280        | 240          | 360     | 90          | 2.25        |
| 7. स्वदेशी नस्लों का विकास एवं संरक्षण                     | 5   | बोवाइन नस्लों का विकास एवं संरक्षण                                | रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के तहत लाये गये पशुओं की संख्या | सं.                 | 2.5  | 110000               | 99000             | 88000        | 77000      | 66000        | 115000  | 100         | 2.5         |

| उद्देश्य   | भार | कार्य   | सफलता   | यूनिट        | भार  | लक्ष्य /मानदंड मूल्य |                   |              |            |              |             | उपलब्धि | निष्पादन    |  |
|--|-----|---|---|--------------|------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------|-------------|--|
|  |     |   |   |              |      | उत्कृष्ट<br>100%     | बहुत अच्छा<br>90% | अच्छा<br>80% | औसत<br>70% | घटिया<br>60% | कच्चा स्कोर |         | भारित स्कोर |  |
|  |     |   |   |              |      |                      |                   |              |            |              |             |         |             |  |
|  |     | अन्य विलुप्तप्राय नस्लों का विकास और संरक्षण                        | संरक्षण कार्यक्रम के तहत लाये गये विलुप्तप्राय नस्लों की संख्या | सं.          | 1.25 | 2                    | 1                 | 1            | 1          | 0            | 4           | 100     | 1.25        |  |
|  |     |   | इस योजना के तहत कवर पशुओं की कुल संख्या                         | सं.          | 1.25 | 500                  | 450               | 400          | 350        | 300          | 530         | 100     | 1.25        |  |
| 8. कुक्कुट विकास   | 10  | ग्रामीण बैकग्राईड कुक्कुट विकास                                     | सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या                             | सं.          | 5    | 82000                | 73800             | 65600        | 57400      | 49200        | 165877      | 100     | 5           |  |
|  |     | राज्य फार्मों द्वारा उन्नत स्टॉक का उत्पादन                         | उत्पादित स्टॉक की संख्या  | सं. हजार में | 5    | 2000                 | 1800              | 1600         | 1400       | 1200         | 3229        | 100     | 5           |  |
| * आर.एफ.डी. प्रणाली का कुशल संचालन                                   | 3   | अनुमोदन के लिए समय पर मौसमी प्रस्तुत 2014-15                        | समय पर प्रस्तुत   | दिनांक       | 2    | 5/3/2014             | 6/3/2014          | 7/3/2014     | 8/3/2014   | 11/3/2014    | 5/3/2014    | 100     | 2           |  |
|  |     | परिणाम समय पर प्रस्तुत 2013-14                                      | समय पर प्रस्तुत   | दिनांक       | 1    | 1/5/2013             | 2/5/2013          | 3/5/2013     | 6/5/2013   | 7/5/2013     | 30/04/2013  | 100     | 1           |  |
| *मंत्रालय /विभाग की आंतरिक दक्षता / उत्तरदायी / सेवा वितरण में सुधार | 3   | नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा               | कार्यान्वयन का 100%   | %            | 2    | 100                  | 90                | 80           | 70         | 60           | 31          | 0       | 0           |  |
|  |     | लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा   | कार्यान्वयन का 100%   | %            | 1    | 100                  | 90                | 80           | 70         | 60           | 58.24       | 0       | 0           |  |
| *प्रशासनिक सुधार   | 6   | भ्रष्टाचार के संभावित खतरे को कम करने के लिए रणनीतियों को लागू करना | कार्यान्वयन का 100%   | %            | 1    | 100                  | 95                | 90           | 85         | 80           | 100         | 100     | 1           |  |
|  |     | अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 को लागू करना              | कार्यान्वयन का 100%   | %            | 2    | 100                  | 95                | 90           | 85         | 80           | 100         | 100     | 2           |  |

| उद्देश्य  | भार | कार्य   | सफलता  | यूनिट  | भार  | लक्ष्य /मानदंड मूल्य |            |            |            |            | उपलब्धि | निष्पादन    |             |
|---|-----|---|--|--------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|
|   |     |   |  |        |      | उत्कृष्ट             | बहुत अच्छा | अच्छा      | औसत        | घटिया      |         | कच्चा स्कोर | भारति स्कोर |
|   |     |   |  |        |      | 100%                 | 90%        | 80%        | 70%        | 60%        |         | N/A         | N/A         |
|   |     | पहचान, प्रारूप और प्रमुख नवीनताओं का कार्यान्वयन  | नवीनताओं को योग्य बनाने के लिए कार्य योजनाओं का समय पर प्रस्तुत  | दिनांक | 2    | 15-05-2014           | 16-05-2014 | 19-05-2014 | 20-05-2014 | 21-05-2014 |         |             |             |
|   |     | दूसरी एआरसी की सिफारिशों के अनुसार विभाग मंत्रालयों के प्रमुख और गैर प्रमुख की पहचान  | समय पर प्रस्तुत  | दिनांक | 1    | 24/03/2014           | 25/03/2014 | 26/03/2014 | 27/03/2014 | 28/03/2014 |         | N/A         | N/A         |
| *आंतरिक दक्षता / उत्तर दायित्व का सुधार                   | 2   | 12वीं योजना की प्रमुखता सहित विभागीय योजना को अद्यतन करना   | योजना का समय से अद्यतन करना  | दिनांक | 2    | 10/09/2013           | 17/09/2013 | 24/09/2013 | 1/10/2013  | 8/10/2013  |         | N/A         | N/A         |
| *वित्तीय जवाबदेही की रूपरेखा के अनुपालन को सुनिश्चित करना | 1   | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट पैर से सम्बंधित समय पर प्रस्तुत एटी.एन.एस.   | वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट की नियत तारीख (4 महीने) के भीतर प्रस्तुत एटी.एन.एस का प्रतिशत.            | %      | 0.25 | 100                  | 90         | 80         | 70         | 60         | 100     | 100         | 0.25        |
|   |     | पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय को समय पर एटी.आर.एस प्रस्तुत.  | वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट की तारीख से नियत तारीख (6 महीने) के भीतर प्रस्तुत एटी.आर.एस का प्रतिशत। | %      | 0.25 | 100                  | 90         | 80         | 70         | 60         | 100     | 100         | 0.25        |
|   |     | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की ऑडिट पैर से सम्बंधित लंबित एटी.एन.एस के शीघ्र निपटान के लिए 31.03.2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। | वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटी.एन.एस का प्रतिशत   | %      | 0.25 | 100                  | 90         | 80         | 70         | 60         | 100     | 100         | 0.25        |
|   |     | पीएसी रिपोर्ट पर लंबित एटी.आर.एस के शीघ्र निपटान के लिए 31.03.2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत किया.   | वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटी.आर.एस का प्रतिशत   | %      | 0.25 | 100                  | 90         | 80         | 70         | 60         | 100     | 100         | 0.25        |

\*अनिवार्य उद्देश्य

कुल समग्र स्कोर: 91.97



અનુબંધ



# अनुबंध

## पशुधन और कुक्कुट की कुल संख्या - 19वीं पशुधन जनगणना 2012 राज्यवार

आंकड़े हजारों में

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र       | गोपशु  | भैंस   | भेड़  | बकरी   | सुअर  | घोड़े और टट्टू | खच्चर | गधे | ऊँट | याक | मिथुन | कुल पशुधन | कुल कुक्कुट |
|----------|-------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|----------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------|
| 1        | आंध्र प्रदेश                  | 9596   | 10623  | 26396 | 9071   | 394   | 5              | 1     | 13  | 0   | 0   | 0     | 56099     | 161334      |
| 2        | अरुणाचल प्रदेश                | 464    | 6      | 14    | 306    | 356   | 4              | 0     | 0   | 0   | 14  | 249   | 1413      | 2244        |
| 3        | असम                           | 10308  | 435    | 518   | 6169   | 1636  | 14             | 0     | 1   | 1   | 0   | 0     | 19082     | 27216       |
| 4        | बिहार                         | 12232  | 7567   | 232   | 12154  | 650   | 49             | 25    | 21  | 9   | 0   | 0     | 32939     | 12748       |
| 5        | छत्तीसगढ़                     | 9815   | 1391   | 168   | 3225   | 439   | 3              | 1     | 1   | 1   | 0   | 0     | 15044     | 23102       |
| 6        | गोवा                          | 57     | 32     | 0     | 13     | 44    | 0              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 146       | 292         |
| 7        | गुजरात                        | 9984   | 10386  | 1708  | 4959   | 4     | 18             | 0     | 39  | 30  | 0   | 0     | 27128     | 15006       |
| 8        | हरयाणा                        | 1808   | 6085   | 1363  | 369    | 127   | 37             | 9     | 3   | 19  | 0   | 0     | 9820      | 42821       |
| 9        | हिमाचल प्रदेश                 | 2149   | 716    | 805   | 1119   | 5     | 15             | 23    | 7   | 0   | 3   | 1     | 4844      | 1104        |
| 10       | जम्मू और कश्मीर               | 2798   | 739    | 3389  | 2018   | 2     | 144            | 37    | 17  | 1   | 54  | 0     | 9201      | 8274        |
| 11       | झारखंड                        | 8730   | 1186   | 583   | 6581   | 962   | 6              | 4     | 0   | 0   | 0   | 0     | 18053     | 13560       |
| 12       | कर्नाटक                       | 9516   | 3471   | 9584  | 4796   | 305   | 13             | 1     | 16  | 0   | 0   | 0     | 27702     | 53442       |
| 13       | केरल                          | 1329   | 102    | 1     | 1246   | 56    | 0              | 0     | 1   | 0   | 0   | 0     | 2735      | 24282       |
| 14       | मध्य प्रदेश                   | 19602  | 8188   | 309   | 8014   | 175   | 19             | 7     | 15  | 3   | 0   | 0     | 36333     | 11905       |
| 15       | महाराष्ट्र                    | 15484  | 5594   | 2580  | 8435   | 326   | 37             | 2     | 29  | 0   | 0   | 0     | 32489     | 77795       |
| 16       | मणिपुर                        | 264    | 66     | 11    | 65     | 277   | 1              | 0     | 0   | 0   | 0   | 10    | 696       | 2500        |
| 17       | मेघालय                        | 896    | 22     | 20    | 473    | 543   | 2              | 0     | 1   | 0   | 0   | 0     | 1958      | 3400        |
| 18       | मिजोरम                        | 35     | 5      | 1     | 22     | 245   | 1              | 0     | 0   | 0   | 0   | 3     | 312       | 1271        |
| 19       | नगालैंड                       | 235    | 33     | 4     | 99     | 504   | 0              | 1     | 0   | 0   | 0   | 35    | 911       | 2178        |
| 20       | ओडिशा                         | 11621  | 726    | 1581  | 6513   | 280   | 3              | 6     | 1   | 1   | 0   | 0     | 20733     | 19891       |
| 21       | पंजाब                         | 2428   | 5160   | 129   | 327    | 32    | 33             | 5     | 3   | 1   | 0   | 0     | 8117      | 16794       |
| 22       | राजस्थान                      | 13324  | 12976  | 9080  | 21666  | 238   | 38             | 3     | 81  | 326 | 0   | 0     | 57732     | 8024        |
| 23       | सिक्किम                       | 140    | 1      | 3     | 113    | 30    | 511            | 0     | 0   | 0   | 4   | 0     | 802       | 452         |
| 24       | तमिलनाडु                      | 8814   | 780    | 4787  | 8143   | 184   | 5              | 0     | 9   | 0   | 0   | 0     | 22723     | 117349      |
| 25       | त्रिपुरा                      | 949    | 11     | 3     | 611    | 363   | 0              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 1936      | 4273        |
| 26       | उत्तर प्रदेश                  | 19557  | 30625  | 1354  | 15586  | 1334  | 152            | 43    | 57  | 8   | 0   | 0     | 68715     | 18668       |
| 27       | उत्तराखंड                     | 2006   | 988    | 369   | 1367   | 20    | 16             | 27    | 2   | 0   | 0   | 0     | 4795      | 4642        |
| 28       | पश्चिम बंगाल                  | 16514  | 597    | 1076  | 11506  | 648   | 4              | 0     | 1   | 0   | 1   | 0     | 30348     | 52838       |
| 29       | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 46     | 8      | 0     | 65     | 36    | 0              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 155       | 1165        |
| 30       | चंडीगढ़                       | 9      | 14     | 0     | 1      | 0     | 0              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 24        | 109         |
| 31       | दादरा एवं नगर हवेली           | 42     | 4      | 0     | 4      | 0     | 0              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 50        | 86          |
| 32       | दमन और दीव                    | 2      | 0      | 0     | 2      | 0     | 0              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 5         | 28          |
| 33       | दिल्ली                        | 86     | 162    | 1     | 17     | 76    | 3              | 0     | 1   | 0   | 0   | 0     | 347       | 44          |
| 34       | लक्षद्वीप                     | 3      | 0      | 0     | 47     | 0     | 0              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 50        | 165         |
| 35       | पुडुचेरी                      | 60     | 2      | 2     | 55     | 1     | 0              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 120       | 209         |
|          | अखिल भारत                     | 190904 | 108702 | 65069 | 135173 | 10294 | 625            | 196   | 319 | 400 | 77  | 298   | 512057    | 729209      |

टिप्पणी: पूर्ण अंकों के कारण कुल टेली नहीं करता

0: हजार के सन्दर्भ में नगण्य/रिपोर्ट नहीं हुआ

स्रोत: 19वीं पशुधन जनगणना, पशुधन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय

# अनुबंध



## प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन - संपूर्ण भारत

| वर्ष      | दूध (मिलियन टन में) | अंडे (मिलियन संख्या में) | ऊन (मिलियन कि.ग्रा. में) | मांस (मिलियन टन में) |
|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1950-51   | 17                  | 1,832                    | 27.5                     | -                    |
| 1955-56   | 19                  | 1,908                    | 27.5                     | -                    |
| 1960-61   | 20                  | 2,881                    | 28.7                     | -                    |
| 1968-69   | 21.2                | 5,300                    | 29.8                     | -                    |
| 1973-74   | 23.2                | 7,755                    | 30.1                     | -                    |
| 1979-80   | 30.4                | 9,523                    | 30.9                     | -                    |
| 1980-81   | 31.6                | 10,060                   | 32                       | -                    |
| 1981-82   | 34.3                | 10,876                   | 33.1                     | -                    |
| 1982-83   | 35.8                | 11,454                   | 34.5                     | -                    |
| 1983-84   | 38.8                | 12,792                   | 36.1                     | -                    |
| 1984-85   | 41.5                | 14,252                   | 38                       | -                    |
| 1985-86   | 44                  | 16,128                   | 39.1                     | -                    |
| 1986-87   | 46.1                | 17,310                   | 40                       | -                    |
| 1987-88   | 46.7                | 17,795                   | 40.1                     | -                    |
| 1988-89   | 48.4                | 18,980                   | 40.8                     | -                    |
| 1989-90   | 51.4                | 20,204                   | 41.7                     | -                    |
| 1990-91   | 53.9                | 21,101                   | 41.2                     | -                    |
| 1991-92   | 55.7                | 21,983                   | 41.6                     | -                    |
| 1992-93   | 58                  | 22,929                   | 38.8                     | -                    |
| 1993-94   | 60.6                | 24,167                   | 39.9                     | -                    |
| 1994-95   | 63                  | 25,975                   | 40.6                     | -                    |
| 1995-96   | 66.2                | 27,187                   | 42.4                     | -                    |
| 1996-97   | 69.1                | 27,496                   | 44.4                     | -                    |
| 1997-98   | 72.1                | 28,689                   | 45.6                     | -                    |
| 1998-99   | 75.4                | 29,476                   | 46.9                     | 1.9                  |
| 1999-2000 | 78.3                | 30,447                   | 47.9                     | 1.9                  |
| 2000-01   | 80.6                | 36,632                   | 48.4                     | 1.9                  |
| 2001-02   | 84.4                | 38,729                   | 49.5                     | 1.9                  |
| 2002-03   | 86.2                | 39,823                   | 50.5                     | 2.1                  |
| 2003-04   | 88.1                | 40,403                   | 48.5                     | 2.1                  |
| 2004-05   | 92.5                | 45,201                   | 44.6                     | 2.2                  |
| 2005-06   | 97.1                | 46,235                   | 44.9                     | 2.3                  |
| 2006-07   | 102.6               | 50,663                   | 45.1                     | 2.3                  |
| 2007-08   | 107.9               | 53,583                   | 43.9                     | 4                    |
| 2008-09   | 112.2               | 55,562                   | 42.8                     | 4.3                  |
| 2009-10   | 116.4               | 60,267                   | 43.1                     | 4.6                  |
| 2010-11   | 121.8               | 63,024                   | 43                       | 4.8                  |
| 2011-12   | 127.9               | 66,449                   | 44.7                     | 5.5                  |
| 2012-13   | 132.4               | 69,731                   | 46.1                     | 5.9                  |
| 2013-14   | 137.7               | 74,752                   | 47.9                     | 6.2                  |

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पशुपालन विभाग

## अनुबंध



## 2006-07 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान राज्यवार मछली उत्पादन

(1000 टन में)

| राज्य /संघ शासित प्रदेश           | 2006-07  | 2007-08  | 2008-09  | 2009-10 | 2010-11  | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 (P) |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|-------------|
| 1. आंध्र प्रदेश                   | 856.93   | 1,010.08 | 1,252.78 | 1293.85 | 1368.202 | 1603.17 | 1808.08 | 2018.42     |
| 2. अरुणाचल प्रदेश                 | 2.77     | 2.83     | 2.88     | 2.65    | 3.15     | 3.3     | 3.71    | 0.61        |
| 3. असम                            | 181.48   | 190.32   | 200.15   | 218.82  | 227.242  | 228.62  | 254.27  | 266.7       |
| 4. बिहार                          | 267.04   | 319.1    | 300.65   | 297.4   | 299.91   | 344.47  | 400.14  | 432.3       |
| 5. छत्तीसगढ़                      | 137.75   | 139.37   | 158.7    | 174.24  | 228.207  | 250.7   | 255.61  | 284.95      |
| 6. गोवा                           | 102.39   | 33.43    | 86.21    | 84.33   | 93.27    | 89.96   | 77.88   | 114.06      |
| 7. गुजरात                         | 747.33   | 721.91   | 765.9    | 771.52  | 774.902  | 783.72  | 788.49  | 793.42      |
| 8. हरियाणा                        | 60.08    | 67.24    | 76.29    | 100.46  | 96.195   | 106     | 111.48  | 116.9       |
| 9. हिमाचल प्रदेश                  | 6.89     | 7.85     | 7.79     | 7.75    | 7.381    | 8.05    | 8.56    | 9.83        |
| 10 जम्मू और कश्मीर                | 19.2     | 17.33    | 19.27    | 18.94   | 19.7     | 19.85   | 19.95   | 19.98       |
| 11. झारखंड                        | 34.27    | 67.89    | 75.8     | 70.5    | 71.886   | 91.68   | 96.6    | 104.82      |
| 12. कर्नाटक                       | 292.46   | 297.69   | 361.85   | 408.05  | 526.579  | 546.44  | 525.57  | 555.31      |
| 13. केरल                          | 677.63   | 667.33   | 685.99   | 663.12  | 681.613  | 693.21  | 679.74  | 708.65      |
| 14. मध्य प्रदेश                   | 65.04    | 63.89    | 68.47    | 66.12   | 56.451   | 75.41   | 85.17   | 96.26       |
| 15. महाराष्ट्र                    | 595.94   | 556.45   | 523.1    | 538.35  | 595.249  | 578.79  | 586.37  | 602.68      |
| 16. मणिपुर                        | 18.61    | 18.6     | 18.8     | 19.2    | 20.2     | 22.22   | 24.5    | 28.54       |
| 17. मेघालय                        | 5.49     | 4        | 3.96     | 4.21    | 4.557    | 4.77    | 5.42    | 5.75        |
| 18. मिजोरम                        | 3.76     | 3.76     | 2.89     | 3.04    | 2.901    | 2.93    | 5.43    | 5.94        |
| 19. नगालैंड                       | 5.8      | 5.8      | 6.18     | 6.36    | 6.585    | 6.84    | 7.13    | 7.47        |
| 20. ओडिशा                         | 342.04   | 349.48   | 374.82   | 370.54  | 386.185  | 381.83  | 410.14  | 413.79      |
| 21. पंजाब                         | 86.7     | 78.73    | 86.21    | 122.86  | 97.04    | 97.62   | 99.13   | 104.02      |
| 22. राजस्थान                      | 22.2     | 25.7     | 24.1     | 26.91   | 28.2     | 47.85   | 55.16   | 35.1        |
| 23. सिक्किम                       | 0.15     | 0.18     | 0.17     | 0.17    | 0.18     | 0.28    | 0.49    | 0.42        |
| 24. तमिलनाडु                      | 542.28   | 559.36   | 534.17   | 534.17  | 614.809  | 611.49  | 620.4   | 624.3       |
| 25. त्रिपुरा                      | 28.63    | 36.25    | 36       | 42.27   | 49.231   | 53.34   | 57.46   | 61.95       |
| 26. उत्तर प्रदेश                  | 306.73   | 325.95   | 349.27   | 392.93  | 417.479  | 429.72  | 449.75  | 464.47      |
| 27. उत्तराखंड                     | 3.03     | 3.09     | 3.16     | 3.49    | 3.818    | 3.83    | 3.85    | 3.89        |
| 28. पश्चिम बंगाल                  | 1,359.10 | 1,447.26 | 1484     | 1505    | 1443.259 | 1472.05 | 1490.02 | 1580.65     |
| 29. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 28.68    | 28.68    | 32.49    | 33.19   | 33.921   | 35.26   | 36.62   | 36.95       |
| 30. चंडीगढ़                       | 0.17     | 0.21     | 0.24     | 0.24    | 0.242    | 0.1     | 0.05    | 0.11        |
| 31. दादरा एवं नगर हवेली           | 0.05     | 0.05     | 0.05     | 0.05    | 0.05     | 0.05    | 0.05    | 0.05        |
| 32. दमण व दीव                     | 16.41    | 26.36    | 14.14    | 15.88   | 16.975   | 17.43   | 19.01   | 19.01       |
| 33. दिल्ली                        | 0.61     | 0.61     | 0.72     | 0.71    | 0.82     | 0.74    | 0.69    | 0.87        |
| 34. लक्षद्वीप                     | 11.75    | 11.04    | 12.59    | 12.37   | 12.372   | 12.37   | 12.37   | 18.72       |
| 35. पुद्दुचेरी                    | 39.66    | 39.01    | 40.3     | 41.94   | 41.949   | 42.4    | 41.07   | 42.08       |
| कुल                               | 6,869.05 | 7,126.83 | 7,616.09 | 7851.61 | 8230.71  | 8666.49 | 9040.36 | 9578.97     |

पी: अनंतिम

स्रोत: राज्य/संघ शासित प्रदेश

# अनुबंध IV

## भारतीय समुद्री मात्स्यिकी संसाधन

| राज्य/संघ शासित प्रदेश        | लगभग समुद्र तट की लम्बाई (कि.मी. में) | महाद्वीपीय शेल्फ ('000 वर्ग. कि.मी.) | मछली उतारने वाले केन्द्रों की संख्या | मत्स्यिक गांवों की संख्या | मछुआरों परिवारों की संख्या | मछुआरा समुदाय की जनसंख्या |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| आंध्र प्रदेश                  | 974                                   | 33                                   | 353                                  | 555                       | 163427                     | 605428                    |
| गोवा                          | 104                                   | 10                                   | 33                                   | 39                        | 2189                       | 10545                     |
| गुजरात                        | 1600                                  | 184                                  | 121                                  | 247                       | 62231                      | 336181                    |
| कर्नाटक                       | 300                                   | 27                                   | 96                                   | 144                       | 30713                      | 167429                    |
| केरल                          | 590                                   | 40                                   | 187                                  | 222                       | 118937                     | 610165                    |
| महाराष्ट्र                    | 720                                   | 112                                  | 152                                  | 456                       | 81492                      | 386259                    |
| ओडिशा                         | 480                                   | 26                                   | 73                                   | 813                       | 114238                     | 605514                    |
| तमिलनाडु                      | 1076                                  | 41                                   | 407                                  | 573                       | 192697                     | 802912                    |
| पश्चिम बंगाल                  | 158                                   | 17                                   | 59                                   | 188                       | 76981                      | 380138                    |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 1912                                  | 35                                   | 16                                   | 134                       | 4861                       | 22188                     |
| दमन और दीव                    | 27                                    | 0                                    | 5                                    | 11                        | 7374                       | 40016                     |
| लक्षद्वीप                     | 132                                   | 4                                    | 10                                   | 10                        | 5338                       | 34811                     |
| पुडुचेरी                      | 45                                    | 1                                    | 25                                   | 40                        | 14271                      | 54627                     |
| कुल                           | 8118                                  | 530                                  | 1537                                 | 3432                      | 874749                     | 4056213                   |

गांवों का उपयुक्त संदर्भ वास्तव में पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत हैं

स्रोत: समुद्री मात्स्यिकी संगणना, 2005

## अनुबंध



## भारतीय अंतर्देशीय जल संसाधन

| क्र. सं. | राज्य / संघ शासित प्रदेश      | नदियां और नहरें (कि.मी.) | जलाशय (लाख हेक्टेयर) | टैंक और तालाब (लाख हेक्टेयर) | बाढ़ समतल झीलें तथा परित्यक्त जल निकाय (लाख हेक्टेयर) | खारा जल (लाख हेक्टेयर) | कुल जल निकाय (लाख हेक्टेयर) |
|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 1.       | आंध्र प्रदेश                  | 11514                    | 2.34                 | 5.17                         | -   | 0.6                    | 8.11                        |
| 2.       | अरुणाचल प्रदेश                | 2000                     | -                    | 2.76                         | 0.42  | -                      | 3.18                        |
| 3.       | असम                           | 4820                     | 0.02                 | 0.23                         | 1.1   | -                      | 1.35                        |
| 4.       | बिहार                         | 3200                     | 0.6                  | 0.95                         | 0.05  | -                      | 1.6                         |
| 5.       | छत्तीसगढ़                     | 3573                     | 0.84                 | 0.63                         | -   | -                      | 1.47                        |
| 6.       | गोवा                          | 250                      | 0.03                 | 0.03                         | -   | Neg.                   | 0.06                        |
| 7.       | गुजरात                        | 3865                     | 2.43                 | 0.71                         | 0.12  | 1                      | 4.26                        |
| 8.       | हरयाणा                        | 5000                     | Neg.                 | 0.1                          | 0.1   | -                      | 0.2                         |
| 9.       | हिमाचल प्रदेश                 | 3000                     | 0.42                 | 0.01                         | -   | -                      | 0.43                        |
| 10.      | जम्मू और कश्मीर               | 27781                    | 0.07                 | 0.17                         | 0.06  | -                      | 0.3                         |
| 11.      | झारखंड                        | 4200                     | 0.94                 | 0.29                         | -   | -                      | 1.23                        |
| 12.      | कर्नाटक                       | 9000                     | 4.4                  | 2.9                          | -   | 0.1                    | 7.4                         |
| 13.      | केरल                          | 3092                     | 0.3                  | 0.3                          | 2.43  | 2.4                    | 5.43                        |
| 14.      | मध्य प्रदेश                   | 17088                    | 2.27                 | 0.6                          | -   | -                      | 2.87                        |
| 15.      | महाराष्ट्र                    | 16000                    | 2.99                 | 0.72                         | -   | 0.12                   | 3.83                        |
| 16.      | मणिपुर                        | 3360                     | 0.01                 | 0.05                         | 0.04  | -                      | 0.1                         |
| 17.      | मेघालय                        | 5600                     | 0.08                 | 0.02                         | Neg.  | -                      | 0.1                         |
| 18.      | मिजोरम                        | 1395                     | -                    | 0.02                         | -   | -                      | 0.02                        |
| 19.      | नगालैंड                       | 1600                     | 0.17                 | 0.5                          | Neg.  | -                      | 0.67                        |
| 20.      | ओडिशा                         | 4500                     | 2.56                 | 1.23                         | 1.8   | 4.3                    | 9.89                        |
| 21.      | पंजाब                         | 15270                    | Neg.                 | 0.07                         | -   | -                      | 0.07                        |
| 22.      | राजस्थान                      | 5290                     | 1.2                  | 1.8                          | -   | -                      | 3                           |
| 23.      | सिक्किम                       | 900                      | -                    | -                            | 0.03  | -                      | 0.03                        |
| 24.      | तमिलनाडु                      | 7420                     | 5.7                  | 0.56                         | 0.07  | 0.6                    | 6.93                        |
| 25.      | त्रिपुरा                      | 1200                     | 0.05                 | 0.13                         | -   | -                      | 0.18                        |
| 26.      | उत्तर प्रदेश                  | 28500                    | 1.38                 | 1.61                         | 1.33  | -                      | 4.32                        |
| 27.      | उत्तराखंड                     | 2686                     | 0.2                  | 0.006                        | 0.003   | -                      | 0.209                       |
| 28.      | पश्चिम बंगाल                  | 2526                     | 0.17                 | 2.76                         | 0.42  | 2.1                    | 5.45                        |
| 29.      | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | -                        | 0.00367              | 0.0016                       | -   | 0.33                   | 0.33527                     |
| 30.      | चंडीगढ़                       | 2                        | -                    | Neg.                         | Neg.  | -                      | 0                           |
| 31.      | दादरा और नगर हवेली            | 54                       | 0.05                 | -                            | -   | -                      | 0.05                        |
| 32.      | दमन और दीव                    | 12                       | -                    | Neg.                         | -   | Neg.                   | 0                           |
| 33.      | दिल्ली                        | 150                      | 0.04                 | -                            | -   | -                      | 0.04                        |
| 34.      | लक्षद्वीप                     | -                        | -                    | -                            | -   | -                      | 0                           |
| 35.      | पुडुचेरी                      | 247                      | -                    | Neg.                         | 0.01  | Neg.                   | 0.01                        |
|          | कुल                           | 195095                   | 29.26367             | 24.3276                      | 7.983   | 11.55                  | 73.12427                    |

स्रोत: राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश

## मत्स्य बीज उत्पादन

| वर्ष                         | मत्स्य बीज (मिलियन फ्राई में) |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1973-74 (चौथी योजना का अंत)  | 409                           |
| 1978-79 (पंचवी योजना का अंत) | 912                           |
| 1984-85 (छठवीं योजना का अंत) | 5,639                         |
| सातवीं योजना                 |                               |
| 1985-86                      | 6,322                         |
| 1986-87                      | 7,601                         |
| 1987-88                      | 8,608                         |
| 1988-89                      | 9,325                         |
| 1989-90                      | 9,691                         |
| वार्षिक योजनाएं              |                               |
| 1990-91                      | 10,332                        |
| 1991-92                      | 12,203                        |
| आठवीं योजना                  |                               |
| 1992-93                      | 12,499                        |
| 1993-94                      | 14,239                        |
| 1994-95                      | 14,544                        |
| 1995-96                      | 15,007                        |
| 1996-97                      | 15,853                        |
| नवीं योजना                   |                               |
| 1997-98                      | 15,904                        |
| 1998-99                      | 15,156                        |
| 1999-2000                    | 16,589                        |
| 2000-01                      | 15,608                        |
| 2001-02                      | 15,758                        |
| दसवीं योजना                  |                               |
| 2002-03                      | 16,333                        |
| 2003-04                      | 19,231                        |
| 2004-05                      | 20,790                        |
| 2005-06                      | 22,614                        |
| 2006-07                      | 31,688                        |
| ग्यारहवीं योजना              |                               |
| 2007-08                      | 24,143                        |
| 2008-09                      | 32,177                        |
| 2009-10                      | 29,313                        |
| 2010-11                      | 34,993                        |
| 2011-12                      | 36,566                        |
| बारहवीं योजना                |                               |
| 2012&13                      | 34,922                        |
| 2013-14 (पी)                 | 41,450                        |

पी-अनंतिम

# अनुबंध VII

## वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान वित्तीय आवंटन और व्यय (31.12.2014 तक)

(करोड़ रुपए में)


| क्र.सं. | योजना का नाम   | 2013-14    |                |               | 2014-15  |                |                                |
|---------|--|------------|----------------|---------------|--|----------------|--------------------------------|
|         |  | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय | बजट अनुमान   | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय (31.12. 2014 तक) |
| 1       | 2  | 3          | 4              | 5             | 6  | 7              | 8                              |
| I       | पशुपालन  |            |                |               |  |                |                                |
| क       | केंद्र प्रायोजित योजना   |            |                |               |  |                |                                |
| 1       | राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना                         | 134.99     | 128.3          | 128.35        | एनपीबीबी और डीडी के घटक को एनपीबीबी ने विलय किया गया |                |                                |
| 2       | राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन-एनपीबीबी एंड डीडी के घटक                 | 0.01       | 0.00           | 0.00          | 203.99   | 154.08         | 111.83                         |
| 3       | राष्ट्रीय पशुधन मिशन   | 0.03       | 0.00           | 0.00          | 273  | 272.28         | 206.94                         |
| 4       | कुक्कुट विकास  | 52.5       | 50.36          | 50.09         | राष्ट्रीय पशुधन मिशन में विलय                        |                |                                |
|         | क) राज्य कुक्कुट / बतख फार्मों के लिए सहायता                     | 10.00      | 10.00          | 9.8           |  |                |                                |
|         | ख) ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास                                | 40.00      | 40.00          | 39.99         |  |                |                                |
|         | ग) कुक्कुट संपदा की स्थापना                                      | 2.50       | 0.36           | 0.30          |  |                |                                |
| 5       | चालित वध संयंत्र सहित ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना / आधुनिकीकरण | 0.04       | 0.00           | 0.00          |  |                |                                |
| 6       | मृत पशुओं का उपयोग   | 0.05       | 0.00           | 0.00          |  |                |                                |
| 7       | संकटग्रस्त पशुधन नस्लों का संरक्षण                               | 1.35       | 1.00           | 1.00          |  |                |                                |
| 8       | केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना                             | 90.00      | 90.00          | 89.13         |  |                |                                |
| 9       | पशुधन बीमा   | 60.00      | 50.00          | 47.98         |  |                |                                |
| 10      | पशुधन विस्तार और वितरण सेवायें                                   | 0.03       | 0.00           | 0.00          |  |                |                                |
| 12      | पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण                                  | 458.98     | 398.79         | 394.53        | 459  | 379.72         | 297.81                         |
| 12.1    | पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता                   | 90.00      | 90.00          | 90.14         | 80.00  | 84.00          | 64.85                          |
| 12.2    | राष्ट्रीय संगरोध निगरानी और नियंत्रण परियोजना                    | 5.00       | 4.50           | 3.36          | 5.00   | 3.60           | 1.83                           |
| 12.3    | व्यावसायिक दक्षता विकास  | 5.00       | 5.00           | 5.07          | 5.00   | 5.50           | 4.03                           |
| 12.4    | खुरपका और मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम                         | 250        | 223.79         | 223.71        | 280  | 237.25         | 197.01                         |
| 12.5    | मौजूदा अस्पतालों / डिस्पेंसरियों का सुदृढीकरण                    | 60.00      | 50.04          | 54.15         | 50.00  | 20.00          | 15.60                          |
| 12.6    | पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रम  | 22.00      | 7.26           | 4.58          | 20.00  | 10.00          | 8.75                           |
| 12.7    | ब्रूसेल्लोसिस नियंत्रण कार्यक्रम                                 | 12.00      | 6.20           | 4.35          | 8.00   | 7.00           | 4.05                           |
| 12.8    | राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली                             | 14.97      | 12.00          | 9.17          | 10.00  | 10.87          | 1.70                           |
| 12.9    | राष्ट्रीय क्लासिकल सूअर ज्वर के लिए नियंत्रण कार्यक्रम           | 0.01       | 0.00           | 0.00          | 1.00   | 1.50           | 0.00                           |
|         | कुल सीएसएस (पशुपालन)   | 797.98     | 718.45         | 711.08        | 935.99   | 806.08         | 616.59                         |

| क्र.सं.   | योजना का नाम  | 2013-14       |                |               | 2014-15  |                |                                |
|-----------|---|---------------|----------------|---------------|--|----------------|--------------------------------|
|           |   | बजट अनुमान    | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय | बजट अनुमान   | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय (31.12. 2014 तक) |
| 1         | 2   | 3             | 4              | 5             | 6  | 7              | 8                              |
| <b>B</b>  | <b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं</b>   |               |                |               |  |                |                                |
| 1         | पशुधन संगणना  | 82.00         | 76.00          | 63.37         | 45.95  | 16.07          | 14.75                          |
| 2         | एकीकृत नमूना सर्वेक्षण  | 18.00         | 16.00          | 14.67         | 15.00  | 14.93          | 9.60                           |
| 3         | केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन   | 25            | 27.5           | 26.14         | 23.52  | 31.24          | 19.29                          |
| 4         | केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म  | 2.20          | 2.00           | 1.79          | 2.00   | 1.95           | 0.78                           |
| 5         | केन्द्रीय चारा विकास संगठन  | 25.78         | 13.5           | 13.12         | 13.00  | 11.19          | 6.62                           |
| 6         | केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन  | 18.50         | 16.00          | 15.01         | 16.00  | 16.58          | 10.06                          |
| 7         | पशु स्वास्थ्य निदेशालय  | 23.00         | 19.45          | 14.9          | 17.09  | 16.46          | 8.39                           |
| 8         | जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास  | 15.00         | 10.00          | 9.28          | राष्ट्रीय पशुधन मिशन में विलय  |                |                                |
| 9         | सुअर पालन विकास   | 12.00         | 10.00          | 7.80          |  |                |                                |
| 10        | नर भैंस बछड़ों का बचाव और पालन  | 0.01          | 0.00           | 0.00          |  |                |                                |
| 11        | खाद्य सुरक्षा और पहचान (नया)  | 2.00          | 0.00           | 0.00          | 0.01   | 0.01           | 0.00                           |
| 12        | कुक्कुट उद्यम पूंजी फंड   | 30.00         | 30.00          | 40.00         | राष्ट्रीय पशुधन मिशन में विलय  |                |                                |
| <b>13</b> | <b>नई योजनाएं (12 वीं योजना में)</b>  | <b>0.03</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>50.01</b>   | <b>46.11</b>   | <b>0.00</b>                    |
| 13.1      | पशु चिकित्सा औषधि नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना   | 0.01          | 0.00           | 0.00          | योजना बंद कर दी गई .   |                |                                |
| 13.2      | पशु चिकित्सा कॉलेजों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन / सुदृढीकरण                                  | 0.01          | 0.00           | 0.00          |  |                |                                |
| 13.3      | राष्ट्रीय पशुधन बोर्ड (नई)  | 0.01          | 0.00           | 0.00          | 0.01   | 0.01           | 0.00                           |
| 13.4      | स्वदेशी नसलें (नई)  | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 50.00  | 46.1           | 0.00                           |
|           | <b>कुल सी एस (पशुपालन)</b>  | <b>253.52</b> | <b>220.45</b>  | <b>206.08</b> | <b>182.58</b>  | <b>154.54</b>  | <b>69.48</b>                   |
|           | <b>कुल पशुपालन (सीएसएस एवं सीएस)</b>  | <b>1051.5</b> | <b>938.9</b>   | <b>917.16</b> | <b>1118.57</b>   | <b>960.62</b>  | <b>686.06</b>                  |
| <b>II</b> | <b>डेरी विकास</b>   |               |                |               |  |                |                                |
| <b>A</b>  | <b>केंद्रीय प्रायोजित योजना</b>   |               |                |               |  |                |                                |
| 1         | राष्ट्रीय डेयरी विकास एनपीबीबी और डीडी के घटक कार्यक्रम)                                      | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 105.00   | 85.00          | 67.91                          |
| 1         | डेयरी विकास परियोजना  | 85.00         | 74.00          | 69.85         | राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के घटक को राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम में विलय किया गया |                |                                |
| 1.1       | डेयरी विकास परियोजना (स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सहित के लिए) गैर क्षमता वाले जिलों के लिए डीएएचडी) | 85.00         | 74.00          | 69.85         |  |                |                                |
|           | <b>कुल सीएस डेयरी विकास</b>   | <b>85.00</b>  | <b>74.00</b>   | <b>69.85</b>  | <b>105.00</b>  | <b>85.00</b>   | <b>67.91</b>                   |
| <b>B.</b> | <b>केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं</b>  |               |                |               |  |                |                                |
| 1         | सहकारिताओं को सहायता  | 5.00          | 4.95           | 4.95          | एनपीबीबी और डीडी के घटक को एनपीडीडी में विलय किया गया  |                |                                |

| क्र.सं. | योजना का नाम  | 2013-14       |                |                | 2014-15              |                |                                |
|---------|---|---------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------|
|         |   | बजट अनुमान    | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय  | बजट अनुमान           | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय (31.12. 2014 तक) |
| 1       | 2   | 3             | 4              | 5              | 6                    | 7              | 8                              |
| 2       | दिल्ली दुग्ध योजना  | 10.00         | 3.65           | 2.70           | 16.43                | 2.36           | 0.45                           |
| 3       | डेयरी उद्यम शीलता विकास योजना   | 300.00        | 300.00         | 284.3          | 229.99               | 228.18         | 146.59                         |
| 4       | राष्ट्रीय डेयरी योजना   | 180.00        | 141.15         | 139.79         | 215.05               | 164.00         | 141.81                         |
|         | <b>कुल सी एस (डेयरी विकास)</b>  | <b>495.00</b> | <b>449.75</b>  | <b>431.74</b>  | <b>461.47</b>        | <b>394.54</b>  | <b>288.85</b>                  |
|         | <b>कुल डेयरी विकास (सी एस एस एवं सी एस)</b>   | <b>580.00</b> | <b>523.75</b>  | <b>501.59</b>  | <b>566.47</b>        | <b>479.54</b>  | <b>356.76</b>                  |
| III     | मात्स्यिकी  |               |                |                |                      |                |                                |
|         | केंद्रीय प्रायोजित योजना  |               |                |                |                      |                |                                |
|         | जारी योजनाएं  |               |                |                |                      |                |                                |
| 1       | अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जल कृषि का विकास '   | 40.00         | 33.00          | 31.04          | 50.00                | 27.50          | 13.70                          |
| 2       | समुद्री मत्स्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट हार्वेस्ट संचालन का विकास  | 80.00         | 71.00          | 62.00          | 90.96                | 60.96          | 54.05                          |
| 3       | मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना  | 50.00         | 53.00          | 52.15          | 70.00                | 50.00          | 43.49                          |
| 4       | मात्स्यिकी क्षेत्र के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण   | 6.50          | 7.50           | 5.40           | 15.00                | 7.66           | 6.60                           |
| 5       | <b>मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता</b>   | <b>57.5</b>   | <b>42.72</b>   | <b>42.46</b>   | <b>67.5</b>          | <b>59.04</b>   | <b>37.68</b>                   |
| 5.1     | केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन इंजीनियरिंग और प्रशिक्षण संस्थान   | 15.15         | 6.37           | 5.64           | 15.15                | 6.69           | 4.58                           |
| 5.2     | केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान   | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00           | 0.00                           |
| 5.3     | राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफेट)  | 2.35          | 2.35           | 1.94           | 2.35                 | 2.35           | 1.72                           |
| 5.4     | भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई)  | 40.00         | 34.00          | 34.88          | 50.00                | 50.00          | 31.39                          |
| 6       | राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड  | 137.5         | 115.13         | 123.16         | 137.5                | 137.5          | 124.5                          |
| 7       | <b>नई योजना</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>50.00</b>         | <b>8.90</b>    | <b>5.00</b>                    |
| 7.1     | नीली क्रांति-अंतर्देशीय मात्स्यिकी  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 50.00                | 8.90           | 5.00                           |
|         | <b>कुल मात्स्यिकी</b>   | <b>371.5</b>  | <b>322.35</b>  | <b>316.21</b>  | <b>480.96</b>        | <b>351.56</b>  | <b>285.02</b>                  |
| IV      | सचिवालय और आर्थिक सेवाएँ  | 7.00          | 7.00           | 5.85           | 8.00                 | 8.28           | 4.52                           |
| V       | आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में आत्महत्या की आशंका वाले जिलों के लिए विशेष पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र पैकेज | 15.00         | 8.00           | 8.00           | 30.11.2013 को समाप्त |                |                                |
|         | <b>कुल जोड़</b>   | <b>2025</b>   | <b>1800</b>    | <b>1748.81</b> | <b>2174</b>          | <b>1800</b>    | <b>1332.37</b>                 |

# अनुबंध VIII

## पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग का संगठनात्मक चार्ट और प्रभागों के बीच कार्य आबंटन



### कार्य का आबंटन

#### संयुक्त सचिव (एल एच)

पशुधन स्वास्थ्य, व्यापार और काडेक्स एलिमेटेरियस, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, राष्ट्रीय पशुप्लेग निगरानी और नियंत्रण परियोजना, संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं, योजना समन्वय, वित्तियन के बिना संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामले, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद से संबंधित कार्य।

#### संयुक्त सचिव (एएनएलएम)

प्रशासन-1, रोकड़ और सामान्य प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, सतर्कता, कुक्कुट विकास, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, सूअर, अश्व एवं भारवाही पशु, आहार और चारा, बूचड़खाना, मीट और मीट उत्पाद, केंद्रीय चारा विकास संगठन, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्मों से संबंधित प्रशासनिक कार्य सहित बकरी, भेड़ विकास, राजभाषा और कार्य अध्ययन एकक, पशुपालन विस्तार, पशुधन बीमा योजना।

#### संयुक्त सचिव (सी डी डी)

राष्ट्रीय डेयरी योजना, डेयरी विकास योजना, एन.पी.सी. बी.बी. केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन, प्रशासन 4 और दिल्ली दुग्ध योजना और एन.डी.डी.बी. से जुड़े सभी मामले, सामान्य समन्वय, प्रशासनिक सुधार, जन शिकायत और डेयरी प्रभाग से जुड़े सभी मामले

#### संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)

मत्स्य विकास, विनियमन और नीति से जुड़े सभी मामले, मत्स्य संस्थान नामित: एफ. एस. आई., सी.आई.एफ.एन. ई.टी., एन.आई.एफ.पी.एच.टी.टी. सी.आई.सी.ई.एफ. और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड तथा सी.ए.ए. से संबंधित मामले।

#### सलाहकार (सांख्यिकी)

पशुधन संगणना, एकीकृत नमूना सर्वेक्षण और पशुपालन सांख्यिकी से संबंधित सभी मामले।

# अनुबंध IX

## पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को आबंटित विषयों की सूची

### भाग 1

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में आते हैं:

1. उद्योग, जहां तक पशुधन, मत्स्य और पक्षी आहार तथा डेयरी, कुक्कुट और मत्स्य उत्पादों के विकास के संबंध में इनका नियंत्रण संघ द्वारा संसद में पारित विधि द्वारा लोकहित में इस शर्त पर उपयुक्त घोषित किया गया हो कि इन उद्योगों के विकास के संबंध में पशुपालन और डेयरी विभाग के कार्य उनकी मांगों के निरूपण और लक्ष्यों के निर्धारण के कार्यक्षेत्र से बाहर न हों।
2. पशुधन, कुक्कुट और मात्स्यिकी विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क और सहयोग।
3. पशुधन संगणना।
4. पशुधन सांख्यिकी।
5. प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई पशुधन हानि से संबंधित मामले।
6. पशुधन आयात, पशु संगरोध और प्रमाणीकरण का विनियमन।
7. मत्स्यन और मात्स्यिकी (अंतर्देशीय, समुद्री और प्रादेशिक जल से बाहर)।
8. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई।

### भाग 2

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 में आते हैं:

9. पशुचिकित्सा प्रेक्टिस व्यवसाय।
10. पशुओं, मत्स्य, पक्षियों को प्रभावित करने वाले संक्रामक अथवा संक्रामक रोगों अथवा नाशक जीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलाव को रोकना।
11. स्वदेशी नस्लों का परिवर्तन, पशुधन की स्वदेशी नस्लों के लिए केन्द्रीय पशुयूथ पुस्तक शुरू करना और उसका रख-रखाव।
12. राज्य एजेंसियों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों डेयरी विकास योजनाओं को सहायता देने की प्रणाली

### भाग 3

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ऊपर भाग 1 तथा भाग 2 में उल्लिखित विषय, जहां तक वे इन प्रदेशों के अस्तित्व में हैं तथा निम्नलिखित विषयों के साथ साथ जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 में शामिल हैं:

13. स्टॉक का परिरक्षण, संरक्षण तथा सुधार और पशु, मछली और पक्षियों के रोगों की रोकथाम, पशुचिकित्सा प्रशिक्षण एवं प्रेक्टिस।
14. कोर्ट्स ऑफ वाडर्स।
15. पशुधन, मछली और पक्षियों का बीमा।

### भाग 4

16. गोपशु उपयोग और वध से संबंधित मामले।
17. चारा विकास।

# अनुबंध

## सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की सूची

### पशुपालन प्रभाग

1. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, धामरोड, जिला सूरत (गुजरात)।
2. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, अंदेशनगर, जिला लखीमपुर, उत्तर प्रदेश।
3. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सिमिलीगुड़ी, पोस्ट सुनाबेड़ा, (कोरापुट), उड़ीसा।
4. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़, (राजस्थान)।
5. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, बसन्तपुर, जिला सम्बलपुर, उड़ीसा।
6. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, अवाड़ी, अलामाधि (चेन्नई)
7. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, हैस्सरघट्टा, उत्तरी बंगलुरु।
8. केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा उत्तरी बंगलुरु।
9. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एकक, रोहतक (हरियाणा)।
10. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एकक, अजमेर।
11. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एकक, अहमदाबाद।
12. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एकक, संथापट, ओंगोले, जिला प्रकाशम (आंध्र प्रदेश)।
13. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, कल्याणी, जिला नाडिया (पश्चिम बंगाल)।
14. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)।
15. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, सूरतगढ़ (राजस्थान)।
16. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, टैक्सटाइल मिल हिसार (हरियाणा)।
17. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, गांधीनगर (गुजरात)।
18. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, आवाड़ी, अलामाधि (चेन्नई)।
19. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, मामिडिपल्ली, वाया केशवगिरी, हैदराबाद।
20. केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा, उत्तरी बंगलुरु।
21. राष्ट्रीय पशुस्वास्थ्य संस्थान, बागपत (उत्तर प्रदेश)।
22. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, कापसहेड़ा गांव, नई दिल्ली।
23. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, पल्लीकरणी गांव, चेन्नई
24. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, गोपालपुर, 24 परगना (पश्चिम बंगाल)।
25. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, मुम्बई
26. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, हैदराबाद
27. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, बंगलुरु
28. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)।
29. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, दक्षिण क्षेत्र, हैस्सरघट्टा, उत्तरी बंगलुरु
30. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।
31. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पश्चिमी क्षेत्र, आरे मिल्क कालोनी, मुम्बई।
32. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, उत्तरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, चण्डीगढ़।
33. केन्द्रीय कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र, गुड़गांव (हरियाणा)

## II डेयरी विकास प्रभाग

34. दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली।

## III मात्स्यिकी प्रभाग

35. केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलुरु।

36. केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन।

37. राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट, प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन।

38. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई।

# अनुबंध XI

## भारत में पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा केन्द्रों का पशुधन उत्पादों और पशुधन स्टॉक की आयात-निर्यात रिपोर्ट वर्ष 2014-15 के दौरान अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक प्रभावी

| क्र.सं. | पशुधन (संख्या)   | आयात       | निर्यात   |
|---------|--|------------|-----------|
|         |  | प्रगतिशील  | प्रगतिशील |
| 1.      | जलीय पशु (प्रॉन, झिंगा, केकड़ा)  | 222855     | 2434614   |
| 2.      | पक्षी (जंगली, घरेलू)   | 1          | 7         |
| 3.      | भैंस   | 4          | -         |
| 4.      | बिल्ली   | 148        | 298       |
| 5.      | गोपशु  | 4          | -         |
| 6.      | कुत्ता   | 476        | 1191      |
| 7.      | केंचुआ   | -          | -         |
| 8.      | मछली (सजावटी मछली)   | 1114726    | 397760    |
| 9.      | बत्तख सहित जी पी चूजे  | 147885     | 194774    |
| 10.     | अश्व / दूसरे अश्व वंशज   | 55         | 41        |
| 11.     | प्रयोगशाला पशु (गुनिया सुअर, चूहा, चुहिया, खरगोश, मेंढक, हैमस्टर इत्यादि)  | 77908      | 2         |
| 12.     | सरीसृप/गिलहरी (मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली, सर्प इत्यादि)  | 1          | -         |
| 13.     | भेड़/बकरी  | 5          | 790       |
| 14.     | चिड़ियाघर पशु (चीता, जिराफ, भेड़िया, चिम्पैंजी इत्यादि)  | 34         | -         |
| क्र.सं. | पशुधन उत्पाद (कि.ग्रा. तथा संख्या, लीटर, खुराकें)  |            |           |
| 1.      | पशु उत्पाद (कैसीन रलू, बैल गाल, पित्त अम्ल, बैल पित्त पाउडर, टांका, बकरी बैजूर, एसिडलैक, कोलेकल-सिफरोल, कोलिक अम्ल, कोन्ड्रॉइटिन सल्फेट इत्यादि) | -          | 774621.85 |
| 2.      | पशु आहार (कुक्कुट, चुहिया, अश्व, गोपशु इत्यादि)  | 2644990.92 | 535940    |
| 3.      | जलचर उत्पाद (मूंगा, शील्स, पाउडर बेस्ट इत्यादि)  | 41333      | 860408    |
| 4.      | हड्डी एवं हड्डी उत्पाद (हड्डी चूर्ण, गिस्ट, बटन, मोती, हथकरघा वस्तु इत्यादि)   | -          | 5875706.2 |
| 5.      | केसिंग (बोवाइन, भेड़)  | 332832.94  | 9653      |
| 6.      | अंडा/अंडा पाउडर  | -          | 955267    |
| 7.      | अंडा/जलचर पशुओं के बीज (मछली सहित)   | -          | -         |
| 8.      | भ्रूण (बोवाइन)   | -          | -         |
| 9.      | भ्रूण (ओवाइन, कैप्रिन)   | 128        | -         |

| क्र.सं. | पशुधन (संख्या)  | आयात         | निर्यात     |
|---------|---|--------------|-------------|
|         |   | प्रगतिशील    | प्रगतिशील   |
| 10.     | पंख (प्रसंस्कृत और शटल कॉक, ब्रश, तकिया इत्यादि)  | 10950        | 14821.185   |
| 11.     | मत्स्य बीज/तेल/पेस्ट (प्रॉन बीज, झाघा बीज और आर्टेमिया सिस्ट सहित)  | 12116688.463 | 13075494    |
| 12.     | मत्स्य एवं मत्स्य मांस उत्पाद (कच्चा, प्रशीतित, हिमित, स्मोकड इत्यादि)  | 43215972.246 | 13528854    |
| 13.     | फर स्किन (सिर, पूंछ, पंजा और दूसरे टुकड़े सहित)   | 1255         | -           |
| 14.     | जिलेटिन /ओसीन /ग्लू (उत्पाद, कैप्सूल्स, शीट्स, डेरिवेटिव्स)   | 4004         | 9568197.586 |
| 15.     | हैचिंग अंडे (बत्तख, कुक्कुट)  | -            | 24844704    |
| 16.     | खुर, सध्या, नाखून,पंजे, चोंच, सध्या कोर (उत्पाद, शुष्क भोजन,कोर्स, ग्रीस्ट, बटन, हथकरघा उत्पाद इत्यादि)                   | 897          | 2052929.5   |
| 17.     | बोवाइन का चमड़ा, अश्व, भेड़, बकरी, सूअर, सांप इत्यादि (वेटब्लू , समाप्त, शोधित चंदे की पपड़ी, पाउडर, आटा, परतदार इत्यादि) | 35440045     | 5399991.59  |
| 18.     | मांस और मांस उत्पाद (सूअर का मांस)  | 393636.69    | -           |
| 19.     | मांस और मांस उत्पाद (कुक्कुट)   | 787207.27    | 1607187.4   |
| 20.     | मांस और मांस उत्पाद (मेमना, बकरी)   | 51027.97     | -           |
| 21.     | दवाई और निदान (अलब्यूमिन, इन विट्रो प्रयुक्त रक्त/ सीरम अंश/ पशु उत्पित की दवा, हेपरिन इत्यादि)                           | 2728.744     | 3485.274    |
| 22.     | दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (चीज, घी, मट्ठा पाउडर, केसीन, आईसक्रीम, मक्खन, योगर्ट, लैक्टोज तेल इत्यादि)                        | 4566680      | 6586557.34  |
| 23.     | विविध (रेशम, शहद, कैंडी, चॉकलेट इत्यादि)  |              | 2070395.45  |
| 24.     | पालतू पशु आहार /डॉग च्यूज़  | 7610235.385  | 4305532.628 |
| 25.     | सूअर बाल (बिल्ले, ब्रश)   | 151901       | 1760        |
| 26.     | कच्चा फर स्किन (सिर, पूंछ, पंजा और दूसरे टुकड़ों सहित)  | -            | -           |
| 27.     | कच्चा चमड़ा/बोवाइन की खाल, घोड़ा, भेड़, बकरी, सूअर (ताजा, अचार, नख्खू, नमकीन, शुष्क, परिरक्षित लेकिन शोधित नहीं)          | 6074740      | 1376184     |
| 28.     | कच्चा चमड़ा/पक्षियों के दूसरे भाग (पंख और बिना पंख के)  | -            | -           |
| 29.     | खाने योग्य तैयार वस्तु (बिस्किट, स्नैक्स, संसाधित खाद्य इत्यादि)  | -            | 357007479.8 |
| 30.     | वीर्य (खुराकें) (बोवाइन)  | 102243       | 3000        |
| 31.     | वीर्य (खुराकें) (सुअर)  | -            | -           |
| 32.     | सिरम (लीटर) (बोवाइन)  | 17841.34     | 981.23      |
| 33.     | सिरम (लीटर) (अन्य पशु विशेष)  | -            | -           |
| 34.     | एसपीएफ अंडे (सं.)   | 474028       | -           |
| 35.     | स्वीट   | -            | 2696421.48  |
| 36.     | टीका  | -            | 185000      |
| 37.     | ऊन/बाल/धागा (भेड़, बकरी, खरगोश, घोड़ा)  | 43215972.246 | 654345.1    |

# अनुबंध

## XII

### वर्ष 2014 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान भारत में हुए पशुरोगों का प्रजातिवार विवरण

| क्र.सं. | रोग का नाम                    | प्रजाति         | प्रकोप | हानि  | मृत्यु |
|---------|-------------------------------|-----------------|--------|-------|--------|
| 1       | खुरपका और मुंहपका रोग (घरेलू) | बोवाइन          | 168    | 20595 | 1582   |
|         |                               | भैंसें          | 33     | 4638  | 127    |
|         |                               | ओवाइन / कैप्रिन | 26     | 794   | 86     |
|         |                               | सुअर            | 11     | 189   | 27     |
|         |                               | कुल             | 238    | 26216 | 1822   |
| 2       | हैमजिक सेप्टीसीमिया           | बोवाइन          | 93     | 3219  | 304    |
|         |                               | भैंसें          | 32     | 3444  | 201    |
|         |                               | ओवाइन / कैप्रिन | 6      | 153   | 36     |
|         |                               | कुल             | 131    | 6816  | 541    |
| 3       | ब्लैक क्वार्टर                | बोवाइन          | 114    | 4263  | 288    |
|         |                               | भैंसें          | 4      | 22    | 9      |
|         |                               | कुल             | 118    | 4285  | 297    |
| 4       | एन्थ्रेक्स                    | बोवाइन          | 30     | 1878  | 1878   |
|         |                               | ओवाइन / कैप्रिन | 25     | 302   | 302    |
|         |                               | कुल             | 55     | 2180  | 2180   |
| 5       | फेसिओलाएसिस                   | बोवाइन          | 129    | 3606  | 4      |
|         |                               | ओवाइन / कैप्रिन | 43     | 1701  | 48     |
|         |                               | भैंसें          | 17     | 688   | 0      |
|         |                               | एवियन           | 1      | 10    | 0      |
|         |                               | सुअर            | 2      | 4     | 0      |
|         |                               | कुल             | 192    | 6009  | 52     |
| 6       | एन्टेरोटॉक्सिमिया             | ओवाइन / कैप्रिन | 44     | 1374  | 308    |
|         |                               | बोवाइन          | 4      | 12    | 0      |
|         |                               | भैंसें          | 2      | 2     | 0      |
|         |                               | कुल             | 50     | 1388  | 308    |
| 7       | भेड़ एवं बकरी चेचक            | ओवाइन / कैप्रिन | 77     | 2420  | 472    |
|         |                               | बोवाइन          | 4      | 69    | 12     |
|         |                               | एवियन           | 6      | 155   | 19     |
|         |                               | कैनिन           | 1      | 6     | 0      |
|         |                               | कुल             | 88     | 2650  | 503    |
| 8       | नीली ज़बान (ब्लू टंग)         | ओवाइन / कैप्रिन | 14     | 659   | 145    |

| क्र.सं. | रोग का नाम         | प्रजाति         | प्रकोप | हानि    | मृत्यु |
|---------|--------------------|-----------------|--------|---------|--------|
| 9       | सी.सी.पी.पी.       | ओवाइन / कैप्रिन | 2      | 29      | 5      |
| 10      | एम्फ्रीस्टोमिओसिस  | बोवाईन          | 104    | 14225   | 26     |
|         |                    | ओवाइन / कैप्रिन | 39     | 2301    | 0      |
|         |                    | भैंसों          | 11     | 234     | 0      |
|         |                    | कुल             | 154    | 16760   | 26     |
| 11      | सिस्टोसोमिओसिस     | बोवाईन          | 49     | 900     | 0      |
|         |                    | भैंसों          | 7      | 35      | 0      |
|         |                    | कुल             | 56     | 935     | 0      |
| 12      | स्वाइन फीवर        | सुअर            | 69     | 1726    | 289    |
| 13      | सल्मोनेलोसिस       | एवियन           | 41     | 43740   | 1599   |
|         |                    | बोवाईन          | 3      | 29      | 12     |
|         |                    | भैंसों          | 2      | 4       | 0      |
|         |                    | ओवाइन / कैप्रिन | 1      | 10      | 3      |
|         |                    | सुअर            | 13     | 159     | 0      |
|         |                    | कुल             | 60     | 43942   | 1614   |
| 14      | कोक्काइडिओसिस      | बोवाईन          | 73     | 14328   | 0      |
|         |                    | ओवाइन / कैप्रिन | 76     | 4483    | 2      |
|         |                    | भैंसों          | 39     | 588     | 0      |
|         |                    | एवियन           | 227    | 263774  | 8974   |
|         |                    | सुअर            | 7      | 46      | 0      |
|         |                    | कुल             | 422    | 283219  | 8976   |
| 15      | रानीखेत रोग        | एवियन           | 311    | 1052633 | 18943  |
| 16      | फाउल चेचक          | एवियन           | 213    | 322560  | 1264   |
|         |                    | भैंसों          | 1      | 174     | 0      |
|         |                    | कुल             | 214    | 322734  | 1264   |
| 17      | फाउल हैज़ा         | एवियन           | 67     | 155820  | 2853   |
| 18      | मेरक रोग           | एवियन           | 48     | 1372548 | 4767   |
| 19      | संक्रामक बर्सल रोग | एवियन           | 183    | 1040807 | 22127  |
| 20      | बत्तख प्लेग        | एवियन           | 44     | 24658   | 175    |
|         |                    | बोवाईन          | 1      | 130     | 9      |
|         |                    | कुल             | 45     | 24788   | 184    |
| 21      | क्रॉनिक श्वसन रोग  | एवियन           | 459    | 3577358 | 35885  |
|         |                    | सुअर            | 2      | 1050    | 100    |
|         |                    | कुल             | 461    | 3578408 | 35985  |
| 22      | कैनाइन डिस्टेंपर   | केन             | 71     | 1293    | 88     |
| 23      | रैबीज              | बोवाईन          | 90     | 2153    | 2153   |
|         |                    | केन             | 70     | 2588    | 2588   |

| क्र.सं. | रोग का नाम                    | प्रजाति         | प्रकोप | हानि   | मृत्यु |
|---------|-------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
|         |                               | ओवाइन / कैप्रिन | 60     | 3226   | 3226   |
|         |                               | भैंस            | 23     | 119    | 119    |
|         |                               | कुल             | 243    | 8086   | 8086   |
| 24      | बेबिसिओसिस                    | बोवाईन          | 172    | 6533   | 8      |
|         |                               | भैंस            | 1      | 30     | 0      |
|         |                               | ओवाइन / कैप्रिन | 28     | 232    | 1      |
|         |                               | केन             | 71     | 722    | 0      |
|         |                               | कुल             | 2      | 3      | 0      |
| 25      | मेस्टिटिस                     | बोवाईन          | 197    | 46869  | 5      |
|         |                               | भैंस            | 55     | 334    | 0      |
|         |                               | ओवाइन / कैप्रिन | 102    | 11100  | 0      |
|         |                               | कुल             | 354    | 58303  | 5      |
| 26      | ट्राईपेनिसमिओसिस              | बोवाईन          | 71     | 682    | 15     |
|         |                               | भैंस            | 34     | 395    | 7      |
|         |                               | कुल             | 105    | 1077   | 22     |
| 27      | मेंज                          | बोवाईन          | 34     | 863    | 0      |
|         |                               | ओवाइन / कैप्रिन | 8      | 617    | 0      |
|         |                               | एवियन           | 2      | 31     | 0      |
|         |                               | केन             | 1      | 12     | 0      |
|         |                               | कुल             | 45     | 1523   | 0      |
| 28      | पेस्ट डेज पेटिट्स रूमीनेंट    | ओवाइन / कैप्रिन | 82     | 8216   | 2419   |
| 29      | ऐनाप्लास्मोसिस                | बोवाईन          | 82     | 1107   | 7      |
|         |                               | ओवाइन / कैप्रिन | 10     | 734    | 35     |
|         |                               | भैंस            | 16     | 87     | 0      |
|         |                               | कुल             | 108    | 1928   | 42     |
| 30      | ब्रूसेलोसिस                   | बोवाईन          | 5      | 113    | 0      |
|         |                               | भैंस            | 1      | 1      | 0      |
|         |                               | ओवाइन / कैप्रिन | 1      | 92     | 0      |
|         |                               | कुल             | 7      | 206    | 0      |
| 31      | कॉरिजा                        | एवियन           | 46     | 573828 | 2612   |
| 32      | एवियन इन्फ्लूएंजा (घरेलू)*    |                 | 5      | 18576  | 18576  |
| 33      | एवियन इन्फ्लूएंजा (जंगली पशु) | एवियन           | 1      | 2      | 2      |

\* 369484 चिड़िया मारी गई

# अनुबंध XIII

## पशुचिकित्सा संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा (01/04/2014 के अनुसार)

| क्र.सं | राज्य /संघ शासित प्रदेश       | पशुचिकित्सा अस्पतालों/पॉली क्लीनिक | पशुचिकित्सा डिस्पेंसरी | पशुचिकित्सा सहायता केंद्र, स्टॉक मेन केंद्र और मोबाइल डिस्पेंसरी |
|--------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| 1      | आंध्र प्रदेश                  | 302                                | 2330                   | 2657   |
| 2      | अरुणाचल प्रदेश                | 1                                  | 93                     | 289  |
| 3      | असम                           | 29                                 | 518                    | 767  |
| 4      | बिहार                         | 39                                 | 1083                   | 1595   |
| 5      | छत्तीसगढ़                     | 266                                | 793                    | 407  |
| 6      | गोवा                          | 5                                  | 21                     | 52   |
| 7      | गुजरात                        | 23                                 | 702                    | 597  |
| 8      | हरयाणा                        | 944                                | 1814                   | -  |
| 9      | हिमाचल प्रदेश                 | 369                                | 1767                   | 1253   |
| 10     | जम्मू और कश्मीर               | 262                                | 1290                   | 584  |
| 11     | झारखंड                        | 27                                 | 424                    | 433  |
| 12     | कर्नाटक                       | 364                                | 1943                   | 1807   |
| 13     | केरल                          | 276                                | 870                    | 20   |
| 14     | मध्य प्रदेश **                | 795                                | 1666                   | 65   |
| 15     | महाराष्ट्र                    | 200                                | 1748                   | 2913   |
| 16     | मणिपुर                        | 55                                 | 109                    | 34   |
| 17     | मेघालय                        | 4                                  | 107                    | 93   |
| 18     | मिजोरम                        | 5                                  | 33                     | 103  |
| 19     | नगालैंड *                     | 11                                 | 20                     | 127  |
| 20     | ओडिशा                         | 540                                | 314                    | 2939   |
| 21     | पंजाब                         | 1367                               | 1485                   | 20   |
| 22     | राजस्थान                      | 2327                               | 198                    | 2171   |
| 23     | सिक्किम *                     | 14                                 | 40                     | 62   |
| 24     | तमिलनाडु                      | 167                                | 2356                   | 906  |
| 25     | त्रिपुरा                      | 15                                 | 59                     | 426  |
| 26     | उत्तराखंड                     | 313                                | 11                     | 751  |
| 27     | उत्तर प्रदेश                  | 2205                               | 268                    | 2575   |
| 28     | पश्चिम बंगाल                  | 110                                | 610                    | 3248   |
| 29     | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 10                                 | 12                     | 62   |
| 30     | चंडीगढ़                       | 5                                  | 8                      | -  |
| 31     | डी एंड एन हवेली #             | 1                                  | -                      | 10   |
| 32     | दमन और दीव                    | -                                  | 2                      | 3  |
| 33     | दिल्ली **                     | 46                                 | 29                     | -  |
| 34     | लक्षद्वीप                     | 4                                  | 5                      | 8  |
| 35     | पुडुचेरी                      | -                                  | 17                     | 73   |
|        | कुल                           | 11101                              | 22745                  | 27050  |

— रिपोर्ट न की गई/अनुमान्य नहीं \* 01.04.2011 के अनुसार डाटा  
# 01.04.2012 के अनुसार डाटा \*\* 01.04.2013 के अनुसार डाटा

# अनुबंध XIV

## लेखा परीक्षा पैरा

| क्र. सं. | वर्ष       | लेखा परीक्षण द्वारा पुनरीक्षण के बाद पी.ए.सी. को प्रस्तुत की गयी ए.टी.एन.एस से सम्बंधित पैरा/पी. ए. रिपोर्टों की संख्या | ए.टी.एन.एस. से सम्बंधित मामलों की पैरा/पी.ए. रिपोर्टों का ब्यौरा   |  |  |
|----------|------------|---|--|--|--|
|          |            |   | कृत कार्रवाई नोट की संख्या जो मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजी गई।  | ए.टी.एन.एस. की संख्या भेजी गयी किन्तु टिप्पणी सहित वापस लौटा दी गयी और मंत्रालय द्वारा उसके प्रस्तुतीकरण पर लेखा परीक्षा अपेक्षित है | ए.टी.एन.एस. की संख्या अंतिम रूप से लेखा परीक्षा द्वारा पुनरीक्षित की गयी किन्तु मंत्रालय के पी ए सी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है |
| 1.       | 2013 का 23 | —   | 1<br>(राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा विशेष पैथोजन मुफ्त श्रिम्प बीज गुणक केंद्र की स्थापना से सम्बंधित व्यर्थ व्यय के सम्बन्ध में पैरा 2.1) | —  | 1  |

## प्रयोग किए गए संक्षिप्त शब्द

|                    |   |
|--------------------|---|
| ए.आई.              | कृत्रिम गर्भाधान  |
| ए.आई.सी.           | कृत्रिम गर्भाधान केंद्र   |
| ए.एम.एफ.           | एनहायड्रस मिल्क फैट   |
| ए.पी.डी.इ.ए.       | कृषि एवं खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण            |
| ए.पी.एच.सी.ए.      | एशिया और प्रशांत के लिए पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग               |
| ए.एस.सी.ए.डी.      | पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता                            |
| बी.ई.              | बजट आकलन  |
| बी.ई.डी.ए.         | खाराजल मछली पालक विकास एजेंसी                                       |
| बी.ओ.टी.           | बिल्ड प्रचालन और स्थानांतरण   |
| सी.ए.ए.            | तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण  |
| सी.ए.डी.आर.ए.डी.   | पशुरोग अनुसन्धान और नैदानिक केंद्र                                  |
| सी.ए.एल.एफ.        | पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अधिगम केंद्र                             |
| सी.बी.पी.पी.       | संक्रामक बोवाइन फ्लूरो निमोनिया                                     |
| सी.सी.बी.एफ.       | केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म   |
| सी.सी.आर.एफ.       | उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता केंद्रीय नैदानिक प्रयोगशाला |
| सी.डी.डी.एल.       | केंद्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला                                     |
| सी.एफ.एफ.          | कैम्पिलोबैक्टर भ्रूण-भ्रूण  |
| सी.एफ.एस.पी.टी.आई. | केंद्रीय हिमिंत वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान                  |
| सी.एच.आर.एस.       | केंद्रीय गोपशु पंजीकरण योजना  |
| सी.आई.सी.ई.एफ.     | केंद्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान                        |
| सी.आई.एफ.एन.ई.टी.  | केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान         |
| सी.एम.यू.          | केंद्रीय मॉनिटरिंग यूनिट  |
| सी.पी.डी.ओ.        | केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन  |
| सी.पी.आई.ओ.        | केंद्रीय जन सूचना अधिकारी   |
| सी.एस.बी.एफ.       | केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| सी.एस.ओ.        | केंद्रीय सांख्यिकी संगठन                 |
| सी.एस.एस.       | केंद्रीय प्रायोजित योजना                 |
| सी.वी.ई.        | निरंतर पशुचिकित्सा शिक्षा                |
| डी.सी.आई.       | भारत के ड्रग नियंत्रक                    |
| डी.जी.एफ.टी.    | विदेश व्यापार महानिदेशालय                |
| डी.एम.आई.       | विपणन और निरीक्षण निदेशालय               |
| डी.एम.एस.       | दिल्ली दुग्ध योजना                       |
| डी.वी.सी.एफ.    | डेयरी उद्यम पूंजी कोष                    |
| ई.ई.जेड.        | अनन्य आर्थिक क्षेत्र                     |
| ई.टी.टी.        | एम्ब्रियो स्थानांतरण प्रौद्योगिकी        |
| एफ.ए.ओ.         | खाद्य और कृषि संगठन                      |
| एफ.एफ.डी.ए.     | मछली पालक विकास एजेंसी                   |
| एफ.एम.डी.       | खुरपका और मुंहपका रोग                    |
| एफ.एम.डी.सी.पी. | खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम |
| एफ.एस.आई.       | भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण              |
| एफ.एस.यू.       | प्रथम चरण यूनिट                          |
| जी.डी.पी.       | सकल घरेलू उत्पाद                         |
| जी.आई.एस.       | भौगोलिक सूचना प्रणाली                    |
| जी.पी.एस.       | ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली                 |
| एच.ए.सी.सी.पी.  | आपदा विश्लेषण और संकटकालीन केन्द्र बिंदू |
| आए.ए.एस.आर.आई.  | भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसन्धान संस्थान  |
| आई.बी.एम.       | इन बोर्ड मीटर                            |
| आई.बी.आर.       | संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेक्टिस           |
| आई.जी.एफ.आर.आई. | भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान   |
| आई.एन.ए.पी.एच.  | पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य सूचना केंद्र  |
| आई.ओ.टी.सी.     | भारतीय आसियान टूना आयोग                  |
| आई.एस.ओ.        | मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन     |

|                    |  |
|--------------------|--|
| आई.एस.एस.          | एकीकृत नमूना सर्वेक्षण                                       |
| आई.यू.यू.          | अनरिपोर्टेड गैरकानूनी अनियमित                                |
| जे.डी.             | जॉनी रोग   |
| एम.सी.एस.          | मॉनिटरिंग, नियंत्रण और निगरानी                               |
| एम.आई.एस.          | प्रबंधन सूचना प्रणाली  |
| एम.एल.पी.          | प्रमुख पशुधन उत्पाद  |
| एम.एम.एस.आर.टी.    | चालित सेटेलाइट सेवा रिपोर्टिंग टर्मिनलस                      |
| एम.पी.ई.डी.ए.      | समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण                       |
| एम.एस.पी.          | न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल                                       |
| एन.ए.बी.ए.आर.डी.   | राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण और विकास बैंक                         |
| एन.सी.वी.टी.       | राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद                         |
| एन.डी.डी.बी.       | राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड                                  |
| एन.डी.आर.आई.       | राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान                             |
| एन.एफ.डी.बी.       | राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड                             |
| एन.जी.सी.          | नई पीढ़ी की सहकारिताएं                                       |
| एन.आई.सी.          | राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र                               |
| एन.आई.एफ.पी.टी.टी. | राष्ट्रीय पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी और प्रशिक्षण संस्थान केंद्र |
| एन.आई.पी.एच.टी.टी. | राष्ट्रीय पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी और प्रशिक्षण केंद्र         |
| एन.पी.सी.बी.बी.    | राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन योजना                         |
| एन.पी.आर.ई.        | राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना                          |
| एन.एस.एस.          | राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण                                    |
| एन.एस.एस.ओ.        | राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन                              |
| ओ.बी.एम.           | बाह्य बोर्ड मीटर   |
| ओ.आई.ई.            | अंतर्राष्ट्रीय ईपीजूटिस कार्यालय                             |
| ओ.एन.बी.एस.        | खुला केंद्र प्रजनन प्रणाली                                   |
| पी.ई.डी.           | व्यावसायिक कुशलता विकास                                      |
| पी.आर.आई.          | पंचायती राज संस्थान  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| पी.टी.पी.            | संतति परीक्षण कार्यक्रम                                 |
| पी.वी.सी.एफ.         | कुक्कुट उद्यम पूंजीकोष                                  |
| क्यू.आर.             | परिमाणात्मक नियंत्रण                                    |
| आर.डी.डी.एल.         | क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला                        |
| आर.ई.                | संशोधित आकलन  |
| आर.एफ.डी.            | परिणाम ढांचा दस्तावेज़                                  |
| आर.टी.आई.            | सूचना का अधिकार   |
| एस.एच.जी.            | स्वयं सहायता समूह                                       |
| एस.आई.ए.             | राज्य क्रियान्वयन एजेंसी                                |
| एस.आई.पी.            | सफाई आयात आज्ञा   |
| एस.एल.बी.टी.सी.      | राज्य पशुधन प्रजनन और प्रशिक्षण केंद्र                  |
| एस.एल.सी.ए.एन.जी.आर. | पशु आनुवांशिकी संसाधनों पर राज्य स्तर की समिति          |
| एस.एल.एस.एम.सी.      | राज्य स्तर मंजूरी और मॉनिटरिंग समिति                    |
| एस.एम.पी.            | स्किल्ड दूध पाउडर                                       |
| एस.ओ.पी.             | मानक प्रचलन प्रक्रिया                                   |
| एस.एस.ओ.सी.          | राज्य वीर्य संग्रहण केंद्र                              |
| एस.एस.यू.            | दूसरे चरण की यूनिट                                      |
| एस.टी.डी.            | सेक्स प्रसारित रोग                                      |
| टी.सी.डी.            | पशुपालन सांख्यिकी के सुधार के लिए तकनीकी समिति का निदेश |
| टी.सी.एम.पी.एफ.      | तमिलनाडु सहकारिता दूध उत्पादक परिसंघ                    |
| टी.आर.क्यू.          | मूल्यदर कोटा  |
| टी.एस.यू.            | तीसरे चरण की यूनिट                                      |
| यू.बी.के.वी.         | उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय                           |
| वी.सी.आई.            | भारतीय पशुचिकित्सालय परिषद                              |
| वी.के.जी.यू.वाई.     | विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना                         |
| वी.एम.एस.            | जलयान मॉनिटरिंग प्रणाली                                 |









## पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

वेबसाइट: <http://www.dahd.nic.in> & <http://farmer.gov.in/>

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नं.: 1800-180-1551 पर संपर्क करें

"KISAAN GOV HELP" एस.एम.एस. करें 51969 पर (शुल्क लागू)